राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ३१वां दिवस [संख्या २३

बुधवार, १८ मार्च, १९५९.

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६२९

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६३०

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

अजमेर के पुलिस इन्स्पेक्टर, श्री लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध शिकायत

६३१. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :-

What action has been taken on the representation handed over to him in June, 1957, by an M. L.A. bearing signatures of over 500 citizens of Ajmer against Shri Laxminarayan, Police Inspector, Ajmer, who is in the habit of calling innocent persons in the Police Station and beating them indiscriminately ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : डी. आई. जी. रेंज अजमेर व एस० पी० अजमेर के यह जानकारी करने पर मालूम हुआ कि ये आरोप सत्य नहीं हैं। प्रार्थनापत्र में कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ व हस्ताक्षर करने वालों का पता न होने के कारण व्यक्तिगत जांच नहीं हो सकी। स्पेसिफिक चार्ज करने पर जांच की जा सकती है।

श्री पी. के. चौधरी : जिन व्यक्तियों को पता है क्या, उनकी जांच की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेसिफिक एलीगेशन दिये जांय तो एन्कवायरी कर लूं कि किस को मारा व किसको पीटा।

श्री पी० के० चौधरी : स्पेसिफिक इन्स्टान्स अभी दूं तो क्या आप एन्क्वायरी करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

रतनगढ़ । डूंगरगढ़ के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

६३२. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास पुलिस इन्स्पेक्टर श्री रामसिंह सर्किल रतनगढ़, थानेदार श्री लालचन्द शर्मा व मुंशी श्री रजाक मोहम्मद तथा श्री रूडे खां सिपाही, डूंगरगढ़ के खिलाफ मारपीट करने व रिश्वत लेने की कोई शिकायत आई है ?

(ख) अगर हां, तो सरकार ने इस मामले की अब तक जांच क्यों नहीं करवाई ?

(ग) क्या यह सही है कि सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस, चुरू के पास जो शिकायतें आई थी वह कलेक्टर, चुरू को भेज दी गई थी ? अगर हां, तो किस तारीख को और ज़िलाधीश चुरू ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(घ) क्या सी. आई. डी. द्वारा भी इसकी जांच कराई गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जांच कर ली गई।

(ग) जी नहीं। शिकायत केवल कलेक्टर चुरू के पास २३–७–५८ को आई तो कलेक्टर चुरू ने एस. पी. चुरू के पास जांच के लिए भेज दी। एस. पी. चुरू ने कलेक्टर चुरू को लिख दिया कि कोई मारपीट नहीं की गई है और शिकायत झूठी है। भ्रष्टाचार के बारे में एन्टीकरप्शन को जांच करने के लिए लिखा है।

(घ) जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एन्टीकरप्शन विभाग को कब भेजा ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच कब कराई ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी शिकायत आने पर।

श्री किशनाराम : जांच के बाद क्या एक्शन लिया गया ? क्या आपको पता चला कि मारपीट की गई या क्या नतीजा रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो जुर्म बताया वह तो साबित नहीं हुआ लेकिन जो रुपया लेने की बात कही वह एन्टीकरप्शन को भेज दी गई।

श्री किशनाराम : क्या यह सही है कि गांव रेडी में एक औरत के साथ मारपीट की गई और वह मर गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि प्राइमाफेसी केस बनता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जुर्म साबित नहीं हुआ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : क्या झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी स्टेज आने पर देखेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : अभी आपने कहा कि शिकायत झूठी है तो झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी स्टेज आने पर देखा जायगा।

एक माननीय सदस्य : क्या एस. पी. चुरू ने जो रिपोर्ट दी उसमें रिश्वत लेने और मारपीट करने की बात है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो रिपोर्ट दी है वह सही दी है।

श्री किशनाराम : सही नहीं गलत दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि एस. पी. ने जिन्होंने शिकायत की थी, उनके बयान लिये बिना ही रिपोर्ट दे दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसके बयान लिये और किसके नहीं लिये, इसके डिटेल्स मेरे पास नहीं है।

श्री किशनाराम : यह एक जबर्दस्त घटना हुई है राजस्थान में, हमने इसको बिल्कुल सही पाया है। एस. पी. ने बिल्कुल झूठी रिपोर्ट दी है। उन्होंने साफ कह दिया था कि एक ऊंचे अधिकारी के रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्ट देकर क्या हमें राजस्थान में रहना नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप कुछ भी नतीजा निकालें लेकिन उसकी और भी रेमेडीज़ हैं। यदि आप हमारी इन्क्वायरी से सन्तुष्ट नहीं हैं तो और रेमेडी है, कोर्ट में ऑर्डिनेरी लॉ में एप्रोच किया जा सकता है, पुलिसमेन पर भी वह लागू है, उसका भी चालान कराया जा सकता है, इश्तगासा दायर किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या शिकायत करने वालों के बयान लिये बिना ही जांच की रिपोर्ट दी है तो आप एश्योरेन्स देंगे कि कम्पेलेनेन्ट्स के बयान लेकर दुबारा जांच कराई जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पता नहीं है कि उनके बयान लिये या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर उनके बयान नहीं लिये हैं तो क्या आप उनके बयान लेने को कहेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : ज़रूर।

प्रश्न संख्या ६३३

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

Page No.4

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

चम्बल बांध

६३४. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

चम्बल बांध जो कोटा नगर के पास बनाया जा रहा है, कब तक पूरा होगा और नहरों में पानी कब से दिया जावेगा ?

उप-मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखा भाई) : चम्बल बांध का कार्य अक्टूबर, १९५९ तक पूरा होने की आशा है और उसके बाद ही नहरों में पानी दिया जावेगा।

श्री रामेश्वरदयाल : आरम्भ में कितनी तहसीलों को पानी दिया जायेगा ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है कि कहां कहां पानी दिया जायगा। कितना इर्रिगेशन होगा, यह मैं बतला सकता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि चम्बल में जहां पर बांध बनाया जा रहा है वहां पर इतना पानी आ गया है कि वहां की मिट्टी बह गई है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : यह आप कब की बात कह रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल : डिस्ट्रिब्युटरीज़ का काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री भीखाभाई : संभावना ऐसी है कि सन् ६१ तक काम पूरा हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो आप सूचना दे रहे हैं वह कब तक की लेटेस्ट है ?

श्री भीखाभाई : लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि १५ दिन पहले की घटना की सूचना आपके पास नहीं आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : घटना के घट गई।

श्री दयाकृष्ण विजय : चम्बल में जहां पर मिट्टी का बांध बनाया जा रहा है वहां पर एक श्रोत ऐसा निकल आया है कि सारी मिट्टी बह गई है और यह ख्याल है कि बांध शायद ही बन पावे ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी जगह पानी भर गया है तो पम्प से बाहर निकाला जा रहा है, नुकसान तो कोई खास हुआ नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप जानकारी करिये, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, शायद बांध बन पायेगा या नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : एक हफ्ता पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री रामेश्वर दयाल : क्या ग्रेवलिंग का काम सफलता पूर्वक हो रहा है ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

श्री रामेश्वरदयाल : कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री भीखाभाई : इस साल के आखिर तक हो जायगा ।

सवारी की बसों के मॉडल पर प्रतिबन्ध

६३५. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या यातायात मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी की ओर से सवारी बसों के मॉडल के सम्बंध में कोई प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि रेतीले मार्गों पर केवल फोरव्हील ड्राइव गाड़ियां ही काम कर सकती हैं ?

(३) क्या सरकार रेतीले मार्गों के लिये, खास तौर से रेगिस्तानी इलाकों में सवारी गाड़ियों के लिये मॉडल प्रतिबन्ध को दूर करने का विचार रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा इस सम्बन्ध में उचित आदेश जारी कर दिया गया है ।

सन् १९५२ में हुए लोकसभा व विधान सभा के चुनावों में कार्य करने वाले अध्यापकों का बकाया टी. ए. व डी. ए.

६३६. **श्री प्रभूलाल पुरोहित** (लालसोट) **तथा श्री बी. एन. जोशी** (बांदीकुई) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सन् १९५२ में लालसोट दौसा क्षेत्र में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव व उसी वर्ष लोकसभा का उप-चुनाव भी हुआ और दोनों बार अध्यापकों को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था ?

(२) क्या उपरोक्त तहसीलों के अध्यापकों को टी. ए. व डी. ए. उस समय का अभी तक नहीं दिया गया है ?

(३) जयपुर ज़िले की अन्य तहसीलों में ऐसे कितने अध्यापक चुनाव में काम करने वाले हैं जिन्हें टी. ए. व डी. ए. उस समय का अभी तक नहीं दिया गया है ?

(४) अब सरकार उन्हें कब तक टी. ए. व डी. ए. देगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, निर्वाचन मंत्री की ओर से) : (१) हां ।

(२) जिन अध्यापकों के बिल्स में त्रुटियां नहीं थीं उनको टी. ए. व डी ए. दे दिया गया है ।

(३) उनकी संख्या ६० हैं उनमें से केवल ६० ऐसे है जिनके बिलों में त्रुटियां होने के कारण उनको टी. ए. व डी. ए, नहीं दिया गया ।

(४) उनको टी. ए. व डी. ए. देने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक दे दिया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब बिल्स का क्लेरिफिकेशन हो जायगा तब दे दिया जायगा।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : क्या मंत्री महोदय यह विश्वास दिलाने की कृपा करेंगे कि सन् ६० तक उनको टी. ए. व डी. ए. दे दिया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : त्रुटियों को ठीक कर दें, यह उन पर भी डिपेन्ड करता है।

एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बाली व एस. डी. एम. बाली की अदालतों में पेन्डिग मुकदमे

६३७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बाली व एस. डी. एम. बाली के पास कुल कितने फौजदारी मुकदमें इस समय पेन्डिग हैं ?

(२) क्या सरकार यह उचित समझती है कि बाली तहसील में एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट कायम रहे जब कि एस. डी. एम. बाली ने तहसील देसूरी के मुकदमात मुन्सिफ मजिस्ट्रेट देसूरी के पास ट्रान्सफर कर दिये हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

१. (अ) सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट बाली १८१

(ब) सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बाली ५८

कुल २३६

(२) जी हां।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : ये सब पुराने हैं या मौजूदा साल के हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मौजूदा साल का जिक्र है।

श्री रामेश्वरदयाल : ये सब नये है या इनमें कुछ पुराने, चार पांच साल के भी हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : इस बारे में अलग प्रश्न पूछें तो बता सकता हूं, इस समय यह नहीं बता सकता कि कौन सा मुकदमा कितना पुराना है।

मोहल्ला कस्साबान में नल व बिजली की व्यवस्था

६३८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कस्साबान मोहल्ला (Mohalla Kasaban) जयपुर शहर की आबादी कितनी है तथा वहां कितने घर हैं।

(२) इस बस्ती में कितने सार्वजनिक नल हैं व बस्ती के लोगों के पीने के पानी की क्या व्यवस्था है ?

(३) क्या इस मोहल्ले में रास्तों पर

(डॉ० चन्द्रकला)

समुचित प्रकाश की व्यवस्था है ?

(४) क्या इस मोहल्ले के लोगों को पानी की सुविधा के लिये नल व प्रकाश के लिए बिजली की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था की जा सकेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (१) मोहल्ला करसाबान की आबादी में लगभग १५० घर हैं तथा करीब ८०० व्यक्ति रहते हैं।

(२) यह बस्ती मिर्ज़ा इस्माईल रोड पर सांघी ब्रादर्स के पीछे स्थित हैं। वे लोग आसपास की सड़कों पर लगे हुए नलों से पानी लेते हैं।

(३) यह क्षेत्र डवेलपमेन्ट का क्षेत्र है और अभी तक इसमें बाकायदा ले आउट नहीं हुआ है। अब बस्ती में रोशनी का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(४) जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : ये लोग मिर्ज़ा इस्माइल रोड से जिस नल से पानी लाते हैं क्या सरकार को पता है कि वह नल बस्ती से कितनी दूरी पर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं नहीं कह सकता कि कितनी दूरी पर है। लेकिन यह कहा है कि और लगाने का प्रबन्ध कर रहे है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या आप उनकी कठिनाई को महसूस कर सकते हैं जब कि उनको मिर्ज़ा इस्माइल रोड पर से एक फर्लांग की दूरी से पानी लाना पड़ता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कठिनाई तो है लेकिन और शहरों के मुकाबले में ज्यादा नहीं है फिर भी अधिक नलों का प्रबन्ध करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : प्रकाश की व्यवस्था क्या हो रही है और कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

गुढ़ा एन्दला के पास बहने वाली नदी का तटबन्धन

६३६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पाली तहसील में गुढा एन्दला गांव के पास जो नदी बहती है उसका तटबंधन होने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक वह कार्यान्वित होगी।

(२) उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी।

उप-मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखा भाई) : (१) हां, तखमीने की जांच हो रही है। मंजूरी के बाद आगामी वित्तीय वर्ष में योजना को कार्यान्वित करने की आशा है।

(२) इस योजना पर करीब ३ लाख रुपये खर्च होने का अन्दाज़ है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या आपको अभी तक आशा ही है मंत्री लोग तो निर्णय करते हैं, निश्चय करते है।

श्री भीखाभाई : आशा इसलिये कहा था कि योजना सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के पास पड़ी है, उसकी जांच हो रही है। रिटर्न ढ़ाई पर्सेन्ट बताया गया था, पूरी जांच हो रही है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह तो अध्यक्ष महोदय, मेन्डिकेन्ट का उत्तर मालूम होता है, मिनिस्टर का उत्तर नहीं मालूम होता।

श्री रामकिशोर व्यास : मंत्री का उत्तर सुनिये। जब तक रिटर्न नहीं मिल जावे तब तक डेफिनेट नहीं कहा जा सकता।

श्री जनार्दनराय नागर : मंत्रियों की ओर से आशा, अपील आदि शब्द निराशाजनक हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : 'ना' से तो अच्छे हैं।

प्रश्न सं० ६४०

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय।

गंगापुर में नई मंडी का निर्माण

६४१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गंगापुर में नई मंडी का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां?

(२) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर नई मंडी बनाई जा रही है उस स्थान को प्राप्त करने के लिये लैन्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के तहत कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है? यदि हां, तो बिना भूमि अवाप्त किये किस प्रकार मंडी बनाई जा रही है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से) : (१) जी हां। यह निर्माण कस्बा गंगापुर और नामनेर ग्राम की भूमि में किया जा रहा है।

(२) जी हां। इसका कारण यह है कि जिस भूमि पर यह मंडी बनाई जा रही है वह व्यापार मंडल ने खातेदारान से खरीद कर नवीन मंडी निर्माण हेतु समर्पित कर दी थी। इसके पश्चात् इस भूमि को आबादी में तब्दील किये जाने की स्वीकृति आयुक्त महोदय अजमेर खंड, अजमेर, द्वारा प्राप्त हो चुकी है। इसलिए लैन्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के तहत भूमि अवाप्त करने की आवश्यकता नहीं हुई।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह व्यापार मंडल ने कब खरीदी थी?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट्स मेरे पास नहीं है, प्राइवेटली पर्चेज़ कर ली थी उन लोगों से।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : क्या सरकार के पास मंडियों के निर्माण के सम्बन्ध में मॉडल नियम हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अगल सवाल है।

Page No.9

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि व्यापार मंडल ने ज़मीन नहीं खरीदी थी और सरकार ने बिना भूमि अवाप्त किये मंडी बनाना शुरू किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास सूचना है कि नियमों के अनुसार मंडी बनाई जा रही है।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या यह मंडी नियमों के अनुसार बनाई जा रही है ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष : श्री गज्जा पटेल।

कस्बा सिकराय में अधूरा डाक बंगला भवन

६४२. **श्री गज्जा पटेल** (दौसा-सु) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कस्बा सिकराय में सिंचाई विभाग की ओर से जिस डाक बंगला भवन के बनाने की स्वीकृति हुई थी वह लगभग १० वर्ष से अधूरा बना हुआ पड़ा है ?

(ब) क्या उस अधूरे भवन को सरकार पूरा करने का विचार रखती है ?

(स) यदि हां, तो वह भवन कब तक पूरा हो जावेगा ?

(द) यदि नहीं, तो क्या सरकार उस अधूरे भवन को सार्वजनिक कार्य के लिये दे सकती है जिससे वह पूरा कराया जाकर स्कूल के कार्य में लिया जा सके ?

उप मन्त्री सिंचाई विभाग (श्री भीखा भाई) : (अ) जी हां।

(ब) जी हां।

(स) इसी वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में कार्य सम्पूर्ण होने की आशा है।

(द) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : काम चालू कर दिया गया है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

डॉ० चन्द्रकला, (किशनपोल बाजार, जयपुर) : भाग 'द' का उत्तर रह गया है।

श्री भीखाभाई : मैंने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष में कार्य सम्पूर्ण होने की आशा है।

डॉ० चन्द्रकला : भाग 'द' का जवाब क्या है ?

श्री भीखाभाई : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : By the end of this financial year, you mean 31st March, 1959 ?

श्री अध्यक्ष : It means that.

श्री पी० के० चौधरी : He does not say so. Do you mean that it will be completed before the 31st of this month ?

श्री भीखाभाई : That is the intention.

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज

६४३. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के कितने दफ्तर हैं और उनका कार्य क्षेत्र कहां कहां है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) प्रत्येक दफ्तर द्वारा सन् १६५८ में कितने बेकारों को रोज़गार दिलाया गया और इस वक्त प्रत्येक दफ्तर में बेरोज़गारों की संख्या कितनी अंकित है ?

(३) क्या यह सही है कि जालोर और सिरोही, ज़िला जोधपुर एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्यालय के कार्यक्षेत्र में रक्खे गए हैं ?

(४) क्या यह सही है कि जालोर व सिरोही ज़िले जोधपुर की बजाय पाली एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के अधिक समीप पड़ते है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ज़िलों को पाली एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के अन्तर्गत रखने का विचार करेगी ?

गृह मंन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास, श्रम-मंत्री की ओर से): (१) राजस्थान में आजकल एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के १२ दफ्तर हैं । उनका कार्यक्षेत्र निम्न है :

एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज	कार्यक्षेत्र
१. अजमेर	ज़िला अजमेर
२. अलवर	ज़िला अलवर
३. भरतपुर	ज़िला भरतपुर
४. भीलवाड़ा	ज़िला भीलवाड़ा
५. बीकानेर	ज़िला बीकानेर तथा चूरू
६. जयपुर	ज़िला जयपुर, सीकर, झुनझुनू तथा टोंक
७. जोधपुर	ज़िला जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाडमेर, नागोर तथा जैसलमेर
८. कोटा	ज़िला कोटा, बूंदी तथा झालावाड़
९. पाली	ज़िला पाली
१०. श्री गंगानगर	ज़िला श्री गंगानगर
११. सवाई माधोपुर	ज़िला सवाई माधोपुर
१२. उदयपुर	ज़िला उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा

(२) राजस्थान के विभिन्न एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्जों द्वारा सन् १६५८ में रोज़गार पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या एवं जनवरी सन् १६५६ के अन्त में इन के चालू रजिस्टर पर दर्ज बेरोजगारों की संख्या निम्नांकित है....

श्री अध्यक्ष : यह लिस्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

नोट:—निम्न लिखित सूची पढ़ी नहीं गई, किन्तु उत्तर को पूर्ण करने की दृष्टि से सम्मिलित कर दी है ।

एक्सचेन्ज	१६५८ में रोज़गार में लगाये गए व्यक्तियों की संख्या	जनवरी १६५६ के अन्त में चालू रजिस्टर पर दर्ज बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या
१	२	३
१. अजमेर	७६८	४६६०
२. अलवर	६८३	१५७३
३. भरतपुर	७५५	२३८२

(श्री अध्यक्ष)

४.	भीलवाड़ा	४४१	६६६
५.	बीकानेर	६६६	१५२४
६.	जयपुर	१५२१	७२५६
७.	जोधपुर	२१६२	४४५०
८.	कोटा	६८४	१६११
६.	पाली	४७७	४७६
१०.	श्री गंगानगर	७५२	१०३८
११.	सवाई माधोपुर	३५२	१२३०
१२.	उदयपुर	२७३०	२७८२
	योग	१२६२१	३००७४

(३) जी हां।

(४) सरकार ने चालू वर्ष में सिरोही में एक एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज खोलने का निर्णय कर लिया है। अतः सिरोही को पाली एक्सचेन्ज के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। बेरोज़गार व्यक्तियों, नियुक्तियों तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जालोर को जोधपुर एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के कार्यक्षेत्र में रखना ही अधिक उपयुक्त समझा गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या चालू वर्ष का मतलब यह समझा जाय कि ३१ मार्च के अन्त में सिरोही में दफ्तर खोला जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : डिसीज़न लिया है।

श्री शंकरलाल : दफ्तर किस आधार पर खोले जाते हैं, पॉपुलेशन के आधार पर या बेकारी को ध्यान में रखते हुए?

श्री रामकिशोर व्यास : सभी बातों को ध्यान में रखते हुए।

श्री शंकरलाल : यह डिसीज़न ३१ मार्च के पहले दफ्तर खोलने का लिया है, या बाद में खोलने का निश्चय किया है?

श्री रामकिशोर व्यास : शुरू में खोलने का निर्णय लिया है।

श्री शंकरलाल : आपने फर्माया कि चालू वर्ष में सिरोही में खोलने का निर्णय लिया है?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि चालू वर्ष में खोलने का निर्णय लिया है। Decision has been taken, then it will be opened.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : इस वर्ष में नहीं कहा, चालू वर्ष हर समय चलता रहता है।

(हंसी)

श्री शंकरलाल : अगर दफ्तर पोपुलेशन के आधार पर खोला जाता है तो जब नागोर में काफी आबादी है तो जालोर को जोधपुर में रख कर सिरोही में खोलने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास : आहिस्ता आहिस्ता हर जगह खोलना चाहते हैं। अभी पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां खोलना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल : मेरा सवाल यह है कि पाली में बेरोजगारी की संख्या बहुत कम है, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में इतनी

Page No.12

(श्री शंकरलाल)

अधिक बेरोज़गार की संख्या है, इस दृष्टि से पाली में क्यों रखा गया, नागोर में क्यों नहीं दफ्तर खोला गया।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने नागोर का प्रश्न उठाया, इस पर ध्यान देंगे।

श्री शंकरलाल : इसी प्रकार और ज़िलों के अन्दर क्या आधार है। दफ्तर किस आधार पर खोला जाता है, कोई प्रिन्सिपल है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको बताया कि सब बातों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : What is the number of placements by the Employment Exchanges ?

श्री अध्यक्ष : That is no question. How is it connected with this ?

श्री शंकरलाल : एक सप्लीमेन्ट्री और है। आपने बेरोज़गार व्यक्तियों की कुल संख्या ३००७४ बताई। यह संख्या पिछले वर्ष से घटी है या बढ़ी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो रजिस्टर में एन्टर्ड है, वह संख्या बताई है।

श्री पी०के० चौधरी : Sir it is an important question. कितने बेकारों को रोज़गार दिलाया गया।

श्री अध्यक्ष : It does not arise from this question. It may be an important and urgent question but it does not arise from this.

श्री पी० के० चौधरी : It arises from No. 2 Sir. How many have been employed and how many are registered.

श्री अध्यक्ष : The figures are there. For that the figures have been given. It i s a long list.

श्री पी० के० चौधरी : I want figures for the whole State.

श्री अध्यक्ष : The list is for various Districts

श्री पी० के० चौधरी : The State consists of districts and he could give the reply.

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

अजमेर राज्य के विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

६४४. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या विद्युत मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) विलीनीकरण से पहले के अजमेर राज्य के विद्युत विभाग के कर्मचारियों को जो मंहगाई भत्ता मिलता था वह राजस्थान के भत्ते से कितना ज्यादा है ?

(२) क्या सरकार उन कर्मचारियों को यह मंहगाई भत्ता बराबर देती रहेगी या उसे उनकी सालाना तरक्की में दर्ज करेगी ?

Page No.13

उपमंत्री विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) अजमेर राज्य में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते राजस्थान में मिलने वाले मंहगाई भत्ते से अलग अलग वेतन के अनुसार, १५ रु०, २० रु०, २५ रु० व ३० रु० ज्यादा था।

(२) अजमेर राज्य के कर्मचारियों को अजमेर राज्य के भत्ते न देकर उनको राजस्थान में मिलने वाले मंहगाई भत्ते दिये गये हैं अत: उनको अजमेर राज्य के महंगाई भत्ते देते रहने या सालाना तरक्की में मर्ज करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

धौलपुर भरतपुर सड़क

६४५. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि धौलपुर भरतपुर वाया सैपऊ मार्ग खराब हो गया है ?

(२) यदि हां, तो उक्त मार्ग पर क्या सरकार डामर करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। बरसात में खराब हुआ था, मरम्मत कराई जा रही है।

(२) जी हां, फिलहाल गुलाब बाग से ७ मील तक।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि पार्वती के बांध के वेस्ट बेअर से खराब हो जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब के स्पेशली बरसात ज्यादा होने की वजह से मार्ग खराब हुआ।

डॉ० बहादुरसिंह : वेस्ट बेअर के कारण से सड़क टूटती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कारण नहीं टूटी है। धौलपुर और भरतपुर में ज्यादा बरसात होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ, इनकी मरम्मत करवा रहे हैं। इसके साथ ही क्रॉस ड्रेनेज का इन्तजाम करने के लिए प्रपोज़ल्स बनाये हैं, जिससे कि पानी को निकाल दिया जाय।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : धौलपुर और भरतपुर मार्ग में जो हिस्सा यू. पी. का पड़ता है, उसे किस प्रकार मरम्मत करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके लिए यू.पी. से पैसा ले लेंगे और बना हम देंगे।

श्री सूबेदारसिंह : अगर यू. पी. पैसा नहीं देगी तो वहां सड़क नहीं बनेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपस में बात चीत से वह तय होगा, उसे पहले तय करेंगे।

श्री सूरजमल (फलौदी-सु०) : स्पेशल बरसात किस की ओर से की जायगी ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री गज्जा पटेल ।

सप्लाई विभाग के सरप्लस कर्मचारियों का फिक्सेशन

६४६. **श्री गज्जा पटेल** (दौसा-सु०) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सप्लाई विभाग के कितने कर्मचारी सरप्लस घोषित कर डिस्चार्ज किए गए हैं तथा इनमें से कितने कर्मचारियों का यूनिफाइड पे स्केल में फिक्सेशन हो चुका है एवं कितने कर्मचारी शेष हैं ?

(२) जिन कर्मचारियों का फिक्सेशन यूनिफाइड पे स्केल में हो चुका है क्या उनको फिक्सेशन के अनुसार चढ़ा हुआ वेतन दिया जा चुका है ? यदि नहीं दिया गया है, तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि जिला सवाई माधोपुर में अभी भी कई ऐसे कर्मचारियों को एरियर नहीं मिला है ?

(४) यदि हां, तो क्यों और कब तक उन कर्मचारियों को यह एरियर की रकम दी जा सकेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (१), (२), (३) व (४) यह सूचना विभिन्न जिलाधीशों के द्वारा एकत्रित करनी पड़ेगी, इसमें समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गज्जा पटेल ।

भांडारेज से उकाली घाटी की सड़क

६४७. **श्री गज्जा पटेल** (दौसा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भांडारेज उकाली घाटी तक जाने वाली पक्की सड़क दो मील उकाली से राणौली तक बन चुकी है तथा २ मील मोड़ भांडारेज से भांडारेज ग्राम तक बन चुकी है और शेष ८ मील का टुकड़ा बाकी पड़ा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस बाकी सड़क का ठेका भी किसी सूरजभान नामक व्यक्ति का हो चुका है परन्तु वह बना नहीं रहा है ?

(३) यह बाकी सड़क कब तक तैयार हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी हां। बाकी ७ मील में कार्य चालू है।

(२) जी नहीं।

(३) कार्य चालू है।

श्री गज्जा पटेल : काम तो बहुत दिनों से चालू है, कब तक तैयार हो जायगी ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : ७ मील का टुकड़ा बाकी रह गया था, उस पर काम चल रहा है।

श्री गज्जा पटेल : जब हम कहते हैं तब जल्दी करने का नाम ले लेते हैं।

(हंसी)

Page No.15

श्री नाथूराम मिर्धा : आप 'जल्दी' का मतलब दो दिन समझते हैं। सड़क बनाने का मतलब है कि दो मील की कुटाई एक रोड रोलर करता है, तो एक मील एक महीने में पूरा करता है।

श्री गज्जा पटेल : आप एक तारीख बता दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं दिन बता दूं।

श्री अध्यक्ष : साल बता दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगली साल तक पूरा हो जायगा।

प्रश्न सं० ६४८

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबाबा चौधरी।

बाली तहसील में मवेशियों की चोरी

६४६. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले साल में देसूरी व बाली तहसीलों में कितने मवेशी चुराये गये उनमें से कितने को पुलिस ने बरामद किया ?

(२) क्या यह सच है कि डेढ़ साल पहले तहसील बाली में माताजी की बारागांव से एक चौधरी के बैलों की जोड़ी चोरी चली गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि चोरों को पुलिस बाली ने गिरफ्तार किया और फिर उनको वापिस छोड़ दिया गया ?

(४) मवेशियों की चोरियां रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) गत वर्ष १६५८ में बाली व देसूरी तहसीलों में २१ मवेशी चोरी गये थे और उनमें से १८ पुलिस ने बरामद किये।

(२) सन् १६५६ में श्री दोला चौधरी माताजी का बारां गांव वाले की एक बैलों की जोड़ी चोरी चली गई थी।

(३) जी नहीं।

(४) मवेशियों की चोरी के शीर्षक के जुर्म भली भांति काबू में हैं और इसलिए इस दिशा में विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या ६५०

श्री अध्यक्ष : श्री महादेवप्रसाद बंका।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

जगर बांध पर पुल

६५१. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि हिन्डौन इलाके में जगर बांध के कारण

(श्री उम्मेदीलाल)

पत्थर की खानों को जाने वाला रास्ता बन्द हो गया है तथा जनता ने मेजरनामे इत्यादि भेज कर सरकार से निवेदन किया है कि इस रास्ते पर पुल बना दिया जावे ताकि आवागमन न रुके ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जगह पुल बनाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो यह पुल कब तक बन सकेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह प्रश्न सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, इस लिये सिंचाई मंत्री अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल ।

जोधपुर गांधी अस्पताल का

टी० बी० वार्ड

६५२. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु०) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर गांधी अस्पताल में टी. बी. वार्ड में पीड़ित मरीज़ों की कुल कितनी संख्या है व किन किन जातियों के हैं ? उनके नाम सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त टी० बी० वार्ड में चारपाई की कमी होने से पीड़ित रोगियों को नीचे फर्श पर ही लेटना पड़ता है ? यदि हां, तो कितने मरीज़ों को और कौन कौन जातियों के पीड़ित रोगियों को ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) जोधपुर गांधी अस्पताल के टी० बी० वार्ड में पीड़ित रोगियों की कुल संख्या ३४ है, नाम तथा जाति का ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया जा चुका है ।

(ख) जी हां । जी नहीं ।

(हंसी)

(कृपया-परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सूरजमल : (ख) का क्या जवाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं ।

श्री सूरजमल : जो सूची दी है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के पीड़ित रोगियों के नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : अस्पताल में एड्मिशन लेने को नहीं आये होंगे ।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ भेदभाव रखा जाता है और अनुसूचित जातियों के जो रोगी वहां भर्ती होने जाते हैं, उनको भर्ती नहीं किया जाता है ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : फिर जातियों का विवरण रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री) : जाति का विवरण तो इसलिये रखते हैं कि पहले से रजिस्टर में खाने बने हुए हैं वरना आज कल तो मेल फीमेल रखा जाता है । पहले रजिस्टर के खाने बने हुए हैं उन खानों की पूर्त्ति की जाती है । बाकी जाति के आधार पर किसी को भर्ती नहीं किया जाता है । ऐसी बात नहीं है ।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि श्री मनरूपराम परिहार एम. एल. ए. की पत्नी कई दिनों से टी. बी. से पीड़ित थी उनको भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया और बाद में बहुत कहने सुनने पर २१-६-५८ को लिया था ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है, इस प्रश्न से पैदा नहीं होता।

श्री सूरजमल : अलग कैसे है ? टी. बी. वार्ड का है।

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी आप दे रहे हैं तो मैं जानकारी हासिल कर सकता हूं कि वे किस अस्पताल में गई थी और कब इन्कार किया, आपने जो इन्फोर्मेशन मांगी वह तो मैंने दे दी है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यह प्रश्न इसलिये पैदा होता है कि श्री मनरूप राम परिहार ने डॉ० ओझा के बारे में शिकायत की है कि हरिजन होने के कारण उनकी स्त्री को भर्ती नहीं किया गया।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह सही है शिड्यूल्ड कास्ट की हैं इसलिये भर्ती नहीं किया और बाद में कहा गया तो बाद में भर्ती किया गया।

श्री भीखाभाई : यदि यह बात सही है तो इसकी जांच कराई जायगी। समाज कल्याण विभाग से भी टी. बी. के मरीज़ों, को जो अनुसूचित जाति के हों अलग से सहायता, खर्चा वगैरह दिया जाता है, जानकारी नहीं होने के कारण लोग नहीं आते हैं।

श्री सूरजमल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के ४ व्यक्तियों को जो रोग पीड़ित थे वहां कई दफा ले जाया गया; पर डॉ० ओझा ने कोई सुनवाई नहीं की और उनमें से दो को तो बे मौत ही टी. बी. के कारण मरना पड़ा।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'शेम शेम' की ध्वनि)

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन करूं कि ले गये हों और भर्ती नहीं किया गया हो.तो यह संभव है, कारण यह है कि वहां बैड्स कम हैं और टी. बी. के मरीज़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, रोगियों की लिस्ट प्रायोरिटी के माफिक बनी रहती है और जिन जिन का लिस्ट के माफिक नम्बर आता रहता है, उनको भर्ती करते रहते हैं। आपने सूचना दी है कि पहले देखा गया है और भर्ती नहीं किया है तो इस सम्बन्ध में जानकारी करने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या उनका नाम लिस्ट में था, या नहीं था। प्रायोरिटी लिस्ट के माफिक ही भर्ती किया जाता है, इस तरह के सभी जगह के लिये रूल्स बने हुए हैं। वजह यह है कि पेशेन्ट्स ज्यादा हैं और सभी जगह बैड्स की कमी है। इसलिये मरीज़ों की लिस्ट बनी रहती है और ज्यों ज्यों जिनका नम्बर आता है....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ये रूल्स अनुसूचित जातियों के लिये ही हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : जोधपुर में केवल २० बैड्स हैं और मरीज़ों की संख्या ज्यादा होने से उनकी लिस्ट बनी हुई है, तीन-तीन, चार-चार महीने तक नम्बर नहीं आता है।

Page No.18

श्री पी० के० चौधरी : We would like to know, Sir, who is the Minister-in-charge and who has to reply ?

श्री नाथूराम मिर्धा : All are Ministers-in-charge. It is joint responsibility and I have got a better knowledge of Jodhpur hospitals.

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : All are 'Ministers in-charge' ?

श्री नाथूराम मिर्धा : It is joint responsibility.

श्री पी. के. चौधरी : We would like to know, Sir, who is the Minister-in-charge ? Not that entire Treasury Bench may reply.

श्री नाथूराम मिर्धा : What is the difficulty to you if anybody replies to you ?

श्री चन्दनमल वैद : जब दूसरे डिपार्टमेंट का प्रश्न होता है तो कह दिया जाता है कि सम्बन्धित मिनिस्टर अपनी टर्न पर उत्तर देंगे और इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हो जाते हैं, तो आखिर हमें मालूम तो हो जाय कि आप चीफ मिनिस्टर हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : चीफ मिनिस्टर की कोई बात नहीं। अगर किसी मिनिस्टर को जानकारी है और वह प्रश्नों का जवाब दे देता है तो इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिये कि आपको सच बात मालूम हो जाती है।

श्री पी० के० चौधरी : बगैर जानकारी से जानकारी देते हैं....

श्री सूरजमल : आपके द्वारा जानकारी चाहता हूं कि क्या बात है कि आज पिछड़ी जाति के लोगों की नब्ज़ तक देखने में डॉक्टर घृणा करते हैं। यह मैं दावे के साथ जानकारी देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया।

चम्बल बांध से विद्युत

६५३. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया (बारां-सु०) : क्या सिंचाई व विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चम्बल बांध से उत्पन्न विद्युत शक्ति में से कितने किलोवाट विद्युत शक्ति राजस्थान को किस किस बांध से मिलना संभव हो सकेगा ?

(ख) क्या विद्युत विभाग द्वारा राजस्थान के इलाके में विद्युत लाइनों की प्रारम्भिक सर्वे पूरी की जा चुकी है ?

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सर्वे रिपोर्ट राजस्थान सरकार को पेश की जा चुकी है ?

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में कितनी लाइनों में किन किन ज़िलों में कितने किलोवाट विद्युत कब से दिया जाना संभव हो सकेगा ?

(ङ) इसी आधार पर कोटा ज़िले में किन किन तहसीलों से विद्युत लाइनें लग सकना संभव हो सकेगा और इससे कितने किलोवाट विद्युत मिलना संभव हो सकेगा ?

Page No.19

उपमंत्री, सिंचाई व विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) चम्बल जल विद्युत योजना की ३ स्टेज हैं । पहली स्टेज में गांधी सागर पॉवर स्टेशन है, जिसमें ४, २३००० के० डब्लू की उत्पादन शक्ति वाले सेट लगने हैं । दूसरी स्टेज राना प्रतापसागर की है । इसके अन्तर्गत ३'२८००० के० बी० डब्लू की शक्ति वाले सेट लगने हैं । तीसरी स्टेज में कोटा है जिसका अभी पूर्ण विवरण नहीं बना है । राजस्थान इस योजना में ५० प्रतिशत का हकदार है । गांधी सागरपर पहला यूनिट सन् १९६० की प्रथम छ: माही में चालू हो जाना चाहिये । उसके बाद हर तीसरे या चौथे महिने में दूसरे और तीसरे सेट लग जायेंगे । चौथा सेट सन् १९६२ तक लगने की संभावना है । चारों सेट लगने पर राजस्थान को गांधी सागर से ३७.५०० के० डब्लू बिजली मिलने की आशा है ।

राणा प्रतापसागर के बनने का काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू होगा और तृतीय पंच वर्षीय योजना में समाप्त होना है । उसके पूर्ण होने पर राजस्थान में करीब ७५ से ८० किलोवाट बिजली गांधी सागर, और राणा प्रताप सागर दोनों से मिला कर मिलने की संभावना है ।

(ख) प्रथम स्टेज में चार लाइनें बननी हैं :

(१) गांधी सागर—सवाई माधोपुर १३२ के० बी० की डबल सर्किट लाइन ।

(२) सवाई माधोपुर १३२, सिंगल सर्किट लाइन ।

(३) कोटा—अजमेर १३२ के० बी० सिंगल सर्किट लाइन ।

(४) नीमच—उदयपुर १३२ सिंगल सर्किट लाइन ।

पक्की लाइन का रूट सर्वे हो चुका है । बाकी लाइनों का रूट सर्वे चालू है ।

(ग) लाइनों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी जाती ।

(घ) इलाके में बिजली की कितनी मांग है यह लाइनों के सर्वे पर आधारित नहीं होती वरन् लोड सर्वे पर आधारित होती है । लोड सर्वे पहले हो चुका है । उस पर आधारित भिन्न भिन्न जिलों में यह मांग हो सकती है :—

(१) ज़िला जयपुर में प्रथम वर्ष में १०,९५० किलोवाट ।

(२) बूंदी में प्रथम वर्ष में ७,९०० किलोवाट ।

(३) सवाई माधोपुर में प्रथम वर्ष में ९,५५० किलोवाट ।

(४) कोटा में प्रथम वर्ष में २,००० किलोवाट ।

(५) उदयपुर में प्रथम वर्ष में ३,३५० किलोवाट ।

(जन्क स्मेल्टर प्लान्ट चालू होने पर करीब १०,००० के० डब्लू० और बिजली दी जायगी)

(६) अजमेर को प्रथम वर्ष में १०,३०० किलोवाट ।

Page No.20

(श्री भीखाभाई)

(ङ) लोड सर्वे के आधार पर कोटा में सिर्फ कोटा तहसील को ही बिजली देनी है, वहां की खपत का अनुमानत: २००० के० डब्लू० होगी।

श्री रामेश्वर दयाल (कोटा) : गांधी सागर से मिलने वाली बिजली के उपयोग के लिये लाइन डालने और तार खींचने का काम कब तक पूरा हो जागया ?

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

श्री रामेश्वर दयाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा है कि गांधी सागर से मिलने वाली बिजली का उपयोग करने के लिये लाइनें डालने का और तार खींचने का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें गांधी सागर सवाई माधोपुर के लिये स्टील आँर्डर पेश कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर इसे कम्प्लीट कर देंगे।

श्री रामेश्वरदयाल : काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिजली मिलने से पहले हो जायगा ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : सूची में टोंक का नाम नहीं दिया है तो क्या टोंक को बिजली नहीं मिलेगी ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

करौली-हिन्डौन सड़क पर बान्दुआ नाले पर पुल

६५४. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

क्या करौली-हिन्डौन सड़क के बीच में बान्दुआ नाले पर सरकार पुल बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो यह पुल कब तक बन जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथू-मिर्धा) : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

रानी खुर्द तहसील देसूरी में अस्पताल खोलने की योजना

६५५. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार की रानी खुर्द (तहसील देसूरी) में वहां की जन संख्या को ध्यान में रखते हुए कोई अस्पताल खोलने की योजना है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से) : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

एक माननीय सदस्य : कब से यह विचाराधीन है।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत दिनों से।

Page No.21

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रबी अभियान में बीज वितरण की व्यवस्था

६५६. **श्री मोतीचाबा चौधरी** (बाली): क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) रबी अभियान के लिये बीज वितरण करने की क्या व्यवस्था है ?

(२) तहसील देसूरी बाली में ५७ - ५८ व ५८ - ५९ में बीज वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितना बीज वितरित किया गया ?

उप मंत्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) रबी अभियान में बीज बाड़ी पर कैश एवं कैश क्रेडिट पर सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों माल एवं कृषि विभाग द्वारा वितरण किया जाता है ।

(२) तालिका सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजस्थान मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति

६५७. **श्री भोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत खेतिहर मज़दूरों को सुविधा दिलाने के लिये सरकार ने कितने इन्स्पेक्टर किन किन ज़िलों में नियुक्त किये हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : कोटा डिविज़न व बीकानेर डिविज़न के लिये एक एक इन्स्पेक्टर नियुक्त किया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसीलदार भी अपने अपने क्षेत्रों के लिये मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए इन्स्पेक्ट मुकर्रर कर सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह कब तक लागू हो जावेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो लागू है । इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है वह इसी के तहत में हुई है ।

श्री मूलचन्द डागा : वेजेज़ क्या हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : वे अलग अलग इन्डस्ट्रीज़ के अलग अलग हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : वे खेतिहर मज़दूरों के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : एक रूपया चार आना एडल्ट मेल ।

फीमेल के लिये १,४ आना । बच्चों के लिये १० आना है ।

श्री पी० के० चौधरी : यह इम्पलीमेंट कब से हो रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट मेरे पास नहीं है ।

Page No.22

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : बीकानेर में कब से है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट मेरे पास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : क्या किसी ने इस प्रकार की रिपोर्ट भी की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई।

श्री गिरधारीलाल : क्या किसी खेतिहर मज़दूर ने इस प्रकार की रिपोर्ट की है कि मुझे जागीरदार ने कम पैसे दिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर इससे कम रेट किसी को होती तो रिपोर्ट करते।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है इन्स्पेक्टर गांवों में दौरा नहीं करते हैं और शहरों में ही रहते है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी० के० चौधरी : कोटा और बीकानेर के अलावा कहीं भी इन्स्पेक्टर मुकर्रर नहीं किये, इसका मतलब क्या यह लिया जावे कि वहां उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तहसीलदारों को ऑथोराइज़ किया है। नेक्ट।

नीम का थाना पुलिस द्वारा मीणों की गिरफ्तारी

६५८. श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा-सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नीम के थाने की पुलिस ने सन् ५८ में कितने मीणों को दफा १०६ तथा ११० में पकड़ा ? जिन व्यक्तियों को पकड़ा उनके नाम पते सहित एक लिस्ट सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि जिन जिन व्यक्तियों को पकड़ा गया उनको बुरी तरह मारा पीटा गया ?

(ग) कुल पकड़े गये मीणों में कितने व्यक्तियों को अदालत ने बरी किया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) कोई व्यक्ति जाति का मीणा दफा १०६ तथा ११० जाप्ता फौजदारी में नीम के थाना पुलिस द्वारा सन् १६५८ में नहीं पकड़ा गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या यह बात माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में है कि वहां पर निरपराधियों को मारा जाता है और उनसे रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको जवाब दिया कि कोई पकड़ा ही नहीं गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आपने किससे मालूम कराया। यह बिल्कुल सत्य है कि कई लोगों को पुलिस के अधिकारी

Page No.23

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

पकड़ लेते हैं और दो दो तीन तीन दिन तक रखते हैं, मार पीट करते हैं और रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। कई इस प्रकार के केसेज़ मैंने आपके सामने पेश किये हैं।

(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सेक्रेटरी नगरपालिका झालावाड़ का तबादला

७५६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा मु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कुछ दिनों पहले जनता की शिकायत पर सेक्रेटरी नगरपालिका झालावाड़ के तबादले का ऑर्डर हुआ था।

(ख) क्या यह भी सही है कि बाद में वहां चेयरमैन की सिफारिश पर उनका तबादला रोक दिया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह तबादला अवश्य हुआ और जवाब यह दिया गया है कि नहीं। चेअरमैन आये और तबादला रोक दिया गया। तबादला जनता की शिकायत पर किया गया था। श्री रामचन्द्र एम. एल. ए. के कहने पर तबादला किया था मगर चेअरमैन ने आकर उसका तबादला कैन्सिल करवा दिया रिश्वत लेने वालों को यहां रखा गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : तबादला हुआ था, पर न किसी की सिफारिश पर नहीं रोका।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : तो फिर वह कैन्सिल कैसे हुआ।

श्री रामकिशोर व्यास : एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर।

राज्य में सक्रिय डाकू दल

६६०. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु.) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य में इस समय कितने डाकू दल किस किस हिस्से में सक्रिय हैं ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में यह भी आया है कि अन्य नये डाकू दल भी सक्रिय होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से और कहां कहां पर ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) इस समय डाकुओं के ८ मुख्य दल सक्रिय हैं। दो दल राजस्थान के अन्दरूनी ब्लॉक्स में, १ इन्डो-पाकिस्थान सीमा पर तथा ५ डाकू दल मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से आते रहते हैं।

(२) हाल ही में किसी डाकू दल का निर्माण नहीं हुआ।

Page No.24

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : धौलपुर में भी कोई डाकू दल है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आपको अच्छी तरह मालूम है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पाकिस्तान से कौन सा डाकू दल आता है ? आपने बताया कि दो दल हैं। आपकी ज़ानकारी में कौनसा दल है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि कुल ८ डाकू दल हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पाकिस्तान का दल है उसका कौन लीडर है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने तो राजस्थान के बारे में कहा है।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : सरकार उनको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार उसके लिए बड़ी सचेत है और अभी अभी कुछ दिन पहले डाकुओं का सफाया किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान की राजधानी में भी डाकू सक्रिय हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वे तो यहां बैठे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I very much object to the word that the Hon'ble Member has used. I enquired from the Hon'ble Minister, "क्या यह सही है कि राजस्थान की राजधानी में भी डाकू सक्रिय हैं ?" and the Hon'ble Member-in-charge remarked, "यहां बैठे है।"

श्री अध्यक्ष : I don't think he said that.

प्रश्न संख्या ६६१

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित)

माउन्ट आबू में सिविल मुकदमों की सुनवाई

६६२. **श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

क्या सरकार को यह विदित है कि माउन्ट आबू से सिविल कोर्ट के मामूली कामों के लिए लोगों को आबू रोड आने जाने में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि हफ्ते में एक बार उक्त कोर्ट माउण्ट आबू पर ही आ जाय ?

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) यह सही है कि माउण्ट आबू के लोगों को अपने मामूली मुकदमों के लिए भी आबू रोड आना पड़ता है जहां कि मुनसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थित है। इसमें जो भी असुविधा होती हैं वह अनिवार्य है।

(रामकिशोर व्यास)

(२) सरकार का ऐसी व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री दलपतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह है कि जब आबू का इन्टीग्रेशन राजस्थान में हुआ था उस समय सर्किट कोर्ट की व्यवस्था रखी गई थी और उसे बाद में बन्द कर दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सर्किट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट एग्री नहीं करती ।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : उस समय कलेक्टर साहब ने किस के आदेश से ऐसा किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : हाईकोर्ट ने एतराज़ किया ।

श्री भीमसेन : कोई भी अदालत अपने जुरिस्डिक्शन में कहीं भी बैठ सकती है ।

श्री रामकिशोर व्यास : हाईकोर्ट अगर मंजूर करे ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माउन्ट आबू के कितने केसेज़ हैं ?

(इसका उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

भेड़, प्रजनन केन्द्र, कोडमदेसर

६६३. **श्री रुपाराम परिहार** (नोखा-सु०) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भेड़ प्रजनन केन्द्र कोडमदेसर तहसील कोलायत पर प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च किया जाता है ?

(२) उपरोक्त केन्द्र ने अब तक कितने मींढे नसल सुधार हेतु गड़रियों को दिए ?

उप मंत्री कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) औसतन भेड़ प्रजनन केन्द्र का खर्च २०७२५ रु० सालाना है ।

(२) कोडमदेसर भेड़ प्रजनन केन्द्र के सन् १९५८ — ५६ वर्ष तक ११७ मींढे नसल सुधार के हेतु गडरियों को दिए गए ।

श्री रूपाराम : इसमें कितना खर्चा सरकारी कर्मचारियों पर हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : १०,२६७) रुपये ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दिया है ।

श्री दौलतराम सारण : १०,३२८) हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : एक मींढे के लिए कितना खर्चा हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : एक मींढे पर ५० रुपयों से लेकर १०० रुपए तक खर्च पड़ता है ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : एक मींढे की कीमत क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जितनी आंके उतनी होती है ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : मींढे किस लिए दिए गए....

श्री दौलतराम सारण : मीढ़ों में अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए ।

श्री गिरधारीलाल : आपने बताया कि ११७ मींढ़े कोडमदेसर में गडरियों को नस्ल सुधार के लिए दिए गए, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि एक भी मीढ़ा आपके केन्द्र से उनको नहीं मिला, यह गलत है कि उनको मीढ़े दिए गए ।

श्री दौलतराम सारण : जितने मींढ़े दिए गये, मैंने बताए हैं दिए गये हैं और यह मेरी जानकारी सही है । अब कौनसी जगह पर दिए गए हैं यह मैं इस समय नहीं कह सकता । यदि इसके बारे में आपको कोई एतराज हो और आप कोई सूचना देते हैं तो लिख कर दें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सरकार के पास इसकी लिस्ट है क्या कि किस किस को दिए गए ?

श्री दौलतराम सारण : बराबर जिनको दिए जाते हैं उनकी लिस्ट है ।

श्री गिरधारीलाल : मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि वहां पर इतने मींढ़े भी नहीं हैं । मींढ़ों की संख्या बहुत कम है । कारण की जो घास और पाले के पैसे उनकी चराई के लिए सरकार से वसूल होते हैं और सेंक्शन होते हैं वे भी गलत होते हैं । वे जंगल में चरते हैं । आप इसको चाहें तो जांच करा सकते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा माननीय सदस्य अपनी इच्छा से कह रहे हैं । कोई गड़बड़ी वहां नहीं होती । गड़बडी की शिकायत है तो लिख कर दीजिये, मैं उसकी जांच करा लूंगा । आप कहते हैं कि मेंढ़े नहीं दिये गये । लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मींढ़े दिये जाते हैं और दिये जावेंगे । मींढ़े अभी भी तैयार है ।

(हंसी)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उनमें ब्लैक शिप्स कितनी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : निःशुल्क दिये जाते हैं या कुछ लिया जाता है ।

श्री दौलतराम सारण : १०) लेकर दिया जाता है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यहां कौनसी नस्ल के मींढ़े तैयार किये जाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कूंगे नस्ल के तैयार किये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल ।

जगर बांध से सिंचाई

६६४. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली सु) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि हिण्डौन इलाके में जगर बांध की नहर सिर्फ

(श्री उम्मेदीलाल) :

सूरोट व अन्य १० गांवों में ही सिंचाई करती है जब कि हिण्डौन का पूरा दक्षिणी पूर्वी इलाका जैसे हाड़ौती, खेड़ी खेत, खेड़ा, कांचरौली, गुनसार, फुलवाड़ा, दुघाटी इत्यादि गांव इस बन्ध से फायदा उठा सकते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस बंध से इन गांवों को भी नहर निकाल कर सिंचाई कराने का विचार रखती है ?

उप मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : जगर बांध की नहरों के नीचे उतनी ही ज़मीन रखी गई है जो पानी की आमद के अनुसार फायदा उठा सकती है ।

(२) इस का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : कितने एरिया में सिंचाई होती है ?

श्री भीखाभाई : ६ हज़ार एकड़ की सिंचाई होगी ।

श्री मूलचंद डागा : कितना खर्चा हुआ है ?

श्री भीखाभाई : १६ लाख रुपयों के करीब ।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह ।

अणादरा करूटी सड़क

६६५. **श्री दलपतसिंह** (आबू-श्री मोहब्बतसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को विदित है कि अणादरा, तहसील खेदर, ज़िला सिरोही अणादरा से करूटी तक जो सड़क तैयार करवाई जा रही है वह इतनी सकरी है कि दो मोटरें बराबर से पास नहीं हो सकती हैं ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक चौड़ा करवाने की योजना रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : दो मोटरें आसानी से बराबर निकल सकती हैं ।

प्रश्न संख्या ६२६

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल ।

लोकवाणी के कर्मचारियों का बकाया वेतन

६३०. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या लेबर कमिश्नर, राजस्थान ने कलेक्टर जयपुर को पत्र संख्या एफ (१) डबल्यू. जे. एक्ट ५८, १५६४० तारीख ६ जून १६५८ द्वारा २६५० रु० १५ आने की एक डिग्री, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत लोकवाणी सोसाइटी से वसूल करने के लिए लिखा था ?

(२) यदि हां, तो क्या यह डिग्री जयपुर के दैनिक लोकवाणी के संपादकीय विभाग से निष्कासित कुछ पत्रकारों के बकाया वेतनों के अविलम्ब वसूली के लिये थी ?

(श्री गिरधारीलाल)

(३) क्या कलेक्टर ने उस डिग्री की रकम को एक मुश्त वसूल करने के स्थान पर ५००) रु० माहवार के हिसाब से किश्तों में वसूल करने की मंजूरी दे दी थी

(४) क्या लेबर कमिश्नर ने २ दिसम्बर, १९५८ को कलेक्टर को यह लिखा था कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत एक मुश्त ही डिग्री की रकम वसूल होनी चाहिये ?

(५) यदि हां, तो कलेक्टर ने तुरन्त उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया ?

श्रम मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) लेबर कमिश्नर ने कलेक्टर को यह लिखा था कि क्योंकि प्रार्थियों को किश्तों में रकम वसूली स्वीकृत नहीं है इसलिए एक मुश्त रकम वसूल की जाय।

(५) डिक्री की रकम एक मुश्त वसूल कर ली गई अतः प्रश्न उठता।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : लैंड रेवेन्यू एक्ट की कौनसी धारा के अन्तर्गत ऑर्डर दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पी. डी. आर. के अन्तर्गत।

श्री मूलचंद डागा : किस अदालत की डिक्री थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : सवाल ही देख लेते आप।

श्री मूलचंद डागा : आपने लिखा है लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत जब कि होना चाहिये था इसमें पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचंद।

जोधपुर नगरपालिका के कर्मचारियों को तरक्की

६३३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर—श्री मोहरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर नगरपालिका के सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर के समय बिना पढ़े लिखे व नॉन टैक्निकल व्यक्तियों को तरक्की दी गई है ?

(ख) रेवेन्यू ऑफिसर, श्री गंगादास की क्या योग्यता है और जब जोधपुर नगरपालिका का चुनाव हो चुका था तो रेवेन्यू ऑफिसर की नई पोस्ट की जाकर उक्त व्यक्ति को क्यों लिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) :

(क) जी नहीं।

(ख) नॉन मेट्रिक। यह इस नगरपालिका में भिन्न २ पदों पर २९ वर्ष सर्विस करके

Page No.29

(श्री रामकिशोर व्यास)

काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। १० वर्ष नगरपालिका के सहायक सचिव रह चुके हैं और इनका सर्विस रिकॉर्ड अति उत्तम और प्रशंसनीय है। रेवेन्यू ऑफिसर की नई पोस्ट की स्थापना और उस पर श्री गंगादास की नियुक्ति निर्वाचित बोर्ड के चार्ज लेने से पहले प्रशासक के कार्यालय में हुई थी ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट राजगढ़ व एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, चूरू की अदालतों में पेन्डिंग मुकदमे

६३०. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट राजगढ़ व एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, चूरू की अदालतों में इस वक्त क्रमशः कितने २ मुकदमें विचाराधीन है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि सब डिविज़नल, राजगढ़ के बहुत से मुकदमें एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, चूरू की अदालत में मुन्तकित किये गये हैं ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि तहसील राजगढ़ व तारानगर की जनता को साधारण से मुकदमें के लिए इतनी दूर जाने में असुविधा रहती है ?

(घ) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है जिसके अनुसार ज़िले के भिन्न २ सब-डिविज़नों के मुकदमें एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट द्वारा सब-डिविज़नल हैडक्वार्टर्स पर जाकर सुने जावें ?

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट राजगढ़ व असिस्टेन्ट कलेक्टर व प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट चूरू की अदालत में क्रमशः ८० व २७६ मुकदमात विचाराधीन हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कोई असुविधा नहीं होती।

(घ) जी नहीं। आम तौर पर इस प्रकार का आदेश देना सम्भव नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पुराने से पुराने मुकदमा कब से पेन्डिंग है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जानकारी है नहीं, और पूछा भी नहीं।

श्री मोहरसिंह : यह कहा गया है कि कोई असुविधा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार डिविज़नल मजिस्ट्रेटी में मुकदमात मुन्तकिल किये जाने से कितनी जनता को असुविधा होती है।

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी असुविधा तो उठानी पड़ती है। क्योंकि डिविज़नल हैडक्वार्टर्स पर जाना पड़ता है।

श्री मोहरसिंह : सरकार को भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : किसी आधार पर यह जानकारी दी गई कि जनता को असुविधा नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जाना पड़ता है अनिवार्य और इस कारण असुविधा नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : जनता को असुविधा नहीं होती यह किस आधार पर ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब–डिविज़नल हैडक्वाटर पर सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट मुकदमा सुनता है। वहां जाने में तकलीफ होती है तो असुविधा हैं यह नॉर्मल तरीके से कहा गया है।

प्रश्न संख्या ६५०

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव प्रसाद बंका

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६१

श्री शीशराम

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ६२६ का आपकी आज्ञा हो तो जवाब दिलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यस।

शाहपुरा सर्किट हाउस में रजाइयों की चोरी

६२६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा पूछा गया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) शाहपुरा सर्किट हाउस उदयपुर डिविज़न में १ अप्रेल सन् १६५२ से लेकर किस २ वर्ष में कितनी २ रज़ाइयां गुम हुई या चोरी गई ?

(२) क्या यह सही कि इन रजाइयों के गुम करने में एक गजेटेड अधिकारी भी दोषी पाया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी से रज़ाइयों की कीमत वसूल की गई ? यदि हां, तो कितनी ?

(४) क्या यह सही है कि इस मामले की जांच का क्या नतीजा रहा ? कीमत किसके हुक्म से और कब वसूल की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल आगे पूछा जा चुका है और उत्तर भी दिया जा चुका है। यह रेवेन्यू विभाग के पास है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : यह ज़िम्मेदारी नहीं है आपकी ?

श्री अध्यक्ष : सर्किट हाउस उनके पास है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

११.५७. म०पू०

स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : दो स्थगन प्रस्ताव हैं श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) तथा श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) ने दिनांक १२ मार्च, १६५६ को राष्ट्रदूत के जोधपुर स्थित संवाददाता तथा जोधपुर पत्रकार संघ के कोषाध्यक्ष, श्री लालमोहम्मद गजदर, को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर उन्हें हथकड़ी पहना कर बाज़ार में घुमाये जाने के सम्बन्ध में पृथक पृथक

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। यह मामला अदालत द्वारा वारन्ट जारी किया गया था उसके सम्बन्ध से पैदा होता है। इतना सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि सदन की आज की निर्दिष्ट कार्यवाही को स्थगित कर विचार किया जाय। अतः मैं उक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास।

११.५८ म० पू०

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्राक्कलित पूंजी एवं आगम आय तथा व्यय, १९५९-६० के विवरण का सदन की मेज पर रखा जाना

श्री रामकिशोर व्यास (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्राक्कलित पूंजी एवं आगम आय तथा व्यय (Copy of the estimated Capital and Revenue Receipts and Expenditure of the Rajasthan Electricity Board) १९५९-६० के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूँ।

११.५९ म० पू०

(विराम)

विधायी कार्य

पुरः स्थापित किए जाने वाले विधेयक

राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन विधेयक १९५९

(पुरःस्थापन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान डिस्कन्टीन्युएन्स ऑफ सेसेज विधेयक, १९५९

(पुरःस्थापन)

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास राजस्व मंत्री कीओर से) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्कन्टीन्यूएन्स ऑफ सेसेज़ बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

१२ म० प०

अनुदानों की मांगों पर मतदान
मांग संख्या २–राज्य आबकारी कर

(पूर्व क्रम से)

श्री अध्यक्ष : कल मांग संख्या दो पर बहस चल रही थी और एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया था कि बहस समाप्त की जाय, लेकिन वह प्रस्ताव गिर गया इसलिए मंत्री महोदय अपना उत्तर जारी रखेंगे । आशा है कि शीघ्र ही समाप्त करेंगे । उसके बाद मतदान होगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ मैं इस मांग के जवाब के सम्बन्ध में कहना चाहता था उसमें खास तौर से एक बात रह गई थी जिसकी तरफ सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं । मांग यह है कि कानून के ज़रिये जल्दी से जल्दी मद्य निषेध कर दिया जाय । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ जैसे कि मैंने कल बताया था, एक बिल तो सदन में पेश किया जा चुका है हालांकि वह काफी नहीं है टोटल प्रोहिबिशन का बिल भी पेश किया जा सकता है लेकिन सवाल यह है जो, सब के सोचने का है, कि महज कानून के बना देने से क्या इस प्रकार की बुराई रोकी जा सकती है, क्या हमेशा कानून का सहारा लेकर इस प्रकार की बुराईयों को रोकना संभव हो सका है । मेरा मतलब यह नहीं कि हम कानून नहीं बनाना चाहते हैं, कानून तो बनेगा ही इसके अलावा जब तक हम जनतम जाग्रत और शिक्षित नहीं करते महज़ कानून बनाकर, समाज में जो बुराई व्याप्त है उसको रोकना मुश्किल हो जायगा । कानून से हमेशा यह देखा गया है कि नई नई पेचीदगियां खड़ी हो जाती है । ज्यों ही हम एक बुराई का उपाय निकालते हैं उसमें से दूसरी बुराई पैदा हो जाती है इसलिये यह अच्छा है कि कानून बने लेकिन कानून बनने से पूर्व भी माननीय सदस्यों का, जैसा कि कल किसी माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था, कि अपने अपने क्षेत्र में इस नशाबन्दी के अनुकूल वातावरण पैदा करें । इससे मेरा मतलब यह है कि केवल शराब पीने वालों से ही नहीं बल्कि भंग गांजा आदि जितनी भी नशीली वस्तुयें हैं उनको पीते हैं । नशे की इन तमाम चीजों के लिये जनता से प्रतिज्ञा पत्र भरवायें जाय कि हम इनका सेवन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं इस बुराई को मिटाने का सब से अच्छा तरीका है । अगर हम इस तरफ प्रयत्न करते हैं और सार्वजनिक संस्थायें इस ओर प्रयत्न करती हैं तो कानून बनाने से पहले इस प्रकार की प्रतिज्ञा यदि करवा ली जाती है, उसका अरूर स्थायी हो सकता है । नहीं तो जैसा एन्टीकरप्शन विभाग हमने खोल रखा है फिर भी उससे सन्तोष नहीं है वैसी ही स्थिति तमाम कानून बनाने के बाद होती है । कानून मनवाने के लिये जो कानून का भंग होता है

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

उसके लिये नई मशीनरी खड़ी करनी पड़ेगी आज तो केवल ५७ लाख रुपया ही खर्च होने का सवाल है उससे भी ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू की तरफ ज्यादा ध्यान दें । मैं समझता हूं यह सही पहलू है ।

यदि पांच साल में ऐसा प्रोग्राम बना लिया जाय जिससे टोटल प्रोहिबिशन हो जाय, उसके मायने यह हुए कि इससे तीन करोड़ रुपये की स्टेट को जो आमदनी है, उसका एवरेज हमें पांच वर्षों में निकालना होगा, अर्थात प्रति वर्ष साठ लाख रुपये का घाटा हमें सहन करना पड़ेगा इसको भी हमें सोच कर चलना है । इस कमी को पूरा करने के लिये हमें या तो नये टैक्स लगाने पड़ेंगे या जो चालू खर्चा है, चालू योजनायें है उनमें कमी करनी होगी । इसके सिवाय दूसरा रास्ता और हो नहीं सकता । कल सदन में यह भी कहा गया कि साहित्य एकेडेमी, संगीत एकेडेमी के लिये जो रकम हम खर्च करते हैं उसमें कमी की जा सकती है । मैं समझता हूँ कि इसमें कमी करना मुश्किल है क्योंकि ये भी समाज के उन्नति के आवश्यक अंग हैं और यदि थोड़ी देर के लिये इसमें हम कमी करना स्वीकार भी कर लें तो आखिर जाकर दस पांच लाख से ज्यादा बचत हो नहीं सकती । देखिए इसी प्रकार पिछले साल भी हमने अपने प्रशासन खर्च में कमी करने की कोशिश की थी और उसमें तीस लाख रुपये की कमी करनी थी लेकिन वह हम नहीं कर सके । बीस लाख रुपये की कमी हम इस साल कर सके हैं । जो आपने कहा वह एकाएक हो नहीं सकता उसमें कमी हम एक बारगी नहीं कर सकते । आज आपको मालूम है कि जब किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकी तो हमें मजबूर होकर यात्रियों पर नया टैक्स लगाना पड़ा । कोई भी शासन बचत करके यदि घाटे की पूर्ति हो सकती है तो पहले वह करता है टैक्स लगाने की ज़िम्मेदारी कोई भी पसन्द नहीं करता । ऐसी स्थिति में हमें थोड़ी सी रकम के लिए टैक्स लगाना पड़ा । फेंसिंग हमें साठ लाख रुपये का करना है, उस साठ लाख की कमी को पूरा करने के लिए या तो हम नये टैक्स लगायें या कोई बचत की बात की जाय । इसके लिए भी मैं माननीय सदस्यों के सहयोग की प्रार्थना करूंगा और उससे आशा करूंगा कि हमने जो इसके लिये कमेटी बना रखी है उसमें आप भी अपने सुझाव दें कि हम किस प्रकार की कमी कर सकते हैं । सरकार हमेशा तैयार है । आप जो भी सुझाव उचित समझें कमेटी के सामने पेश करें । मुझे कहना पड़ता है कि हमने कमेटी बनायी है लेकिन जब कभी कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें गैर सरकारी सदस्य बहुत ही कम उपस्थित होते हैं, सरकारी सदस्य और मंत्रीगण उसमें हमेशा उपस्थित रहते हैं । जब इस प्रकार की कमेटियां बनती हैं और आपसे सहयोग की आशा की जाती है तो आपकी ओर से इसमें कम दिलचस्पी प्रदर्शित की जाती है । प्रकृत्त कार्य में दिलचस्पी कम लेते हैं और सरकार पर ही जोर डालते हैं । आपकी मांग है कम से कम इस प्रश्न पर तो इस तरफ और उस तरफ बैठने वाले यहां के सभी सदस्य एक मत के दिखाई देते हैं इससे हमें एक विशेष बल मिलता है । लेकिन जहां कमेटियों में सहयोग का प्रश्न आता है, लोकमत के शिक्षित करने का प्रश्न आता है, सदन के माननीय सदस्य कम

(श्री हरिभाऊ उध्याय)

दिलचस्पी लेते हैं। तो यह ख्याल पैदा होता है कि हम लोग शायद सरकार पर ही दबाव डाल कर, उससे अपना कर्तव्य पूरा हो गया, यह मान लेते हैं। यह उचित नहीं। इसके दूसरे पहलू की तरफ भी आप ध्यान देने की कृपा करें।

अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें टोटल प्रोहिबिशन हम लागू नहीं कर सकते तो बीच की स्थिति में से होकर गुजरना पड़ेगा इसमें दो मुख्य कठिनाइयां आती हैं। एक तो यह है कि जैसा कि इस का प्रचार बढ़ रहा है जो आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि शराब खोरी और नशीली चीज़ों का प्रयोग कम हो। लेकिन हम जो नतीजा देखते हैं इससे आमदनी बढ़ रही है और खपत भी बढ़ रही है। यह ज़रूर है कि एक हिस्से में इसकी कमी हुई है वह है हरिजनों आदि में जिनकी तरफ खास तौर से इशारा किया जाता है। राजपूत जाति में भी इसकी कमी हुई है, लेकिन विद्यार्थियों में यह बीमारी बढ़ रही है। जिन किसान जाति में यह प्रचलित नहीं थी वे लोग पीने लग गये हैं माली हालत उनकी अच्छी हो गये है, मैं उन जाति का नाम लेना नहीं चाहता। उन किसानों में यह बुराई बढ़ रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको ऐसा करने से रोकें। यहां अंग्रेजी शिक्षा आयी, अंग्रेजी हकूमत आयी और उसके साथ साथ अंग्रेजी सभ्यता भी आई और ऐसे वाहनों का आविष्कार हुआ जिसके कारण सारी दुनियां से सम्पर्क हो गया। हिन्दुस्तान ही केवल एक ऐसा देश था जिसमें नशीली चीजों का आम प्रचार नहीं था या कम था। हिन्दुस्तान के बाहर तमाम देश जैसे चीन अफीम के लिये और शराब के लिये तमाम विदेशी देश प्रसिद्ध है वहां तो यह मान्य माना जाता है। उन्हीं के सम्पर्क का यह नतीजा हुआ कि हमारे यहां पर शराब और शराबियों के प्रति जो तिरस्कार की भावना विद्यमान थी वह खत्म हो गई....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जो शराबी थे वे तो इस देश से चले गये फिर भी यह बन्द क्यों नहीं हो रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष,एक बड़ी भारी शक्ति हमारे देश में चारों तरफ से सारे संसार से आई जो हमको शराब खोरी के रोकने में कमज़ोर बनाती हैं। उस मनोवृत्ति से हमें लड़ना है। उसके लिये कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। शराब पीना आज की सोसाइटी में अच्छा माना जाता है, इसलिये अगर पीते हैं, कुछ तो मजबूरी की हालत में भी पीते हैं। माननीय सदस्य ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों पर रोक लगा दी जाय। मेरा उनसे निवेदन है कि केवल सरकारी कर्मचारियों पर रोक क्यों लगायी जाय उन्होंने ऐसा क्या कसूर किया है। हमें रोक लगानी है तो सब पर रोक लगानी होगी, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि चारों तरफ का वातावरण ऐसा है जो मज़बूर करता है और यह हमें सम्मानित पद देता है तो उसके साथ लड़ने में काफी परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस पक्ष में हूं और मेरा वश चले तो सचमुच ही पार्टी में और इस चुनाव में, नियमों में डलवा दूं कि जो भी नशा करता है उसको वोट देने का अधिकार न रहे और कम से कम उसको खड़ा होने का अधिकार न रहे।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मैं इसके पक्ष में हूं। अगर मैं डिक्टेटर होऊं तो सरकारी अधिकारियों को जो शराब पीएं मैं अलग कर दूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऐसी चीज़ के लिये डिक्टेटर बना दें तो हमें दुख नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पर डिक्टेटर का जमाना चला गया। यह जमाना डिक्टेटर के ज़माने से अच्छा है। इस प्रजातन्त्र में हमें मौका मिलता है, हरएक नागरिक को समझाने का, शिक्षित करने का और उसकी राय बनाने का। यह पुख्ता चीज़ है चाहे इसमें देर लगे और देर लगने देने में नुकसान नहीं है, बशर्ते कि हम काम करते रहें। प्रजातन्त्र की सफलता इसी बात पर अवलम्बित है कि हम हरएक नागरिक तक पहुँचे और उसको सब जानकारी दें, उसको शिक्षित करें। पर हम कब जाते हैं, चुनाव के वक्त।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, डिक्टेटर का जमाना फिर आ रहा है दुबारा।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा निवेदन है कि भारत में अव्वल तो आवेगा नहीं और....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : अभी माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि हरिजन और राजपूत ही क्या, आज तो सभी वर्ग के लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यही तो कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं। मैंने आपकी ताईद की है।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर) : जिन प्रान्तों में इसका कानून बनाया गया, वहां क्या हालत है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुरारजी भाई, जिनको मैं आदर की दृष्टि से देखता हूँ जिन्होंने खुद ने इसके लिये बम्बई में लागू करने में काफी परिश्रम किया, अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री होते तो मैं नहीं समझता कि वे यहां क्या करते, क्योंकि बम्बई ऐसा प्रदेश रहा है जो तमाम प्रदेशों की नाक समझा जाता है, क्या सामाजिक और क्या राजनैतिक सुधार, इन सबमें वह अग्रगण्य रहा है। उसी बम्बई प्रान्त में गांधीजी ने अपना पहला आश्रम खोला और जहां गांधीजी का कम असर नहीं था, ऐसी दशा में भी उनके लिये इस नशा बन्दी को लागू करने में कम कठिनाई नहीं हुई है। इतना सब हो गया पर फिर भी उनको काफी कठिनाइयों का सामना आज भी करना पड़ रहा है। तो बम्बई प्रदेश की प्रगति का अपने प्रदेश की प्रगति से मुकाबला करिये और फिर जब से मैं यहां आया हूं अभी तो मैं दो साल का बच्चा भी नहीं हुआ हूं, फिर भी....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप बच्चे हैं तो बैठ जाइये।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ६० साल के हिसाब से तो मैं दो साल का बच्चा हूँ।

Page No.36

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर सु.) : जिस तरह दा साहब फरमा रहे हैं, विनोबा भी फरमा रहे थे कि मैं एक वर्ष का हूं।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : बड़ी सुन्दर खबर सुनाई आपने।

भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : फिर दा साहब कैसे हो गये ?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पिछले जन्म की बात है यह तो। अब तो बाल साहब हूँ।

(हंसी)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे ही प्लानिंग कमिशन की मद्य निषेध कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई १९५५-५६ में, तो फौरन ही अपनी स्टेट की तरफ से एक बात को छोड़कर सभी बातों को मन्जूर कर लिया और यह कहा कि हम तीसरी योजना के प्रारम्भ में और दूसरी योजना काल के अन्त तक इसको प्रारम्भ कर देंगे। इससे पहले नहीं। जैसा कि वे कह रहे थे कि १९५८ में टोटल प्रोहिबिशन का टार्गेट रक्खो। इस पर हमने यही कहा कि दूसरी योजना के अन्त तक नहीं कर सकेंगे। और इसको मद्दे-नज़र रखते हुए यहां की सरकार ने ५८ में एक कमेटी बैठा दी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो दूसरी योजना खत्म नहीं हुई है। इस पर भी एक बिल आ गया है जिसमें ऐसा प्रावधान आया है जिसमें कहा गया है कि इससे जल्दी की जावे। जल्दी तो की जा सकती है। पर आज वह मुनासिब नहीं होगा। फिर भी जैसा अर्ज किया, इस बारे में एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में आप माननीय सदस्य भी दिलचस्पी लें, उसके सामने अपने विचार और सुझाव रखें और अगर कमेटी उससे कनविंस हो जाती है और गवर्नमेन्ट को रिपोर्ट देती है कि यह इसका तीन करोड़ रुपया फेंकना है, कुंए में फेंकना है, अब एक साल में उसे फेंको, पांच में फेंको या दस में फेंको। यह रुपया फेंक दिया। अब फेंकने के बाद क्या करना है ? इसकी कैसे पूर्ति करनी है। इसमें भी आप अपने विचार दीजिये, सुझाव दीजिये। कमेटी की इस काम में आप मदद करें यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

सरकार इस तरफ कम उत्सुक नहीं है, यह मैं आपको अच्छी तरह से निवेदन कर देना चाहता हूं और मैंने आपको बताया कल, और आज भी समझा देना चाहता हूं....

श्री दलीपसिंह (बारां): आप साधु सेवक समाज से सहयोग क्यों नहीं लेते क्योंकि उनका जनता पर प्रभाव है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह ध्यान में है। पर मुश्किल यह है कि जो हम कहते हैं, सरकार से कहते हैं। सरकार आप भी हैं और आप कहेंगे तो सरकार करेगी इसमें भी शक नहीं। पर सरकार आपकी होने के साथ सारी ज़िम्मेदारी आप की है। तो ऐसी दशा में जो काम आप खुद अपने परिश्रम से करके लोगों के अन्दर एक फ़िज़ा पैदा कर सकते हैं, वह ज्यादा स्थायी है। सरकार के प्रयत्न इतने स्थायी नहीं हो सकते। सरकार आज एक पार्टी की है, कल से दूसरे की हो सकती है। कल से, ईश्वर न करे, और संभव

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

भी नहीं है । कम्यूनिस्ट पार्टी आ गई तो क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि टोटल प्रोहीबिशन हो जावेगा, नहीं होगा। मैं एक बात बता रहा हूं। मैं मन्त्री हूँ, मेरे लिये कह सकते हैं गांधीवाद का अनुयायी हूं पर कल दूसरा आ जावे तो, मेरे से ज्यादा तेज़ी से करने वाला या ढीला भी आ सकता हैं इसलिये सरकार पर ज्यादा दारोमदार रखना, यह ठीक नहीं है। पांच साल में गुजरने वाली चीज़ है यह, कायम भी रह सकती है, नहीं भी रह सकती है पर हरएक वोटर नागरिक रहने वाला है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : राम राज्य की सरकार बन जावेगी तो फौरन बन्द कर दी जावेगी।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, रामराज्य जब था तब भी लोग शराब पीते थे। पुराने इतिहास में जाकर मैं आपका कीमती समय लेना नहीं चाहता।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : गांधीजी महाराज का भी रामराज्य का ही सपना था।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : वह रामराज्य अलग तरह का था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो यह नहीं, चाहता अध्यक्ष महोदय कि हमको ऐसी अवस्था में इस तरह से जल्दी में कुछ करना पड़े जिसमें कि पूरी पुलिस की शक्ति बढ़ानी पड़े, वे अगर ठीक निगरानी न करें तो उसकी निगरानी के लिये अलग से और कुछ व्यवस्था करनी पड़े और फिर चोरी करने वाले को पकड़ना मुश्किल हो जावे या फिर पकड़ने के लिए और सोर्स लगाया जावे तो इससे अधिक अच्छा है कि नागरिकों में ज़िम्मेदारी की फ़िज़ा पैदा की जावे, जैसे चोरी करने वाले के प्रति है। लोगों को अगर पता लग जावे कि यह चोर है तो लोगों की उसके प्रति निगाह बदल जाती है पर अगर यह पता भी लग जावे कि यह शराबखोर है तो निगाह नहीं बदलती। तो जरूरत आज यह है कि ऐसा वातावरण पैदा किया जावे कि जिसमें शराबखोर सम्मान के साथ नहीं निकल सके। आप और हम इसको कर सकते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आखिर में निवेदन करना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जितने प्रेम के साथ आपने मेरे वक्तव्य को सुना, मेरे प्रति व्यक्तिगत रूप से कुछ तेज भाषा भी प्रयोग की गई क्योंकि राजस्थान सरकार प्रगतिशील सरकार है, जिसको कुछ आशाएं हैं, कुछ हौसला है जो चाहती है कि राजस्थान का नव निर्माण हो, ऐसी सरकार के वित्त मन्त्री से जो उम्मीद रखते हैं वो वाजिब है और वे पूरी नहीं होती हैं तो उनकी शिकायत करने को और नाराज़ होने को मैं वाजिब मानता हूं। इसके साथ ही इस सरकार पर दबाव डालना, प्रभाव डालना, आग्रह करना आपका कर्त्तव्य है, हरएक का है, इसको मैं तस्लीम करता हूं, पर साथ ही दूसरी साइड पर भी ध्यान देने की कृपा करें। इतने निवेदन के बाद मैं आशा करता हूं कि इस पक्ष के जो सदस्य हैं वे तो अपने कट मोशन वापिस लेने की कृपा करें जैसा कि उन्होंने कहा कि वे तो कट मोशन वापिस लेंगे ही, पर मुझे बड़ी खुशी होगी कि उस साइड के अपने मित्र भी अगर अपने, मेरे इतने विवेचन और निवेदन

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

के बाद, कट मोशन्स वापिस ले लेंगे तो निहायत खुशी होगी और इस प्रोहिबिशन के काम को जल्दी करने में नव प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कट मोशन्स वापिस लेने से बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इसको तो आप ही कहो ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आश्वारिष्ट के बारे में आपने कुछ नहीं बताया ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अपने यहां का विषय नहीं है । यह केन्द्रीय विषय है और अपने क्षेत्र के बाहर की चीज़ है इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते ।

डॉ० बहादुरसिंह : जहां आपके ड्रग्स रूल्स हैं वह भी तो केन्द्रीय विषय है उसको भी तो आपने किया है, क्या इसको आप नहीं कर सकते इस प्रकार से ? आपसे ज्यादा तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हिम्मत दिखाई है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं आपको एक बात और निवेदन कर दूं । आमतौर पर प्रजातंत्र में जो कर लगाये जाते हैं उनको मुक्त उसी दिशा में कराना चाहिए जब कि बिलकुल अनिवार्य हो और कोशिश यही होनी चाहिए और मैं माननीय सदस्यों से यह उम्मीद करता हूं कि कोई कर का प्रपोज़ल हो, तो उसके लिए लोगों को समझाया जाये कि नहीं कर देना अनिवार्य है । माननीय सदस्य इस बात पर ज़ोर देते हैं कि कर से मुक्ति दी जाये तो मैं वित्त मंत्री होने के नाते यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों का सहयोग इस ओर हो कि कर का बजट ज्यादा से ज्यादा बढ़े । अब अगर शराबबन्दी को लागू करेंगे तो उससे जो घाटा होगा उसको भी तो कहीं से पूरा करेंगे । अगर राजस्थान सरकार इसके बारे में कुछ कर सकती है तो अवश्य करेगी । मैं इस समय ऑफ हैंड तो कुछ नहीं कह सकता ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अगर देखा जाता है तो कल उस तरफ के जो माननीय सदस्य हैं वे वन एण्ड ऑल इस प्राहिबिशन का पक्ष लेते हैं और उन्होंने वित्त मंत्री जी की राय से मुख्तलिफ अपनी राय दी है तो ऐसी स्थिति में वह कल की तरह से पीछे नहीं खिसकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहें वे ले सकते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : I beg leave, Sir, to withdraw my cutmotion.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह, श्री रामेश्वरदयाल, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी और श्री सूबेदारसिंह

(श्री अध्यक्ष)

ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री रामेश्वरदयाल : I withdraw my cut mot on.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सूबेदारसिंह : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री मोहरसिंह, श्री जगदीशप्रसाद माथुर, डॉ० चन्द्रकला, श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गए ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २ स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

(विराम)

मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४०-कृषि

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूँ कि इस मांग पर बहस ४ बजे तक चलेगी और उसके बाद में मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे और वह उत्तर ४॥ बजे तक चलेगा । उसके पश्चात गुलेटिन लगा कर जो शेष बची हुई मांगें हैं उन पर मतदान किया जायेगा और उसके बाद में एप्रोप्रियेशन बिल प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०-कृषि के सम्बंध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, २४, २७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ इस पर कुल कटौती के प्रस्ताव ३७ हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि संक्षेप में ही अपने प्रस्तावों के बारे में बोलें ।

[इस मांग पर निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री शिवचरणदास प्रस्ताव करेंगे कि:
"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १००) रु० तक की कटौती की जावे (बीज वितरण में हो रही अनियमितताओं पर विचार करने हेतु)"

श्री रामेश्वरदयाल प्रस्ताव करेंगे कि:
"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (कोटा डिविज़न में कृषि शिक्षा को समुचित प्रोत्साहन देने पर बहस करने के लिये)"

"the Demand No. 18-Major Head 40 Agriculture be reduced by Rs. 100/-(to discuss the questihns of

Page No.40

(श्री अध्यक्ष)

soil conservation in Kotah Division).'

"the Demand No- 18-Major head 40 Agriculture be reduced by Rs. 100/ (to discuss the eucouragement for using the improved modern methods of agriculture)."

मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १००) रु० की कटौती की जावे (सरकारी फार्मों की अनुत्पादकता (unproductivity) पर विचार करने हेतु)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (खाद्य की अव्यवस्था पर बहस करने के लिये)"

रावल श्री नरेन्द्रसिंह प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १००) रुपये की कटौती की जावे (जोबनेर कृषि कॉलेज की अव्यवस्था पर वाद विवाद हेतु)"

श्री शिवनाथसिंह प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्ष ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (बीज के वितरण में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)"

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी कि : "मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (नगर के लिये खाद बनाने की योजना पर वाद विवाद करने के लिये)"

"मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (ग्राम तालाबों के विकास के लिये आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (राजस्थान भूमिगत जल समिति पर विचार करने के लिये)"

"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (कृषि कॉलेज जोबनेर के संबंध में विचार करने के लिये)"

"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (ग्रामस्तर कार्यकर्त्ता युवक कार्य कलाप आयोजना के सम्बंध में विचार विनिमय करने के लिये)"

"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (संपरीक्षात्मक प्रक्षेत्र के सम्बंध में विचार करने के लिये)"

"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि शिक्षा की व्यवहारिकता के सम्बंध में वाद विवाद करने हेतु)"

"मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (कृषि प्रदर्शन, प्रदर्शिनी के संबंध में विचार करने के लिये)"

"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को

(श्री अध्यक्ष)

कृषि का व्यवहारिक ज्ञान हो एवं उन्हें कृषि कार्यों में सक्रिय रूचि लेना चाहिये इस सम्बंध में विचार करने के लिये)"

श्री तेजाराम गहलोत प्रस्ताव करेंगे कि : "Demand No. XVIII Major Head 40 Agriculture be reduced by rupee one (to discuss the defective system of distribution of seed to the cultivators)"

Demand No. XVIII Major Head 40 Agriculture be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government to have survey of agriculture development in Rajasthan)"

श्री पी० के० चौधरी प्रस्ताव करेंगे : "Demand No. XVIII Major Head 40 Agriculture be reduced by Rs. 1/-to discuss :

(i) (the inadequacy of the market intelligence schemes),

(ii) (the failure of the soil conservation schemes to immobilise the spread of Rajasthan desert).

(iii) (the inadequate development of Agricultural marketing organisation),

(iv) the working of the Rajasthan Under-ground Water Board),

(v) (the working of Experimental Farms),

(vi) (crop cutting schemes),

श्री बालमुकुन्द प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (डूंगरपुर में कृषि उत्पादन के साधनों को बढ़वाने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

"मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (बीज के वितरण पर बहस करने हेतु)"

श्री गिरधारीलाल प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (संपरीक्षात्मक प्रक्षेत्र पर हो रहे खर्च पर वाद विवाद करने हेतु)"

श्री रामकरणसिंह प्रस्ताव करेंगे कि: "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (खार वाली ज़मीन को उपजाऊ बनाने में विभाग सफल नहीं हुआ इस पर वाद विवाद करने हेतु)"

"मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि मे एक रुपये की कटौती की जावे (फसलों में लगने वाले रोगों की रोक थाम के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

श्री सूबेदासिंह प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (कृषि विभाग की बीज वितरण की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)"

श्री लच्छूराम प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (ज़िला कृषि

(श्री अध्यक्ष)

अधिकारियों द्वारा जीप का दुरूपयोग पर विचार करने हेतु)"

"मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (बीज वितरण की दूषित प्रणाली पर विचार करने हेतु)"

श्री मोहरसिंह प्रस्ताव करेंगे कि :
"मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (बीज वितरण में अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)"

"मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (नालागढ़ प्रशाकीय कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार करने के लिये)"

"मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १) रुपये की कटौती की जावे (चूरू ज़िले में अब तक कृषि फार्म नहीं शुरू किये जाने पर विचार करने हेतु)"

श्री लक्ष्मण हीरात प्रस्ताव करेंगे कि:
"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (उदयपुर डिविजन के कृषकों को बढ़िया बीज नहीं दिया गया उस पर विचार करने हेतु)"]

श्री शिवचरणदास

श्री शिवचरणदास (मांडल) अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है यद्यपि वह बीज वितरण में हो रही अनियमितताओं पर विचार करने हेतु है। लेकिन इसमें थोड़ा सा उन बातों का भी जिक्र करना जरूरी हो जायगा जो कि इससे संबंधित हैं। मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :

"मांग सं० १८, मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १००) रु० की कटौती की जावे (बीज वितरण में हो रही अनियमितताओं पर विचार करने हेतु)"

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे देश और राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा भार है। जब इसी विषय में हमारी बनाई हुई योजनायें और कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चलें तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के संचालन और हमारे राज्य संचालन में बहुत गड़बड़ी आ सकती है। बीज, खेती का वह आवश्यक और ज़रूरी अंग है कि यदि इसको ठीक ढंग से वितरण नहीं कर सके तो खेती ही हमारी कामयाब नहीं हो सकती और जब खेती कामयाब नहीं होगी तो जो हमारा मूलभूत आधार है वह प्रायः समाप्त सा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्बन्धित मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यद्यपि हमने कई कार्यक्रम इस पर बनाये और कानूनी पतिबंध भी लगाये हैं और उनके द्वारा यह चेष्टायें की हैं कि हम बीज को अधिक से अधिक और सुचारू रूप से वितरण कर सकें लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि बजाय इसके कि हम इसको अच्छे ढंग से वितरण करें इसके अन्दर कई तरह के घोटाले होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो जो बीज

Page No.43

(श्री शिवचरणदास)

हमारी सरकार की तरफ से दिया जाता है वह उतना अच्छा और ताजा नहीं दिया जाता है। उसके कारण कई जगह देखा गया है कि वहां खेतों के उगाने के बाद भी वह बीज नहीं उगता है और जब नहीं उगता है तो किसान एक तो खेती से वंचित रह जाता है इसका नुकसान तो उसको होता ही है लेकिन एक बीज को भी वापिस देने का भार उस गरीब किसान पर पड़ता है । उसके साथ साथ जो हमारी एक पॉलिसी है अधिक अन्न उपजाओ उसमें भी बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्रीजी इसकी तरफ ध्यान देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा है कि इसमें अन्य भी कई प्रकार की, हमारे सम्बन्धित कर्मचारी, परिस्थितियां इस प्रकार की पैदा करते हैं कि जिससे हमारे देहाती किसान और वह अशिक्षित और गरीब किसान जो कि कई वर्षों से तानाशाही की चक्की में पिसते हुए चले आ रहे हैं जिनकी आत्मा बिल्कुल मरी हुई है, जिनका मन मरा हुआ है, जिनका आज हम विकास करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। अध्यक्ष महोदय, जो बीज दिया जाता है उसमें यह देखा है कि जिनके द्वारा बीज दिया जाता है वह एक ऐसी रूढ़ी है कि बोरियां वह दे दी जाती हैं वह तुलकर नहीं दी जाती हैं। एक मोटा नाप वहां के कर्मचारियों का बनाया हुआ है और वह यह कि इस तरह की बोरी में इतना अनाज आता है चाहे वह कम हो और अक्सर ऐसी नजीरें सामने आई हैं कि बोरियों में अनाज पूरा नहीं होता है उसको जब वितरण करते हैं तो उसकी जो कमी है उस कमी को उन काश्तकारों से वसूल किया जाता है और यह कह कर कि अनाज हमारी बोरियों में कम आया है और हमें वापिस देना पड़ेगा इसलिए इस घाटे को हमें विभाजित करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह अव्वल में तो जो बोरियां हमारी आती हैं वे पूरी आनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं हो तो उसे पूरा तौल के साथ उस घाटे की पूर्ति या उस घाटे की क्षति हमारी सरकार को अपने पर लेनी चाहिए न कि हम उस काश्तकार के ऊपर डालें। इसके साथ ही साथ यह भी देखा है कि जो बीज दिया जाता है उस बीज को जब काश्तकार वापिस देने के लिए आता है तो हमारी सरकार के कर्मचारियों के सामने ऐसी बातें आती हैं कि यह कहा जाता है कि यह बीज वह नहीं है जो हम यहां से ले गये थे।

इसके कई एक कारण हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक यह भी कारण हो सकता है कि बीज के कमज़ोर होने का सबब हो सकता है कि फसलों की पैदावार में कुछ कमज़ोरी रही, जिससे उस तरह का बीज नहीं हो सका। इस प्रकार यह भी कमी हो सकती है, अध्यक्ष महोदय, कि उसका आधार ज़मीन के ऊपर भी होता है, पानी के ऊपर भी होता है, और ऐसा अनुभव भी हमारे सामने आए हैं कि हमने किसी भी तरह के अच्छे बीज को लाकर हमारी ज़मीन में बोया है और यदि वह जगह उसके लिए उपयुक्त नहीं होती है तो उसकी पैदावार उसके मुताबिक नहीं हो सकती, तो वह किसान किस तरह से बीज के रूप में वह दे सकता है। जब कि जिन ऐसी बातों के लिए, काश्तकार की जिन कठिनाइयों के लिए काश्तकार को अपनी तरफ से बीज वितरण करना चाहते हैं, वह कठिनाइयां दूर नहीं होती हैं, और मजबूर होकर उसको पैसा और कीमत जमा

(श्री शिवचरणदास)

करानी पड़ती है। लेकिन कीमत जमा न करने में, अध्यक्ष महोदय, आज किस प्रकार की आपत्तियां आती हैं, रोकड़ देना पड़ता है, आज रोकड़ उनके पास में नहीं है । उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि एक मुश्त व उस रकम को जमा करा सकें । खलों में से वह अनाज दे सकता है लेकिन कीमत अदा नहीं कर सकता है, और हमने उसको इसी लक्ष्य से बीज वितरित किया है कि जो कठिनाइयां हमारे काश्तकार के सामने हैं उनका निराकरण करें और वह निराकरण वास्तविक रूप में हो नहीं पाता है। खेती को बढ़ाने के लिए सरकार बीज वितरण की ज़िम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती है।

इसके साथ साथ और भी कई किस्म की चीज़ें हैं। उन किसानों के लिए केवल बीज की ही नहीं। जहां खाद देते हैं, तो खाद में इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, कर्मचारियों की तरफ से काफी असुविधाएं उनके सामने आती हैं। वित्त मंत्री महोदय के भाषण के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था, माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, जिसका करेड़ा में हुई एक घटना से उसका ताल्लुक है । वहां से उसने खाद लिया और खाद की कीमत १४) रुपए और कुछ पैसे थी उस हिसाब से ३६) रुपए और कुछ पैसे उसको देने चाहिये थे। बजाय उसके उन्होंने ५०) रु० उस गरीब काश्तकार से लिये हैं और उसकी जो रसीद दी उसमें उन्होंने यह लिख दिया, उस रसीद की भाषा यहां मैंने पढ़कर सुनाई भी थी, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जब अपना उत्तर दिया तो उस वक्त मुझे उस भाषण में इसका कोई जवाब नहीं मिला, उसमें उन्होंने केवल रसीद में यह लिख दिया कि अभी तक तुम्हारे से खाद के पैसा बकाया नहीं है। उसमें यह जिक्र नहीं कि इतने खाद की इतनी कीमत के इतने पैसे जमा हो गये। रसीद का नम्बर नहीं, न मिती और न तारीख है। इस तरह के घोटाले होते हैं। यह हमारी कृषि और खेती की उन्नति में बहुत बड़ा बाधक है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे और खास तौर से जो मैंने आपके सामने घटना रखी है उसके लिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारी इस खेती के लिए जो कीटाणुओं को मारने की चीज़ होती है वह भी इस प्रकार से वितरित की जाती है। अव्वल तो वह समय पर नहीं दी जाती है और जब समय निकल जाता है तो उसके बाद औषधियां आती हैं और कई अर्से तक पड़ी रहती हैं, उसके कारण से वह कमज़ोर हो जाती है और जब दूसरा मौका आता है तब उस मौके पर वितरित की जाती है और इस तरह से उन फसलों का फायदा उठा लेते हैं और वह मर नहीं पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं साथ ही यह भी संकेत करूंगा जो जन लेखा समिति में जो कई प्रकार की कृषि विभाग की अनियमितताएं उनके सामने आई हैं, हिसाबों की गड़बड़ियां आई है । उसके लिए यह देखने को मिलता है कि हमारी सरकार ने उनके हुए घोटालों का सही रूप में उत्तर नहीं दिया और आज तक भी उसका उत्तर नहीं है। मैंने एक आश्वासन समिति की रिपोर्ट भी देखी है उसमें भी कुछ ऐसा संकेत

(श्री शिवचरणदास)

है कि आज दिन तक हमारी सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए गये थे उनको पूरा नहीं किया गया है और जो जन लेखा समिति ने जो घोटाले और हिसाब में गड़-बड़ियां हुई हैं उनको भी सरकार की तरफ से साफ नहीं किया गया है। उन पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो यह सारी चीज़ें इस प्रकार की हैं कि जिस लक्ष्य पर हम पहुँचना चाहते हैं, जिस लक्ष्य और जिस मन्ज़िल पर इस खेती के अन्दर पहुँचना चाहते हैं, और जिस खेती के आधार पर हम अपनी दिक्कतें दूर करना चाहते हैं, यदि मूलभूत उसी खेती में इस प्रकार की गड़बड़ियां और घोटाले हों तो फिर यह आशा रख कर चलें कि कुछ तरक्की कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कुछ इसमें शंका होती है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके द्वारा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम यह हमारा मूलभूत आधार जो आपके हाथ में है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे मंत्रीजी जो कि किसान वर्ग में से हैं और जब आपके हाथों में यह विभाग आया तो इसकी हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता और विश्वास था कि कम से कम ऐसी गड़बड़ियां नहीं होंगी, फिर भी आज ऐसी गड़बड़िय होती हैं तो या तो उसका कारण यह हो सकता है कि आप ध्यान कम देते हैं, और यदि आपका ध्यान पहुंच जाता है तो आप उसकी पूर्ति करने में, साफ करने में मज़बूर हैं। इसलिए आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप कम से कम ऐसी गड़बड़ियां जो बराबर इस विभाग में होती हैं, उस पर पूरा ध्यान देंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर सकें तो एक दिन वह हो कि बजाय हमारी खेती का विकास करें, हमें बहुत घाटा हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर दयाल।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०, कृषि के संबंध में मेरे कुल कटौती के प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

१) "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४० कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय। (कोटा डिविजन में कृषि शिक्षा को समुचित प्रोत्साहन देने पर बहस करने के लिए)"

2) "The Demand No. 18, Major Head 40-Agriculture be reduced by Rs. 100/- (to discuss the Soil Conservation in Kotah Division)"

3) "The Demand No. 18, Major Head 40-Agriculture be reduced Rs. 100/- (To discuss the eucouragement for using the improved modern methods of Agriculture."

४) "मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०, कृषि में १००) रु० की कटौती की जावे (सरकारी फार्मों की अनुत्पादकता पर विचार करने के लिए)"

इस विचार से सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि इनके द्वारा राज्य सरकार की राज्य के महत्वपूर्ण और बुनियादी समस्या के प्रति उपेक्षापूर्ण और उदासीन नीति के सम्बंध में वाद विवाद किया जाय।

(श्री रामेश्वरदयाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी महत्वपूर्ण समस्याओं का संबंध है, हमारे देश के सामने और राज्य के सामने केवल एक बुनियादी समस्या है और वह है कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की। कृषि के उत्पादन बढ़ाने के संबंध में प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी जोर दिया जाकर इसको प्राथमिकता दिए जाने का निर्देशन दिया गया था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस संबंध में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। खाद्यान्नों के लिए ८.१३ लाख टन, कपास के लिए २.६५ लाख गांठें, गन्ना १.१ लाख टन। तिल आदि २.४३ लाख टन। तो इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आज उनको प्राप्त करने का प्रश्न है और उत्पादन को बढ़ाने का प्रश्न है राज्य के सामने और सारे देश के सामने एक बहुत गंभीर खाद्य संकट भी है और यह संकट हम खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाकर हल कर सकते हैं या इसका समाधान कर सकते हैं। तो कृषि के उत्पादन को और खास तौर से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रश्न है।

इसके अतिरिक्त आज हम औद्योगिक विकास के दरवाजे पर भी खड़े हुए हैं इसलिये ऐसी तिजारती चीजों का उत्पादन बढ़ाने का भी प्रश्न है जिसके द्वारा हम औद्योगिक विकास को आगे ले जा सकें। अपने प्रान्तीय कारखानों के लिये ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल तैयार करवा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्पादन की वृद्धि का प्रश्न तभी सम्भव हो सकता है जब कि हमारे किसान नये तरीके के सुधरे हुए बीज, खाद और यन्त्रों द्वारा खेती की प्रणाली को अपनावें। यह तभी सम्भव हो सकता है जब खेती की शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार किया जाय। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि अधिक से अधिक ज़मीन खेती के योग्य बनाई जाय और उसमें खेती की जाय। यह उत्पादन का प्रश्न हमें एक दूसरे प्रश्न की तरफ ले जाता है और वह है भू संरक्षण का प्रश्न और उसको कार्यान्वित करने वाला काम सोइल कंजर्वेशन की तरफ ले जाता है। सोइल कंजर्वेशन के द्वारा ज़मीन प्राप्त होगी तो एक बहुत बड़ी समस्या जो भूमि हीन किसानों को ज़मीन दिलाने का प्रश्न है वह भी पूरा होता है, यह भी समस्या हल होती है। इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न इसके हाथ जुड़ जाता है और वह यह है कि लोग सरकार से कुछ प्रेरणा लें। सरकार व्यवहारिक रूप से और प्रदर्शनिक तरीके से, डिमोन्सट्रेटिव तरीके से, लोगों को आधुनिक उपकरणों का प्रयोग सिखावें और उनकी उपयोगिता बतावे तो उसके द्वारा लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। उन तरीकों को अपनावें तो उससे काफी भला हो सकता है। इससे चौथे प्रश्न की तरफ ध्यान जाता है, वह है गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स चल रहे हैं, राज्य में तरह तरह के हर हिस्से में उनकी व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है। तो मुख्य प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन का है और उसके साथ तमाम प्रश्न जुड़े हुए हैं और बाकी उसकी शाखाएं हैं और एक मोटे मुद्दे पर आधारित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है और उसमें ८० पर्सेन्ट लोग खेती पर निर्भर करते है और अपना जीवन निर्वाह खेती के द्वारा करते हैं, तो आज कृषि

(श्री रामेश्वरदयाल)

के विकास का जो प्रश्न है वह हमारे राज्य की खुशहाली और प्रगति का प्रश्न है और यदि हमारे राज्य में कृषि का विकास होता है तो हमारे राज्य की जनता हर प्रकार से संपन्न होती है और हर प्रकार से सुख और समृद्धि उनको प्राप्त होती है तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन स्थिति क्या है इस पर हमें विचार करना है। आज जब कि ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोग चांद और सूरज तक पहुँचने की बात करते हैं और आज संसार आणविक शक्ति से त्रस्त हो ता जा रहा है और विज्ञान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो इस प्रगति के ज़माने में भी हमारे किसान रूढ़िवादिता के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। आज भी वही पुराने हल, वही पुराने बीज और वही पुराने तरीके की खेती की प्रक्रिया चल रही है आज हमारे किसान अंधेरे में हैं। न वे ठीक प्रकार से आधुनिक यन्त्रों का उपयोग करते है और न वे नये आविष्कारों का प्रयोग करके फायदा उठाते हैं। ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारे किसान उसी पुरानी दुनियां में रह रहे हैं। आज इस प्रकार की स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान की और यही कारण है कि आज भी जब कि जापान में सघन खेती द्वारा छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों के अन्दर पैदावार इतनी बढ़ाई गई है कि एक एक परिवार ३०,३० हज़ार रुपये कमा रहा है लेकिन हमारा किसान सौ, दो सौ और तीन सौ बीघा ज़मीन उनके पास होते हुए भी भूखों मर रहा है, उनके पास खाने, पीने के लिये पैसे नहीं है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके पास पैसे नहीं हैं आज उनकी स्थिति यह है। यह स्थिति इसलिये है अध्यक्ष महोदय, कि जो प्रगति हमने इस दिशा में, कृषि के विकास में की है उससे हमारे किसान फायदा नहीं उठा रहे हैं और उसकी उपयोगिता को वह बहुत ही संदेह और शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। तो, आज इस अन्धकार का पर्दा हमारे ८० प्रतिशत लोगों पर पड़ा हुआ है उस अन्धकार के पर्दे को निकाल कर फेंक देना है और उनको नयी रोशनी देनी है और उनको प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, जो प्रगति हमने खेती के विकास में की है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आज हम इस स्थिति में यदि कोई क्रान्तिकारी सुधार ला सकते हैं तो प्रश्न यह है कि मनोवैज्ञानिक क्रान्ति लाई जाय किसानों के दिमाग में, किसानों के दिमाग को बदला जाय और पुरानी रूढ़िवादिता से उनको मुक्त किया जाय और उनकी विचारधारा को बदला जाय क्योंकि किसान समझता है कि नये तरीके से खेती का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस दृष्टि कोण और इस एप्रोच के अन्दर आज बहुत बड़ी क्रान्ति लाने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय, इस क्रान्ति को हम ला सकते हैं किसान की विचारधारा में परिवर्तन लायें कोई सरकार का प्रपोगेन्डा नहीं, कोई लेक्चरबाज़ी या भाषणों से नहीं ला सकते। यदि किसान के पास जाकर कहा जाय कि आप सुधरे हुए बीज और अच्छे से अच्छे यन्त्रों का इस्तेमाल कीजिये तो इस प्रकार की भाषा चाहे कितनी ही प्रभावशाली हो, महत्वपूर्ण हो वह किसानों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालेगी, जब तक कि किसान व्यवहारिक रूप से उसकी उपयोगिता के बारे में संतुष्ट नहीं हो जाता है। तो आज जो आवश्यक चीज़ है वह यह है कि कृषि के जो नये नये आविष्कार हुए हैं, होते जा रहे हैं और हमने जो प्रगति की

(श्री रामेश्वरदयाल)

है उसके ज्ञान को किसानों में फैलाया जाय और वह फैल सकता है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कृषि की शिक्षा के द्वारा। अगर कृषि की शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाय तो हम उससे फायदा उठा सकते हैं। उसके लिये यह तो ठीक है कि कुछ प्रावधान रखा गया है, राजस्थान के अन्दर २ कृषि कॉलेज हैं और कुछ ब्लॉक स्कूल्स हैं और कुछ एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं लेकिन जो कुछ मौजूदा व्यवस्था है वह इतनी परियाप्त नहीं है की हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके और जो ध्येय हम सामने रखकर जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्राप्त करने के लिये यह संतोषजनक नहीं है।

आज इतने बड़े हमारे राजस्थान के अन्दर इतनी संख्या, ३।४ से भी ज्यादा संख्या खेती करने वाले या खेती पर निर्भर रहने वालों की है और इतने बड़े काम में, इतने बड़े एक महत्वपूर्ण विषय में जब कि हम आज एक बहुत भारी प्रयोग करने जा रहे हैं, संयुक्त सहकारी खेती का, सहकारी समितियों का प्रयोग करने जा रहे हैं और इस विभाग के लिए १५–१६ लाख रुपये के करीब हम बजट में प्रावधान रखते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय हम इससे किसानों के मस्तिष्क में न तो तरक्की ला सकते हैं और न हम शिक्षा को अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस लिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है तो सबसे आवश्यक बात यह है कि गांवों के अन्दर और खास तौर से पंचायत के प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर एक कृषि का बेसिक स्कूल खोला जाय। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रारम्भिक पाठशालायें तो काफी संख्या में बढ़ा दी हैं और उनका एक प्रकार से जाल बिछा दिया है लेकिन आज किसानों को इन प्रारम्भिक पाठशालाओं की आवश्यकता नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको न हाई स्कूलों की इतनी आवश्यकता है और न दूसरे स्कूलों की आवश्यकता है, यह ठीक है; आज यह कर सकते हैं तो ज़रूर कीजियेगा, आप कॉलेज बनाना चाहें गांव गांव में, तो ज़रूर खोलियेगा लेकिन जिस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, वह कृषि स्कूल की आवश्यकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इस बारे में हमारी सरकार उदासीन है। तो आज हर पंचायत क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए जिससे किसानों के बच्चे कृषि की शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त कर जो ज्ञान प्राप्त करें उस ज्ञान का उपयोग करें कृषि के काम में, खेती के करने में, उस ज्ञान का उपयोग करें। आज हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि किसानों के बच्चे उन प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ने हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ते के बाद वे कृषि को भूल जाते हैं और गांव से शहर की तरफ देखते हैं। इस प्रकार गांव उजड़ते हैं और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। यह बहुत बड़ी समस्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ सालों में दिल्ली की आबादी करीब २५ लाख, ३० लाख हो गई है, आज शहर को आबादी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि आज

(श्री रामेश्वरदयाल)

किसानों के बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उस प्रकार की शिक्षा से उनके अन्दर खेती के कामों में अभिरुचि पैदा नहीं होती, वे नौकरियों व मुलाजिमत की तरफ, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखते हैं, तो आज इसकी आवश्यकता है ।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कोटा डिविज़न एक बहुत बड़ा सरसब्ज़ इलाका है, हमारे राजस्थान का दूसरा अन्न भंडार है और चम्बल बांध बनने पर, इसके पूरे होने पर और नहरों में पानी आने के बाद, मैं समझता हूं इसका नम्बर प्रथम पर आ जायेगा और प्रथम श्रेणी का राजस्थान का अन्न भंडार हो जायेगा । इतना सरसब्ज़ इलाका है ।

(घंटी)

जहां की जमीन इतनी उपजाऊ है और जिसकी इतनी क्षमता है, वहां पर कृषि के ज्ञान के लिए और इसकी शिक्षा के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, न वहां पर कृषि कॉलेज है, न वहां की पाठशालाओं में इस प्रकार की शिक्षा का माननीय अध्यक्ष महोदय, काम होता है । इन सभी के कारण हम कृषि के उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही लगी हुई दूसरी जो समस्या है, वह भू संरक्षण, सोइल कन्ज़र्वेशन की है । आज कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की बात जब हम सोचते हैं, तो यह भी प्रश्न उठता है कि जो कुछ ज़मीन हमारे राज्य में है, किसी भी स्थिति में हैं, उसको खेती के योग्य बनाया जाय और खेती के योग्य बना कर उस पर खेती की जाय और जिन भाइयों के पास ज़मीन न हो, उन भूमिहीनों को ज़मीन दी जाय । आज कोटा डिविज़न के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सैंकड़ों नदियां और नाले हैं, उनका यदि इसमें उपयोग किया जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो एक प्रकार से मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे इसमें संकोच नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं है, कि यह डिविज़न हमारा दूसरा काश्मीर बन सकता है । इन नदियों के अन्दर, इन नालों के अन्दर हर साल लाखों टन पानी आता है और वह पानी बेकार चला जाता है, वह पानी बेकार जाता है, इसका हमें गम नहीं लेकिन वह खेती योग्य ज़मीन को बेकार कर देता है और आज इससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है हमारे कृषि उत्पादन पर । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस डिविज़न के अन्दर, जिसमें ऐसी बड़ी नदियां हैं, जिसमें राजस्थान के पांच बड़े वरदान हैं, प्रकृति द्वारा दिये गये, आज इन वरदानों का उपयोग करना है और वरदान के उपयोग के साथ साथ जो ज़मीन में खराबी पैदा हो रही है, जो भूमि के कटाव की एक समस्या पैदा हो रही है, इस भूमि के कटाव की समस्या को हल करना है, समुचित तरीके से । पानी भी इस इलाके में काफी बरसता है, जिसकी वज़ह से भी ज़मीन कट जाती है । आज सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कृषि उत्पादन की बात करती है कि उत्पादन बढ़ाया जाय, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जाय लेकिन उत्पादन के अन्दर जो बाधायें हैं, जो कठिनाइयां है, उन कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार कोई प्रयत्न अभी तक नहीं कर रही है । इस डिविज़न के अन्दर मेड़ बन्दी का काम होना

(श्री रामेश्वरदयाल)

चाहिए, वह मेड़ बन्दी का काम अभी तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार से इस डिविज़न के अन्दर सोइल कन्ज़र्वेशन के कार्यालय स्थापित होकर जो भूमि कटाव में आ रही है, उसके संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, वह कदम आज तक नहीं उठाया जा रहा है। जब स्थिति यह है कि इन साधनों का उपयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कृषि का विकास कर सकते हैं, उन साधनों को यहां उपलब्ध नहीं होने देते और उसकी तरफ हम उदासीन है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्धारित लक्ष्य है, वह किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसमें मुझे कुछ सन्देह है। वैसे राज्य सरकार की ओर से अक्सर कहा जाता है कि अपने लक्ष्य को हम बराबर प्राप्त करते जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से आंकड़े तैयार होते हैं और जिनके आधार पर राज्य सरकार दावा करती है कि हमने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, हमारे पटवारी और छोटे मुलाज़िम उन आंकड़ों को तैयार करते हैं। जितनी उनकी बुद्धि है, जिस प्रकार का उनका स्तर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार वे उन आंकड़ों को तैयार करते हैं, उनकी कोई जांच नहीं की जाती है, उनका कोई वेरीफिकेशन नहीं होता है और उनकी प्रमाणिकता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जाय कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो आज हमारे देश के अन्दर, हमारे राज्य के अन्दर खास तौर पर यह खाद्यान्न की कमी का, इस प्रकार का संकट क्यों पैदा हो रहा है। आज इन आंकड़ों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी जो मौलिक समस्या है, उसकी तरफ ध्यान देकर, जो हमारे कृषि उत्पादन के काम में सहायक हो सके, मदद दे सके, इसको ध्यान में रख कर व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हम अन्न के उत्पादन को ठीक प्रकार से बढ़ा सकें।

१ म० प०

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक गम्भीर बात और कहूंगा, और वह यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है, किसानों के लिये, कि वे जिस प्रकार के औज़ार, खेती के यन्त्र और जिस प्रकार का सुधरा हुआ बीज वगैरह जो आविष्कार हुए हैं कृषि के अन्दर, उन आधुनिक साधनों के उपयोग का प्रश्न आता है तो किसान इन्हें उपयोग में नहीं लायेंगे जब तक कि किसानों को यह विश्वास नहीं हो जाता है कि इनसे वास्तव में वह किसान अपनी खेती की उपज बढ़ा सकता है। यह विश्वास जब तक किसानों को नहीं हो जायगा तब तक वे इन आधुनिक साधनों का उपयोग नहीं करेंगे, इस्तेमाल में नहीं लायेंगे। इस उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने कई फार्म बना रखे हैं, एक्स्पेरिमेंटल फॉर्म्स चला रखे हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म्स चला रखे हैं और मल्टिफिकेशन ऑफ सीड्स फॉर्म्स खोल रखे हैं, इस तरह तीन प्रकार के फॉर्म्स चला रखे हैं और आज इनकी जो स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है, उसको मन्त्री महोदय भी जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है? यदि नहीं जानते हों तो उन फार्मों का हिसाब, उनके आंकड़े मंगायें तो पता चलेगा कि जितने फार्म गवर्नमेंट के चल रहे हैं वे घाटे में चल रहे हैं। जब किसान देखते हैं कि, उसके गांव में सरकार की तरफ का ऐसा

Page No.51

(श्री रामेश्वरदयाल)

फार्म है या उसके आस पास सरकारी फार्म हैं, उनमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करके लाभ नहीं उठा सकते हैं तो किसान से कैसे आशा कर सकते हैं कि वह आधुनिक तरीकों से आधुनिक औज़ारों से खेती करने की प्रेरणा ले कर आधुनिक तरीकों से खेती करेगा।

जहां तक एक्सपेरिमेंटल फार्म्स का सवाल है, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि घाटे पर चलें, क्योंकि उनका काम कृषि के कामों में अनुसंधान करना और नये नये आविष्कार करने का है कि किस तरह पौधों को सुधारा जा सकता है किस तरह पौधों और फसल को बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो, ये घाटे पर भी चलें तो कोई आपत्ति नहीं पर जहां डिमान्स्ट्रेटिव फार्म्स का सवाल है वे घाटे पर चलें तो क्या उत्साह, क्या प्रेरणा ये किसानों को दे सकते हैं। डिमान्स्ट्रेटिव फार्म्स जितने भी हैं, राजस्थान में, वे सब के सब घाटे पर चल रहे हैं, वे क्या डिमान्स्ट्रेशन करेंगे, क्या व्यवहारिक शिक्षा देंगे। इनकी प्रतिक्रिया उल्टी पड़ती है, घाटे पर चलते हैं तो परिणाम यह होता है कि किसान इन औज़ारों के बारे में इन तरीकों के बारे में मखौल उड़ाते हैं और कहते हैं कि इन आज कल के औज़ारों और तरीकों से की हुई यान्त्रिक खेती का साक्षात् परिणाम देख लीजिये। कितने घाटे पर ये सरकारी फार्म्स चलते हैं। तो डिमान्स्ट्रेटिव फार्म्स घाटे पर चलायें और सरकार चाहें कि किसान इनसे प्रेरणा ले तो यह असंभव है। सरकार को इसे देखना चाहिये क्योंकि इससे आधुनिक कृषि के तरीकों के प्रति किसानों को अविश्वास और अश्रद्धा पैदा होती है, जिससे हमारे कृषि उत्पादन पर और सारी कृषि नीति पर बुरा असर पड़ता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं उदाहरण दे कर बताना चाहता हूँ कि कोटा के पास डिमान्स्ट्रेटिव फार्म है धाकरखेड़ी का उसमें जवार की फसल बोई, एक पैसा गवर्नमेंट को नहीं मिला। तो इस प्रकार की स्थिति है गवर्नमेंट के फार्मों की और लोगों को कहा जाय कि आधुनिक उपकरणों का उपयोग करें, यह हास्यास्पद बात हो जाती है। बीस, पच्चीस लाख रुपया उनमें सरकार खर्च करती है तो सरकार वह खर्चा करना बन्द कर दे। आज सरकार हर चीज़ में व्यापरिक दृष्टिकोण रखती है, पॉवर हाउस में व्यापारिक दृष्टिकोण रखती है, स्कूलें खोलने में व्यापारिक दृष्टिकोण रखती है, वाटर वर्क्स चलाने में व्यापारिक दृष्टिकोण रखती है। जहां व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये वहां तो व्यापारिक दृष्टिकोण रखती है और जहां व्यापारिक दृष्टिकोण होना चाहिये वहां व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं रखती। इन फार्मों को चलाने में सरकार का कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बेकार पानी की तरह बहाया जा रहा है, वह नहीं बहा कर गवर्नमेंट यह करे कि प्रगतिशील किसानों को खेती के आधुनिक औज़ार दे, ट्रेक्टर मशीनें दें, सुधरा हुआ बीज दें और उन किसानों को कहे कि इन औज़ारों को इस्तेमाल कर के खेती करो....

१. ३. म० प०

(श्री निरजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष, इसका परिणाम यह

(श्री रामेश्वरदयाल)

होगा कि प्रगतिशील किसान इनका उपयोग करेंगे, सरकार के मार्ग दर्शन से और उन किसानों के निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कृषि में इस तरह बड़ी प्रगति होगी। सरकार को तो मार्गदर्शक के रूप में, रहनुमा के रूप में कार्य करना चाहिये और इस तरह मार्ग दर्शन कराते हुए आधुनिक तरीकों से खेती करने की ओर किसानों को आगे ले जाना चाहिये । तो नतीजा यह होगा कि किसानों को निःशुल्क आधुनिक तरीकों से खेती करने का मौका मिलेगा तो वे आधुनिक तरीके से खेती करेंगे और निजी हित होने के कारण उत्साह के साथ काम करेंगे, तो खेती का उत्पादन बढ़ेगा। इसका नतीजा यह होगा कि उस गांव के किसान और आस पास के गांवों के किसान इससे प्रेरणा ले कर उत्साह के साथ कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में लगेंगे। इस कदर धीरे धीरे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य भर में, काफी गांवों में एक ऐसा वातावरण बनेगा कि आधुनिक तरीकों से खेती करने की प्रणाली को बल मिलेगा, अनुकूल वातावरण बनेगा और इस तरह कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि लोग आधुनिक उपकरणों से खेती करने की ओर अग्रसर हों। इस प्रकार के गवर्नमेंट के फार्म खोल देने से न तो लोग इनसे सबक लेंगे और न किसी प्रकार का उत्पादन बढ़ेगा।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती, प्रस्तावों द्वारा एक बात कही कि हमारे सामने देश के सामने एक बुनियादी समस्या है और वह है कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने का तरीका कोई हो सकता है तो वह गवर्नमेंट द्वारा प्रचार पब्लिसिटी प्रपोगन्डा के द्वारा नहीं, क्योंकि ये सब हथियार बेकार और निरर्थक साबित हो चुके हैं। इसका प्रभावशाली तरीका यही हो सकता है कि खेती की शिक्षा गांव गांव तक सुगमता और सुलभता के साथ उपलब्ध कराया जाय और गवर्नमेंट इस कार्य में संरक्षण और मार्ग दर्शन करे तो इस समस्या का अच्छी तरह से हल हो सकता है। या तो गवर्नमेंट अपने फार्म व्यापारिक आधार पर चलाये, या बन्द कर के लोगों को मौका दे अपने सुझावों द्वारा, क्रियात्मक रूप से किसानों को मौका दे कि नये तरीकों से खेती करें, खेती के काम में नये और आधुनिक औजारों और तरीकों को अपनायें। तो इस प्रकार यह समस्या जो कि हमारी विशाल समस्या है कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की और खाद्यान्नों के बढ़ाने की समस्या है, यह पूरी तरह हल हो सकती है और इस तरह हमारा राष्ट्रीय संकट है वह टल सकेगा और हम देश के अन्दर खुशहाली, सुख और समृद्धि ला सकेंगे।

तो मैंने अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि राज्य सरकार इन चीज़ों की ओर ध्यान दे, उदासीनता की नीति सरकार की इन बुनियादी बातों की तरफ है, उसको राज्य सरकार को त्यागना चाहिए और त्याग कर ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि जिसके द्वारा हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित जो लक्ष्य है, उनको प्राप्त कर सकें। उनको भी प्राप्त करें और किसान जो कि हमारे देश के रीढ की हड्डी हैं, जिन पर हमारे देश का दारोमदार है, जिन पर हमारे

Page No.53

(श्री रामेश्वरदयाल)

देश की प्रगति निर्भर है, जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है, उनको हम कुछ राहत दे सकें और इस विज्ञान के युग में, इस प्रगति के जमाने में हम उनको कुछ और आगे ले जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० में, एक रुपये की कटौती खाद्यान्न की अव्यवस्था पर बहस करने के लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि कृषि और खाद्य ये कोई दो अलग अलग विषय नहीं है बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि कृषि एक साधन है और खाद्यान्न का उत्पादन एक साध्य है। कृषि विभाग की सफलता, कृषि विभाग की उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि वह अपने साधनो द्वारा किसी देश में खाद्यान्न उत्पन्न करने में कितनी सहायता दे सकता है। खाद्यान्न के लिये जो जो अपेक्षित वस्तुएं हैं उनमें सबसे पहले भूमि, भूमि सिंचाई, अच्छा खाद, बैल, बीज और जो नये नये यन्त्र हैं उनका उपयोग आदि आवश्यक है। यदि कोई विभाग इस प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था कर सकता है तभी वह खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा सकता है और तभी वह विभाग सफल कहला सकता है। मेरा जहां तक अनुभव है, मैं देखता हूं कि कृषि विभाग हमारे देश में जब से राजस्थान बना तब से है। बल्कि मैं समझता हूं कि इससे पहले से भी भिन्न भिन्न रियासतों में कृषि विभाग किसी न किसी रूप में रहा है। लेकिन उसकी इतनी उपयोगिता व्यवहारिक दृष्टि और असली दृष्टि से नज़र नहीं आती जितनी होनी चाहिये। कृषि विभाग से पहले किसान जिस प्रकार अपनी खेती करते थे, बीज डालते थे, बैलों का उपयोग करते थे, जैसी खाद डालते थे, लगभग उसी प्रकार से आज भी खेती कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि हमारे यहां ज़िलों में ज़िला कृषि अधिकारी रहते हैं, उनका ऊंचा ऊंचा अमला रहता है। उनके पास यन्त्र रहते हैं, बीज रहते हैं, खाद रहती है वह किस काम आती है। मेरा यह निश्चित मत है कि इन सारी चीज़ों के रहते हुए भी उनका उपयोग उतना नहीं होता जितना होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कृषि विभाग के अधिकारियों का काम दफ्तर में बैठने का नहीं है। अगर उनको कोई अनुसंधान करना है लेबोरेटरी में तो यह दूसरी चीज़ है बाकी उनका सारा समय जिस प्रकार किसान खेती करने में बिताता है उसी तरह से उसके पास रहने का होना चाहिये, लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। वे लोग कभी कभी दौरे के रूप में बाहर निकल जाते हैं और वहां जाकर वे यही कहते हैं कि सुधरे हुए अच्छे बीज़ लो, सुधरी हुई खाद लो इस तरह से काम करो। इस तरह से उनके दौरे का उपदेश के तौर पर उपयोग होता है उनका व्यवहारिक उपयोग नहीं होता। यही कारण है कि इतनी चेष्टा सरकार की तरफ से होने के बावजूद भी, बहुत से रुपये इस पर व्यय होते हुए भी हमारे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन इतना नहीं बढ़ पाया जितना कि समय समय पर सरकार निर्धारित करती रही है। इसके लिये सबसे पहले मैं यह

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कहूंगा कि कृषि विभाग का, जब तक व्यवहारिक उपयोग की तरफ ध्यान नहीं जावेगा तब तक वे अपनी स्थिति को सफल सिद्ध नहीं कर सकते। वह एक नाम मात्र का विभाग हो सकता है लेकिन उससे जितने किसानों को जिस तरह की राहत मिलनी चाहिये, नहीं मिल सकती है और जितनी खाद्यान्नों की उपज बढ़नी चाहिये नहीं बढ़ रही है। इसके साथ साथ जैसा मेरा कटौती का प्रस्ताव है, खाद्यान्न की अव्यवस्था के बारे में मुझे खास तौर से कहना है। इसका अनुभव मुझे सारे राजस्थान का नहीं हुआ है। मैंने सारे राजस्थान में घूम कर इसका अनुभव नहीं किया है, मैं तो दूसरे ज़िलों में गया नहीं और मेरा अनुभव तो अपने भरतपुर ज़िले से ही हुआ है कि हमारे वहां खाद्यान्नों की कैसी व्यवस्था रही है। हमारे यहां का वह इलाका जो मैं समझता हूं कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये सदैव से प्रसिद्ध रहा है और जिसके एक भाग को इस देश का यूक्रेन कह सकते हैं, गेहूं का भंडार कह सकते हैं। उस ज़िले में भी मुझे देखने को मिला कि लोग हज़ारों की तादाद में दाने दाने के लिये शहरों में प्रदर्शन करते थे। अगर शहर में ही इसका प्रदर्शन होता तो हमें कोई दुःख नहीं होता लेकिन जो क्षेत्र हमको गेहूँ देता है, गांव वाले जिनकी मेहनत से हमें गेहूं मिलते हैं उनमें भी त्राहि त्राहि मची और यह पहला ही मौका था जब कि उन गांवों में इस प्रकार की त्राहि त्राहि मची। मैं तो यह समझता हूं कि खाद्य मंत्री या उनका जो मंत्रालय है उसमें कहीं न कहीं ऐसी त्रुटी रही है जिसका यह परिणाम रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि भरतपुर के इलाके में पिछली फसल आई उसमें कोई अनाज की कमी नहीं थी। जून और जुलाई तक खाद्यान्नों का वहां भंडार भरा रहा। लेकिन कुछ अधिकारियों की असावधानी से या समय पर सावधानी नहीं रखने के कारण वह अन्न जब यू० पी० में सूखा पड़ा और अनाज का भाव तेज़ हुआ तब खाद्य मंत्रालय ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस इलाके से कितना अनाज बाहर चला जा रहा है। जब अधिकांश बाहर चला गया और वहां के लोगों को अन्न का अभाव खटकने लगा तो अधिकारियों की आंखें खुली। उस समय उन्होंने कोई दफा लगाई। मुझे बताया गया कि वहां पर ३१७ की दफा या कौन सी दफा थी वह लागू की गई, जिसके ज़रिये उनको लाइसेन्स लेने के लिये बाध्य किया गया और हिदायत की गई की वे अनाज का हिसाब ठीक तरह से रखें बताया तो। यह गया था कि इससे स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी मगर जिस व्यापारी को समझाया गया उसके ठीक तरह से समझ में नहीं आया। व्यापारी तो क्या मैं समझता हूं कि अधिकारी भी उसको ठीक तरह से नहीं समझ पाये और उसका नतीजा यह हुआ कि केवल हिसाब किताब ठीक तरह से नहीं रखने से व्यापारियों को पुलिस के हाथ दे दिया गया। पुलिस को अधिकार दिया गया। इस कारण जिस तरह से व्यापारियों की पकड़ धकड़ हुई उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और जो गेहूं लोगों को मिल रहा था वह बिल्कुल नहीं मिल सका। सरकार अपनी व्यवस्था जमा नहीं पाई थी और जो कुछ अनाज व्यापारियों के द्वारा मिल रहा था वह भी मिलना बन्द हो गया।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं हो रहा है।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, will continue. The quorum is present.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (जारी) तो ऐसी अवस्था में लोगों को खाद्यान्नों की बहुत कमी महसूस हुई और इस कारण भरतपुर में जो दूसरा दल था और खास तौर से समाजवादी दल जो अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहा था उसको बल मिल गया, इसलिये कि लोग खाद्यान्नों से दुखी हो रहे थे। वे उनमें शामिल हो गये और बड़े बड़े जलसे निकाले गये और केन्द्रीय खाद्य मन्त्री श्री अजीतप्रसाद और हमारे यहां के खाद्य मन्त्री वहां आये, उनके सामने प्रदर्शन किया और लोगों ने सड़े गले अनाज को उन्हें दिखाया और वितरण में जो जो उनकी कठिनाइयां थी और अनाज न मिलने से जो उनको कष्ट हो रहा था उन सारी बातों को बताया। उसके बाद शहर में सुधार हुआ और स्थिति को सुधारा गया और उचित कदम उठाया गया। लेकिन जो दूसरे कस्बे हैं उनको बिल्कुल भूल गये। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग डीग में बाड़ी के अन्दर भी गेहूं का अभाव हुआ। इसका कारण भी मुझे बताया गया कि एक ऐसा वक्त आया था कि जब गेहूं तेज़ हो रहा था और यू० पी० में मन्दा था जब कि यू० पी० में २१) २२) मन बिक रहा था और डीग में वह २३) मन था। कुछ कारण ऐसे हुए कि उधर का अन्न इधर आने लग गया था, डीग में लोगों को आराम से मिलने लगा था लेकिन पुलिस अधिकारी व्यापारियों को जाकर कहते हैं कि अगर किसी व्यापारी ने तीन महिनों के जो पिछले भाव रहे हैं उसका औसत निकाल कर उससे अधिक भाव में बेचा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। उसका नतीजा यह हुआ कि यू० पी० से आने वाला अनाज गायब हो गया और एक दिन पहले अनाज २३) मन मिल रहा था वही अनाज २८) और ३०) मन मिलने लग गया। इसके साथ ही साथ वह अनाज अलभ्य भी हो गया। जनता में अनाज न मिलने से बैचेनी सी आ गई। वहां के एक पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको तो भूख हड़ताल कर देनी पड़ी कि जब तक यह अन्न न आवेगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। उस दिन मैं वहां मौजूद था। मैंने कोशिश की कि किसी भी प्रकार से वह जल्दी से जल्दी अनाज प्राप्त करके उस पुराने कार्यकर्ता के जीवन को बचाया जाय। दुर्भाग्य से वहां पर न उस समय तहसीलदार थे, न एस० डी० ओ० थे और न ज़िले में ज़िले के कलेक्टर ही थे। मैंने जयपुर में पता लगाया लेकिन मन्त्री महोदय भी नहीं थे। सौभाग्य की बात हुई कि डिप्टी कमिश्नर, खाद्य, मुझे मिल गये और कहा कि मैं कलेक्टर को कह रहा हूं कि जल्दी ही अनाज वहां पहुंचाया जाय। शाम तक अनाज भेजा गया और उनकी जान बचा ली गई। उसके बाद भी यह स्थिति दूसरे कस्बों में हुई और गांवों में भी यह स्थिति हुई। भरतपुर की अटलबंद मंडी है, वहां तो बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ जनता खड़ी है प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ पुलिस खड़ी है जैसे कोई लूट हो रही हो, एक अजीब दृश्य था। एक दिन तो बताया गया कि आज पुलिस लाठी चार्ज

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

करने वाली है। लोग चाहते थे कि अनाज जल्दी से जल्दी मिले, दूसरी ओर पुलिस उनको धक्का दे रही थी। अव्यवस्था होने के कारण यह स्थिति बड़ी ही भयंकर हो गई थी। बाढ़ आ जाने के कारण ही यह अव्यवस्था नहीं हुई थी, लेकिन दूसरा कारण जो हुआ वह यह हुआ कि वहां का अनाज दूसरे इलाकों में चला गया और उस ओर समय रहते ही ध्यान नहीं दिया गया। वहां अनाज नहीं था तो दूसरे ज़िलों से अनाज मंगाया जाना चाहिये था। उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि संबंधित मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अनाज पर प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन मेरा निजी अनुभव है कि किसी कलेक्टर ने एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आसानी से नहीं जाने दिया। भरतपुर का कलेक्टर परमिट देता है लेकिन टोंक का कलेक्टर मना कर देता है, सवाई माधोपुर का मना कर देता है। यहां पर मंत्री महोदय को कहते हैं, कई उदाहरण मौजूद है, मंत्री महोदय ने लिख कर दिया लेकिन कलेक्टर ने उसको भी मना कर दिया और कहा कि हमारे ज़िले में कमी हो जायगी? गेहूं तो दूर रहा, ज्वार, बाजरा जैसा अनाज भी नहीं ले जाने दिया गया और इस कारण से जनता के दिमाग पर जो असर पड़ना था वह पड़ा कि आज वह समय आ गया है कि मोटा अनाज भी बाहर से लाकर नहीं खा सकते। यह केवल बाढ़ से ही परिणाम हुआ हो यह मैं नहीं मानता। बाढ़ में जो खेती पड़ी रही, लोग खेती नहीं कर पाये, लेकिन अनाज तो मिलना चाहिये था, उनको वह नहीं मिला। स्थानीय कलेक्टर, वर्तमान कलेक्टर जैसे संजीदा और काफी सहृदय व्यक्ति उस समय न होते तो खाद्यान्न को लेकर रॉयट मच गया होता। उन्होंने लिबरल होकर परमिट इश्यू किये। गांव वालों तक को कहा कि बाहर से ले लो। लेकिन बाहर के कलेक्टरों का सहयोग नहीं मिला। यह स्थिति तो ऐसी हुई कि जब एक राज्य से दूसरे राज्यों में प्रतिबन्ध हुआ करता था, पुराने राज्यों में कस्टम्स में प्रतिबन्ध था, उसी तरह से उस समय राजस्थान का एक ज़िला दूसरे ज़िले के साथ व्यवहार कर रहा था। यह खाद्यान्न की नीति ऐसी रही है कि उस ओर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। हमारे यहां काफी संतोष प्रकट किया जाता है कि जो बुरा अवसर था वह निकल चुका और अब तो बम्पर क्रोप्स हैं और खाद्यान्न की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं भरतपुर ज़िले की स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि बाढ़ के बाद जो कुछ खेती की गई वह अच्छी हुई लेकिन वहां पर चेप्टा और रतुवा बीमारी लगी हुई है जो गेहूँ को खराब कर रही है और मुझे भय है कि फिर भी अन्न की वहां कमी न आ जाय। मैं समझ नहीं सका, जब मैंने उन्हें पूछा कि कृषि विभाग से कोई सहायता मिल रही है तो कहा गया कि कोई दवाई वहां से नहीं मिल रही है। कैसे इसको दूर करें? उनका बीज अन्दर ही अन्दर सूखता जा रहा है और उनको पूरा भय है कि बाढ़ जैसी दैवी विपत्ति उन पर आयी उसके बाद रबी की फसल पर यह हालत पैदा हो रही है और कोई सहायता उसके लिए उनको नहीं मिल रही है। यदि आपका कृषि विभाग सोचता है कि मौके पर जाकर बड़े २ एक्सपेरिमेन्ट करता है, क्या २ प्रयोग करता है, लेकिन यदि उनका प्रयोग कार्यालय में ही न करके, ऑफिस में ही न करके, दफ्तर में ही न करके, खेतों पर जाकर करे और फसल को

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बचा सके तो खाद्यान्न में सहायता मिल सकती है।

बीज के बारे में समय समय पर कहा गया कि काफी बंटवाया गया है। मेरी समय समय पर शिकायत रही है कि पंचायत विभाग, सहकारी विभाग, कृषि विभाग और कभी कभी मेरे जैसे लोग काफी प्रचार करते रहे कि सुधरा हुआ पंजाब का, गंगानगर का बीज़ आवेगा और आप अपने २ खेतों में डालो। और इसी आशा में किसानों ने जो घर में बीज रहता था, खाने में ले लिया और हो सकता है कि भाव चढ़ जाने से बेंच भी दिया हो, लेकिन जब खेती बोने का अवसर आया तो लोगों को बीज़ मोहैया नहीं हुआ। यहां तक कह सकता हूं कि पहाड़ी पंचायत के लोगों ने मुझे बताया कि तीन हज़ार मन गेहूं का चाहिये था उनको उसकी जगह १३६ मन गेहूँ दिया गया। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। कहा जाता है कि बहुत बटा। मुमकिन है बटा होगा लेकिन जितने बीज की आवश्यकता थी, वह नहीं पहुँच पाया। यह स्थिति इस बात को जाहिर करती है कि यह खाद्यान्न मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पहली जो बुनियादी चीज है कृषि के लिए और वह है कृषि विभाग वह ठीक तरह से काम नहीं कर रहा हैं। अतः इस कटौती प्रस्ताव द्वारा कृषि विभाग का ध्यान और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं तो यह भी आवश्यक समझता हूं कि कृषि विभाग और खाद्यान्न विभाग दोनों को यहां अलग रख दिया है, । इसको भी मैं बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं मानता। जब केन्द्र में फूड एन्ड एग्रीकल्चर एक विभाग हो सकता है और दूसरे राज्यों में भी एक ही है, यहां कृषि मंत्रालय एक हो और खाद्यान्न मंत्रालय दूसरा हो यह मैं उचित नहीं समझता हूँ। कृषि के उत्पादन के लिए क्या किया जा रहा है न उनको पता है और खाद्यान्न किन किन साधनों से हो सकते हैं यह न उनको पता है। सब से जरूरी चीज़ यह है कि दोनों विभागों को मिला कर एक किया जा सके, वे समन्वय और सहयोग से काम करें और जिसके लिए कृषि विभाग स्थापित किया गया है, खेती बढ़ाने के लिए, अच्छा बीज़ मोहैया करने के लिए, अच्छा खाद उपलब्ध करने के लिए और इसके साथ ही साथ बैल, यंत्रों की भी व्यवस्था करने के लिए, यदि फसल में रोग लग जाता है तो दवाई मोहैया करने के लिए। इन कामों को केवल दफ्तर में बैठ कर न करें। बल्कि किसानों के खेतों में जाकर देखें कि वहां किस किस तरह की आवश्यकता उनको है, उसको पूरी करें। खाली यहां से पर्चे निकाल देने से या अखबारों में निकाल देने से पुस्तकों के अन्दर लक्ष्य आप निर्धारित कर दें उससे काम नहीं चलेगा। उनका जो काम है वह क्षेत्र का काम है, अगर वे इस प्रकार से कार्य करेंगे तब तो हमारे देश में खाद्यान्न की वृद्धि हो सकती है और जितनी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता है उतनी मात्रा में तभी उपलब्ध हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४०—कृषि में सौ रुपये की कटौती की जावे" बीकानेर कृषि कॉलेज की अव्यवस्था पर वाद विवाद हेतु।)

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय के और कृषि मंत्री महोदय के समक्ष यह निवेदन करना है, जो दोनों इस समय मौजूद नहीं है। मेरा निवेदन यह था कि एक तरह से देखा जाय तो बीकानेर का कृषि कॉलेज एक समय में इतने संघर्ष में था चाहे इधर बैठे हुए या उधर बैठे हुए कांग्रेस के सदस्यों ने वन एन्ड ऑल प्रत्येक ने जो उस समय पुरजोर शब्दों के अन्दर इधर के इस संस्था को रखने की चेष्टा की।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : नाथूरामजी आ गये हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा नाथूरामजी से निवेदन करूंगा, जो कृषि विभाग के मंत्री महोदय भी हैं उन्होंने इतनी चेष्टा करके इस संस्था को बचाने की चेष्टा की। उस समय जिस समय कि यह बिल्कुल खत्म होने की सूरत में होगई थी, मैं इस चीज के लिये संस्था के संचालक के नाते जमीन के डोनर के नाते इसके अलावा ट्रस्ट के चेयरमैन के नाते ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऋण उनका है उसके वास्ते धन्यवाद न दूं। एक भुक्त भोगी जो इस चीज को समझकर कि संस्था का एक समय ऐसा था जिसमें कि वह गर्त में जा रही हो उस समय जैसा ध्यान दिया जाना चाहिये, दिया जाता है उस समय....

एक माननीय सदस्य : (एक माननीय सदस्य के छींकने पर) छींक हो गई होने वाला नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : छींकने वाले खुद ही चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : But was it with the intention to disturb his speech ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी विचारधारा को व्यक्त करने के लिये किसी भी तरह से पस्त हिम्मत नहीं हुआ और न आयन्दा भी हूंगा। मैंने संघर्ष किये हैं, मेरा जीवन ही संघर्षमय रहा है। मेरा तो निवेदन इस विषय में यही है कि जहां भी जितनी प्रशिक्षण की सुविधा मिलनी चाहिये वह मिलनी चाहिये, आज वहां इसकी जबरदस्त कमी अनुभव हो रही है। एक समय वह था, यहां के जो माननीय सदस्य हैं इस असेम्बली हाल की भीतें, ईंटें इस बात की साक्षी देंगी....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे यह निवेदन करूं कि बार बार आप यहां की ईंटों को साक्षी के लिये प्रेरित कर रहे हैं कहीं ये बोलने न लग जांय।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं भी बार बार इसीलिये कहता हूँ कि ये बोलने लग जांय।

एक माननीय सदस्य : यहां ईंटों की जगह पत्थर लगे हुए हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ईंट और पत्थर, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। पत्थर तो जब लगेंगे जिस समय इस संस्था का सवाल पैदा होकर इसमें भेदभाव रखा गया है इस वास्ते प्रत्येक को कहने का और संघर्ष करने का हक रहता है। मेरा निवेदन यह था कि जिस समय यहां के मुख्य मंत्री और कृषि डिपार्टमेन्ट ने यह विचार किया था, यहां का असेम्बली हाल ही नहीं प्रेस और प्लेट-

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

फार्म इस बात का द्योतक है कि जोबनेर एग्रीकल्चर इन्स्टिट्यूट को Absolute parity के साथ चलने के वास्ते पूरी तरह से कहा गया था। मैं इस बात के लिये पक्षपात पूर्ण विचार नहीं रखता मैं तो यह समझता हूं कि यहां राजस्थान की भूमि आदि के हिसाब को देखते हुए दो एग्रीकल्चर कॉलेज तो क्या कई एग्रीकल्चर कॉलेज यहां संचालित हो सकते हैं। गवर्नमेन्ट की ओर से या दूसरी ओर से तो मेरे विचार में कोई विशेष चीज नहीं। यह दो तरह की ज़मीन होते हुए भी उदयपुर का एग्रीकल्चर कॉलेज ब्लेक कोटन सोइल जो कोटा और उदयपुर डिविज़न को रिप्रेजेन्ट करता है। दूसरी तरफ सेन्ड सोइल है उसके लिये दूसरा एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर है वह रिप्रेजेन्ट करता है....

एक माननीय सदस्य : दूसरा नहीं पहला।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं दूसरा इस लिये समझता हूं कि जो चार वर्ष या पांच वर्ष पहले का कॉलेज....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : माननीय सदस्य के समझ का सवाल नहीं हिस्ट्री है, फैक्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका निर्णय मैं कर देता हूं। पहला और दूसरा नहीं दोनों के बीच का है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पांच वर्ष से संचालित एग्रीकल्चर कॉलेज पहले इसलिये है कि वहां पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासें खुल चुकी है....

एक माननीय सदस्य : पहला तो समय से होता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : टी० सी० एम० के हिसाब से जोबनेर कॉलेज इस लिये नहीं आया कि वहां यह स्थिति पैदा हो गई थी। टी० सी० एम० वालों ने एक बात के लिए नहीं लिया। वहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रबन्ध नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रबन्ध होना मामूली और गौण चीज है छोटे से प्लान्ट से वहां की लेबोरेटरी के वास्ते व्यवस्था हो सकती है। इसलिए मैं यह समझता हूं माननीय मंत्री महोदय कृषि सचेष्ट, इस विषय में रहेंगे तो ऐसी छोटी चीज के लिए ना नहीं करेंगे। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि बजट में एक करोड़ रुपये की रकम निर्धारित है जो अनुसंधान के काम के वास्ते है इसमें से भी हो जाय तो भी कोई बात नहीं। शुरू-शुरू में श्री जयचन्द लूथर जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने आकर कहा था कि यहां जो साधन और सुविधाएं हैं वे दूसरी जगह बहुत कम उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा जब गवर्नमेंट से यह पूछा गया, युनिवर्सिटी से पूछा जाय कि जोबनेर उपयुक्त स्थान है या नहीं उस समय युनिवर्सिटी ने, जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज पंजाब और एग्रीकलचर कॉलेज यू.पी. के प्रिंसिपल थे दोनों महानुभावों का एक कमिशन बना कर वहां युनिवर्सिटी की तरफ से भेजा गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है,

Not only one but several agricultural

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

colleges can easily run in the potentialities which can be found there.

उस समय गवर्नमेंट ने अपनी छत्रछाया में इस संस्था को ले लिया। उस समय के बाद, १२ वर्ष से संचालित यह इन्स्टिट्यूशन है और उस समय से यह लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से और मंत्री महोदय से वे थोड़ा सा अपनी तरफ़ से, इस साल का जो बजट है उसके बढ़ाने की चेष्टा करें। पहले सालों के बजट में जो कमी चली आ रही है वह तो है ही। यह ठोस चीज़ हमारे सामने है, बजट के रूप में है, उसको देखने से पता लगता है कि कितना फर्क इसमें रखा हुआ है और संस्था के सामने आज के जमाने में चलना कितना मुश्किल है, यह इन आंकड़ों से पता चल सकता है, २४३ से लेकर २४४ के पेज में। यह साफ़ जाहिर है कि जोबनेर में २,७३०००) का बजट निर्धारित किया गया है।

(श्री अर्जनदास के अन्य माननीय सदस्यों से बातें करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Arjun Das, should I expect your co-operaon also ?

श्री अर्जनदास : I am trying to extend it, but I cannot follow him.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : नॉन प्लैन एक्सपेन्डीचर में २.७३ लाख और प्लैन एक्सपेन्डीचर में निल। ये जोबनेर के सम्बन्धित आंकड़े हैं और इसके मुकाबिले में उदयपुर कॉलेज को absolute parily के साथ चलाने का सवाल है उसमें ७.६७ हज़ार का नॉन प्लैन एक्सपेन्डीचर है। यानि जोबनेर से तिगुना फर्क है। यह जो माननीय सदस्य...

श्री अर्जनदास (अजमेर, पश्चिम) : Sir, is this a comparision between Jobner and Udaipur institutions ?

श्री उपाध्यक्ष : It is only stressing on Jobner issue. Udaipur does not come in.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : No Sir, This is purely a comparision. Comparison is always invidious. उदयपुर के साथ जोबनेर का है। वैसे तो उदयपुर के साथ जोबनेर का क्या मुकाबला हो सकता है।

श्री चन्दनमल वैद : Is Udaipur so supreme that it cannot be compared ?

एक माननीय सदस्य : ऐसा लगता है मुख्य मंत्री से प्रभावित ज्यादा हो गए हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : भामाशाह के दूसरे अवतार होकर अपनी संस्थाओं के वास्ते, अगर प्रोविन्सियलिज्म के प्रभाव से दूर रह कर भी, वह न भी हो तो भी दूसरी संस्थाओं को भी जीने दिया जावे। तो, मैं उनको सम्बोधित करके निवेदन करूंगा।

दूसरा सवाल बिल्डिंग के लिए देखा जावे तो उदयपुर में १६०३०५०) रुपए का बजट ५७। ५८ में सेंक्शन हुआ, ३.६२ हज़ार का ५६। ६० में। यह बजट का एक्सपेन्डीचर है, जब कि जोबनेर में ३.६२

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

और १.३६ लाख का एक्सपेन्डीचर है, वही रहा। यह ६१४। ६१५ और ६१८ के अन्दर बजट में व्यक्त है। इसको देख लिया जावे।

इसके अलावा ५४० पृष्ठ में स्टाफ के लिए व्यवस्था हुई है।

प्रिन्सिपल	उदयपुर में	१
	जोबनेर में	१
प्रोफेसर	उदयपुर में	७
	जोबनेर में	४
लेक्चरार	उदयपुर में	१६
	जोबनेर में	१२
प्रोफार्मा मैनेजर	उदयपुर में	३
	जोबनेर में	१
डिमान्स्ट्रेटर	उदयपुर में	१४
	जोबनेर में	३

फिर जो दूसरे सर्वेन्ट्स और फोर्थ क्लास का स्टाफ है उसमें १६८ उदयपुर में, और जोबनेर में ७२ हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां एब्सोल्यूट पैरिटी के वास्ते यह कहा जाता था कि यह बराबर रहेगी, फिर इसमें इतना फर्क? एक चीज़ में दो चीज़, एक भात में दुभात। किसी भी इन्स्टिट्यूशन के पहले के संचालक और ओनर को मुफ्त को भी छोड़ा जावे, लेकिन जोबनेर की जनता और जयपुर की जनता और दूसरी जनपदों की जनता ने जिनने पहले भी भयंकर संघर्ष किया है और जो आशा लगाए बैठी है कि इन संस्थाओं में ठोस कार्य किये जाने के लिए बराबर सुभीते दिए जावेंगे उनकी आशाओं के साथ यह खिलवाड़ किया जाता है। यह एक प्रकार से गौर करने का विषय है और विचारने की बात है।

यह कहा जाता था कि यहां ज़मीन कम है, कई प्रकार की जमीनें नहीं हैं, पानी की समस्या है। इसको देखने के लिए कई महानुभाव, जिन में के कतिपय सदस्य यहां भी उपस्थित होंगे, स्वयं वहां गए जिनमें श्रीमान् जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री पालीवालजी, हमारे चतुर्वेदीजी जो यहां विराजमान हैं, वे और मास्टर आदित्येन्द्रजी और गोकुलभाई भट्ट साहब और दूसरे दूसरे भी, जो भी महानुभाव वहां देखने गए उन्होंने कहा कि जितनी फेसीलिटीज़ यहां हैं, दूसरी जगह कम है। मैं १२ हज़ार एकड़ तो उस समय और जिस समय दूसरी बार हमारे वर्तमान कृषि मंत्री महोदय ने यह कहा कि ५०० एकड़ ज़मीन तो और दे दो तो मैंने खन्दा पेशानी बिना किसी विचार के ५०० एकड़ ज़मीन जितनी मेरे खेती में थी वह बीघा बीघा ज़मीन और दे दी बिना किसी मुआवजे के और इसके अलावा मैंने यह सोचा कि मेरे बलिदान के साथ में भी संस्था जीवे और इसके अलावा यह संस्था कुछ काम करके आगे बढ़े तो इसके लिए मेरी यह आय जो पहले उसको खत्म करके उसी तरह रन होते हुए रही है तो ५५०० एकड़ ज़मीन, इसके अतिरिक्त १२५ कुंए जिनमें छः छः इन्च के पाइप, पानी को तोड़ नहीं सकते और २७ प्रकार की ज़मीन यह सब इसके साथ में उपलब्ध होते हुए भी मैं निवेदन करूंगा कि इसके अलावा और इन्स्टिट्यूशन को चाहिए क्या। मेरा अन्दाज़ तो है कि आज जो उदयपुर में

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

खर्चा कर रहे हैं उसका ७५ प्रतिशत भी अगर जोबनेर कॉलेज में खर्च करने का प्रावधान रहे और व्यवस्था अच्छी रहे और इसके साथ में जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट न होकर संस्था को ठीक ढंग से चलाने का सवाल रहे तो मैं दावे के साथ निवेदन करूंगा कि राजस्थान का उदयपुर में स्थित दूसरा कॉलेज तो क्या, भारतवर्ष के दूसरे कॉलेजों में एनवी के साथ नहीं कहता हूँ, पर Amulation के साथ निवेदन करूंगा कि जोबनेर कॉलेज सबसे आगे होगा। अगर मुझे भी सलाह में और व्यवस्था में शामिल करके व्यवस्था की जावे तो एक भी कॉलेज राजस्थान में तो क्या, भारत का एक भी कॉलेज उसकी बराबरी नहीं करेगा और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ५५०० एकड़ भूमि भारत के किसी कृषि कॉलेज में तो क्या, पर संसार के गिनती के कॉलेजों में इतने एक्स्टेन्सिव फार्म मिलेंगे।

तो, मैं यह कहता था कि जब भी सवाल इसके वास्ते आया, मुख्य मन्त्रीजी ने यही कहा था और पांच दूसरे महानुभावों ने भी इसीलिए दबाव दिया था कि यह शायद ज़मीन देगा या नहीं और देगा तो यह ५५ सौ एकड़ ज़मीन का मुआवज़ा मांगेगा मैंने इस मामले को उसी समय खंदा पेशानी वहीं समाप्त कर दिया और जो उस समय के अखबारों में और सब जगह सवाल यह रहा मेरे मुआवज़ा लेने का तो चाहे मैं अपनी पार्टी के वास्ते और अपनी जाति विशेष के वास्ते नहीं कहता पर मैं राजपूत हूँ। मैं मेरी संस्था के वास्ते मुआवज़ा लेना गौ के रक्त के समान समझूंगा और इसके अलावा मेरा यही सिद्धान्त रहेगा कि इस संस्था के अन्दर, इसके प्रशिक्षण के अन्दर अगर जरूरत हो तो मेरी हड्डियों की और मेरे गोश्त की भी ज़रूरत हो तो मैं इससे भी पराङ्मुख नहीं होऊंगा। तो उस समय यह निवेदन किया था। यह संस्था चली और अच्छी तरह से चली। यह डिफरेंस जो उपस्थित है मैं निवेदन करूंगा टी. सी. एम. की दो दफा विजिट हुई अमेरिका की। उसमें उन्होंने यह कहा कि जोबनेर बड़ी तरक्की कर रहा है और यह किसी तरह से भारत और के कॉलेजों से पीछे नहीं है और इसको इस श्रेणी में पूरी तरह से चलने देना चाहिये ताकि इसको अमरीकी मदद मिल सके। पर सिर्फ इसलिये नहीं लिया गया टी. सी. एम. में कि इसमें बिजली का प्रबन्ध नहीं है। टी.सी.एम. में आ जाने से अमेरिका की काफी लाखों की मदद मिल जाती, काफी सुभीता रहता। दूसरी बिजली, जो बड़ी बड़ी जगहों से आवेगी वह तो आवेगी पर मामूली सा एक प्लान्ट उस चीज़ की पूर्ति कर सकता था और मैंने जब मन्त्री महोदय को यह निवेदन किया तो उन्होंने मुझको विश्वास दिलाया कि मैं इस बारे में कृत संकल्प हूँ और पूरी तरह से चेष्टा कर रहा हूँ पर वह चेष्टा क्या होगी जब वह चीज़ ही वहां नहीं रहेगी और इसके अलावा फिर 'का वर्षा जब कृषि सुखानी'। इसके लिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि अनफोरसीन एक्सपेन्डीचर के लिए जो आपने एक करोड़ की धनराशि अलग रख रखी है उसमें से कुछ दिया जावे इसके लिये, अगर अलग से व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो मैं तो अर्ज करूं कि ५९। ६० के बजट में गवर्नमेन्ट आर्ट कॉलेज, जयपुर के लिये जो ग्रान्ट पेज १४७ में आप देखेंगे वह नॉन प्लैन एक्सपेन्डीचर

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

में ३६.८३ लाख का और प्लैन एक्सपेन्डीचर में ३.८३ लाख का खर्चा रखा है। तो इस प्रकार से एक करोड़ की रकम में से कृषि मन्त्री महोदय अगर अवसर उधर रह जायें तो उसको पूरा करने की जरूरत हो सकती है, उसके लिए प्रबंध हो सकता है। मैं छोटी मोटी दिक्कतों के लिए निवेदन नहीं करूंगा लेकिन जैसे मैंने संस्था को सौंप दिया, जो यहां के सदस्य महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि ७५ पर्सेन्ट भी जोबनेर में उदयपुर के मुकाबले में खर्च होता तो वह दावे के साथ चल सकता है। मैंने सफेद बाल बकरी चराकर नहीं किये हैं, यह मैंने राजस्थान की और अपनी संस्था को चलाकर किये हैं। मैं इसके लिए दृढ़ संकल्प ही नहीं करता हूं बल्कि विश्वास के साथ निवेदन कर सकता हूं कि अगर ७५ पर्सेन्ट कमी के साथ इस संस्था को चलाया जाये तो भी उदयपुर से कमी नहीं रह सकती। मेरा बराबर यह हठ रहेगा कि वहां ४ वर्ष के अन्दर उस संस्था के अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ खुल चुकी हैं तो एक संस्था जो १२ वर्ष से चल रही है उसमें क्यों न यह चीज़ हो....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं थोड़ा ही समय लूंगा और जितना समय मेरे से पहले बोलने वाले सदस्यों ने लिया उतना समय नहीं लूंगा। मैं तो थोड़े ही समय में अपने उद्गार निवेदन करना चाहता हूं। दो मिनट या पांच मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। ऐसे मामलों में अगर गवर्नमेंट इसको चलाने के लिए कृत संकल्प नहीं है तो मेरी संस्था मुझको वापिस सौंप दी जाये और जिस हालत में मैंने सौंपी थी उसी हालत में सौंप दी जाये। वहां जो दूसरी संस्थायें हैं उससे ५० या ७५ पर्सेन्ट कम खर्च के एड के साथ में मेरी संस्था वापिस सौंप दी जाये और मैं दावे के साथ निवेदन कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान की तो क्या, अगर शरीर रह गया तो भारत के जो दूसरे इन्स्टिट्यूशन्स हैं वह भी इसकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। आप सब को सुनकर आश्चर्य होगा कि कोई ऐसी साइन्स और एग्रीकल्चर की संस्थायें नहीं हैं जहां ५० पर्सेन्ट से ज्यादा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का नम्बर रहा हो, मेरे ख्याल से ऐसी कोई संस्था नहीं होगी। मेरे वक्त में बहुत से स्टूडेन्ट्स डिस्टिंक्शन क्लासेज़ में उत्तीर्ण हो चुके हैं जिनमें एक लड़का जोबनेर कॉलेज का फेल नहीं हुआ और कोई भी थर्ड डिविज़न में पास नहीं हुआ। जोबनेर में ५०-६० कृषकों के लड़के हैं और वे बड़ी तत्परता के साथ पढ़ते हैं और कृषि मन्त्री जी भी he shall also bear me out जब वहां जाते हैं तो यही कहते हैं कि वहां खूब पढ़ाई होती है और वह वहां की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वह ही नहीं बल्कि और दूसरे भी प्रशंसा किये बिना नहीं रहते हैं। इसलिए इस संस्था के बारे में कहना मेरा हक है कि अगर यह उदयपुर के मुकाबिले में नहीं तो थोड़ा कम ही बजट का खर्च ही दिलाया जावे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे मेरी संस्था के बारे में कहने का अधिकार है। वहां जो मैंने साधन उपलब्ध किये हैं, वहां जो एक एक्सटेन्सिव फार्म है तो एक तरह से देखा जाये तो हाथ कंगन को आरसी क्या? यहां सैकड़ों की तादाद में बी०डी०ओ० के क्षेत्र हैं लेकिन अभी पंडित जवाहर लाल जी के हाथों से, भीलवाड़ा के अन्दर जो सबसे ज्यादा बेस्ट काम समझा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

गया वहां शील्ड जोबनेर के बी०डी०ओ० को मिली। और मेड़बन्दी में सबसे पहले जोबनेर को शील्ड मिली है । तो, मैं गर्व के के साथ निवेदन कर सकता हूं कि वहां साधन हैं, वहां की प्रजा के अन्दर आग है और जिसकी चिनगारी....

श्री चन्दनमल बैद : वहां आब भी है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अभी तो मैं जिन्दा हूं और मैं यह चाहता हूं कि संस्था और थोड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ जावे और मैं तो खड़ा ही इसलिए हुआ हूं।

श्री चन्दनमल बैद : वहां की जनता में वाटर भी है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अच्छा तो यह फारसी का शब्द था। मेरे ख्याल में आज तक मिनिस्टर साहब ने तो क्या, एस०डी०ओ० ने भी जाकर कभी संस्था की तरक्की को नहीं देखा और न टी०सी०एम० वालों ने ही देखा। मैं तो नहीं समझता दूर्भागुन्धी हो लेकिन मैं तो इसमें संस्था के संचालक और संस्था का दुर्भाग्य समझूंगा कि ऐसे साधन आज तक नहीं मिल रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करके अपने विचार को समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस संस्था के लिए जिस प्रकार वह अग्रसर हो रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इसको हेल्प करने की कोशिश की है उसी तरह से यह जो भेदभाव है यह न रहे और मुझे इस वृद्धावस्था में जब कि मैं ७० वर्ष का हो गया हूं तो दुबारा संघर्ष करने का मौका नहीं मिले। मैं तो शायद इसमें पीछे भी रह जाऊं लेकिन जोबनेर की जनता अग्रसर होगी। ऐसे मामले में फिर सवाल उठाया तो इस मामले में मेरी जो जर्जर शारीरिक स्थिति है और देश की स्थिति भी ऐसी नहीं है इसके लिए दुबारा फिर सवाल पैदा नहीं हो जाये यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथ सिंह

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारा देश कृषि प्रधान है और उसमें भी जो हमारा प्रान्त है इसकी आबादी का मुख्यत: धंधा खेती है और इसलिए विशेष रूप से हमारा ध्यान खेती की ओर जाना चाहिए। हमारी राज्य सरकार इस संबंध में काफी काम कर रही है और आंकड़ों के हिसाब से हम देश के बहुत से प्रान्तों से आगे हैं। कृषि सुधार के भिन्न भिन्न अंग हैं लेकिन मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है वह सिर्फ बीज वितरण की अव्यवस्था के सम्बन्ध में है, जो इस प्रकार है।

"मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४०-कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (बीज के वितरण में अव्यवस्था पर बहस करने के लिए)"

(श्री शिवनाथसिंह)

इसलिए मैं इसी दायरे में रहकर आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जो बीज वितरण का कार्य सरकार के कृषि विभाग का है, इसकी तरफ राज्य सरकार को जितना करना चाहिए उतना नहीं कर सकी है। हमारी १२ साल की आज़ादी के बाद में और अब जब कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने आई है उस समय भी यदि हमारे राज्य के कृषि मंत्री सदन में यह निवेदन करें, कि, क्योंकि हम उन्नत बीज सब कृषकों को वितरण नहीं कर सकते और वह कहें कि हमारी हिम्मत नहीं है, हम बीज़ इकट्ठा नहीं कर सकते कि हर प्रान्तों में कृषकों को जो अच्छा बीज बोना चाहें उतनी मात्रा में उन्हें दे सकें, तो यह हमारे लिए कोई शोभा की बात नहीं होगी। हो सकता है कि दूसरी चेंजेज़ जिनमें कि बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेन्डीचर हो, अगर ज्यादा खर्च करना पड़ता हो, हमारे पास साधन सीमित हैं, तो उतना रुपया खर्च करो उन दिक्कतों और कमियों को दूर नहीं कर सकें, लेकिन बीज दें तो वह बिना पैसे के नहीं लेता है। उसकी उचित कीमत देता है। बाज़ार में जो साधारण अनाज की कीमत है उससे ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी किस्म का बीज नहीं दे सके। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस मायने में किस तरह से उन्नति करेंगे। राज्य में अच्छे अच्छे कृषि फार्म भी चलते हैं। हो सकता है कि उनमें घाटा हो या फायदा हो, उसकी ओर ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूँ, लेकिन वहां अच्छे अच्छे बीज पैदा किये जा सकते हैं, लेकिन वह भी प्रचुर मात्रा में नहीं दे सकते।

२. १ म० प०

इसके अलावा राज्य सरकार दूसरे प्रान्तों से जैसे पंजाब से गेहूँ का बीज इम्पोर्ट करती है तो वहां का साधारण हर खेत में पैदा होने वाला जो अनाज है वह इस प्रान्त के लिए उन्नत ही समझा जाता है, और वहां से अधिकारी बीज खरीद कर लाते हैं और उन्नत बीज के नाम से बेचते हैं। उसमें भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य ब्लॉक्स एरियाज़ से आ रहे हैं उनको शायद इस बात का काफी अनुभव होगा कि अच्छे बीज के नाम से जो बीज वितरण किया जाता है वह सब बीज खराब हो, सो बात नहीं है लेकिन कम से कम आधा बीज ऐसा होता है कि जो उन्नत बीज के नाम से दिया जाता है लेकिन वह वास्तव में उन्नत बीज नहीं हो सकता। किसानों को इससे धोखा होता है, नुक्सान होता है और ब्लॉक्स खोलने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होती है, उल्टा असर उस पर पड़ता है। मैं अपने ही राज्य के ब्लॉक का उदाहरण पेश करूंगा। झुन्झुनु ज़िले में नवलगढ़ का ब्लॉक है वहां पर पिछली बार बाजरी का बीज वितरण किया गया। सभी माननीय सदस्यों को पता है कि माननीय कृषि मंत्री महोदय के सामने शिकायत आई थी। मौके पर बीज नहीं बंटा, और जो बांटा, हमारे यहां बहुत अच्छी फसल थी लेकिन जिन काश्तकारों ने वह बीज बोया, उससे कोई भी पैदावार नहीं हो सकी, क्योंकि बीज खराब होने की वजह से और हर ब्लॉक के हर आदमी ने इस बात का ज़िक्र किया है कि बाजरी जो बंटी गई वह टाइम पर नहीं बंटी गई। वहां के आम लोगों की यह शिकायत थी कि राज्य सरकार पर इस बात का दावा करें तो उसके क्या कम्प्लीकेशन्स होते हैं और क्या नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन इस बात

(श्री शिवनाथसिंह)

की चर्चा चल रही है । तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि जो बीज वितरण की रीति है इस संबंध में वह डिफेक्टिव ज़रूर है । उसमें या तो टाइम पर बीज नहीं मिलता है और अगर टाइम पर मिलता है तो अच्छा नहीं मिलता है । पिछली बार जो बीज बांटा गया वह जिस समय बोना चाहिए उसके बाद में आया था, उसके बहुत बाद में आया । ३–४ ब्लॉक की ही नहीं, सभी की शिकायत है । पिछली बार रबी आन्दोलन में लोगों को तैयार किया गया, तकाबी का विश्वास दिलाया गया, बीज बांटने का विश्वास दिलाया गया, लेकिन बीज टाइम पर नहीं मिला और जितना बीज डिमान्ड किया गया था वह बहुत कम मिला और अच्छे रूप में नहीं मिला । इसलिए मैं राज्य सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी डेफिनिट पॉलिसी होनी चाहिए । अच्छे फार्म खोलना चाहिए । हो सकता है कि उनमें नुकसान हो, लेकिन बीज का भाव नहीं होता है । बीज अच्छा मिलना चाहिए चाहे वह कितना ही मंहगा मिलता हो । कृषि फार्म में नुकसान हो, बर्दाश्त करने को तैयार हूं, लेकिन यह विश्वास हो कि अच्छा बीज मागेंगे, तो अच्छा बीज मिलेगा ।

बाजरी के बीज के अलावा दूसरे बीज और पौधे बांटे गये और दूसरे पेड़ों के बीज बांटे गये । पिछली बार हमारे ब्लॉक्स में नीबू के पौधे बांटे गये । उन्हें पता नहीं कहां से लाया गया था कि एक भी पौधा सरवाइव नहीं कर सका । सब के सब खत्म हो गये । यही हाल दूसरे पौधों का था । पौधों के लिए बरदाश्त कर सकते हैं लेकिन काश्तकार जहां कि एक फसल का एरिया है, उसकी सारी ज़िन्दगी उस खेती पर निर्भर करती है । अच्छे बीज के भरोसे खराब बीज बोता है तो नतीजा क्या होगा, यह अन्दाज़ कर सकते हैं ।

दूसरा सवाल यह है कि बीज खराब इम्पोर्ट होता है । हमारे यहां बाजरी में जखराने का बीज सबसे अच्छा कहलाता है वह भी एक खास खेत का अच्छा बतलाते हैं लेकिन सब ब्लॉक्स में हज़ारों मन बाजरी जखराने के नाम से आई है । लोग उसका नाम सुनकर बोते हैं । जखराने की बाजरी किस तरह की होती है इसके एक्सपर्ट हमारे अधिकारी नहीं होते हैं या फिर खरीददारी में बदमाशी करते हैं । जखराने के नाम से खरीदते हैं लेकिन दरअसल में वह आसपास के इलाके का दूसरा बीज, उपाध्यक्ष महोदय, जखराने में इकट्ठा हो जाता है, वह खरीदते हैं और वहां से सब ब्लॉक्स में या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेजते हैं । वह वास्तव में जखराने का नहीं होकर घटिया किस्म का होता है, लेकिन उस किस्म के नाम से दिया जाता है ।

यही हाल गेहूं और जौ का भी है । पिछली बार रबी अभियान में जो गेहूं या जो का बीज बांटा गया है वह तमाम मार्केट से खरीदा गया है । जयपुर के लिए सवाई माधोपुर के मार्केट से खरीदा गया है और सवाई माधोपुर के लिए दूसरी जगह के मार्केट से लेती है । किसान बाज़ार में किस तरह का अनाज बेचने को लाता है ? अपना खराब अनाज वह मार्केट में बेचने को लाता है । बीज के लिए नहीं लाता है । उस अनाज को खरीदकर अच्छे बीज के नाम से बांटा जाता है तो रिज़ल्ट बुरा ही पड़ता है । इस-

(श्री शिवनाथसिंह)

लिए मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए और जितना अनाज बीज के रूप में काश्तकारों के लिए जरूरी है वह पूरा उनको दें, चाहे कीमत किसी भी रूप में वसूल करें। एक दो फसलों में तो शायद कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अच्छे बीज के नाम से बुरा बीज नहीं दिया गया। यदि ये दो चीजें राजस्थान सरकार कर लेगी तो दरअसल में काश्तकारी बढ़ेगी। उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा।

दूसरे वितरण की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होती है। वह दो तरह से दिया जाता है। एक तो बाड़ी के हिसाब से दिया जाता है और दूसरा इन्ट्रेस्ट के हिसाब से दिया जाता है। जो बीज बाड़ी के रूप में दिया जाता है उस पर पहले साढ़े सात सेर प्रति मन की बाड़ी थी और अब ५ सेर प्रति मन की कर दी गई है। वह ५ सेर की बाड़ी भी बहुत ज्यादा है। हम पुराने ज़माने को देखते हैं तो ५ सेर की बॉड़ी तो सेठ साहूकार और बोहरे भी नहीं लिया करते थे। अनाज की जो बॉड़ी ली जाती है वह कम होना चाहिए, और अच्छे किस्म का बीज दिया जाय, यही मेरा कहना है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४० कृषि के सम्बन्ध में मेरे कई एक कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं अपने उन सब प्रस्तावों को एक साथ ही सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं !

१. "मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (नगर के लिये खाद बनाने की योजना पर वाद विवाद करने के लिए)"

२. "मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४०, कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (ग्राम तालाबों के विकास के लिये आर्थिक सहायता के संबंध में वाद विवाद करने के लिये)"

३. "मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४०, कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (राजस्थान भूमिगत जल समिति पर विचार करने के लिये)"

४. "मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४०, कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (कृषि कॉलेज जोबनेर के संबंध में विचार करने के लिये)"

५. "मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे। (ग्रामस्तर कार्यकर्ता युवक कार्य कलाप आयोजन के सम्बन्ध में विचार विनिमय करने के लिये)"

६. "मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (संपरीक्षात्मक प्रक्षेत्र के सम्बन्ध में विचार करने के लिये)"

७. "मांग सं० १८ मुख्ड शीर्षक ४०, कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि शिक्षा की व्यवहारिकता के सम्बंध में वाद विवाद करते हेतु।"

(डॉ० चन्द्रकला)

८. "मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (कृषि, प्रदर्शन, प्रदर्शिनी के संबंध में विचार करने के लिये)"

६. "मांग सं० १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को कृषि का व्यवहारिक ज्ञान हो एवं उन्हें कृषि कार्यों में सक्रिय रुचि लेनी चाहिये इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये।"

मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव है नगर के लिए खाद बनाने की योजना तथा उसके परिवहन और विकास के सम्बन्ध में है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कटौती प्रस्ताव ६ हैं परन्तु समय केवल १० मिनिट का है।

डॉ० चन्द्रकला : मैं समय का ध्यान रखूंगी। मुझे प्रस्तावों के अनुसार कुछ समय ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन मैं ध्यान रखूंगी।

यह तो हम सब जानते हैं कि कृषि ही हमारे जीवन की सब से बड़ी आवश्यकता खाद्य की समस्या को पूरा कर सकती है। इसलिए उसके विकास में सब का योग होना चाहिए। लेकिन एक नगरवासी के नाते मैं सोचती थी कि आखिर उसमें हम लोगों का क्या योग हो सकता है? तो जब कृषि के सम्बन्ध में इस मांग को मैं देखने लगी तो मुझे यह शीर्षक दिखाई पड़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि यह एक बात बहुत बड़ी है कि हम कृषि के आयोजन को सफल बनाने में अपना बड़ा बहुत योग दे सकते हैं। हमारे नगर में खाद बहुत बड़ी मात्रा में होती है, हीरा खाद, सोना खाद चाहे जैसी भी खाद कहें, इस तरह का खाद नगरों में स्वभाविक रूप में होता है। हमारी केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार को बड़ी बड़ी रासायनिक खादों की फैक्ट्रियों की चिन्ता रहती है, लेकिन शहरों से बहुत अच्छी तरह का खाद उपलब्ध हो सकता है, इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। यदि उसका अच्छी तरह से उपयोग और विकास की बात सोचें तो, वक्त लगेगा। हो सकता है उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इलाहाबाद शहर में केवल गन्दे पानी से बहुत बड़ा एग्रीकलचर फार्म नैनी में चलता है। वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, वहां डेरी फार्म का भी बहुत सुन्दर विकास हुआ है। केवल शहर के गन्दे पानी से कृषि का इतना बड़ा विस्तार और विकास हुआ है। इसी तरह से और भी हर शहर में गन्दे पानी और खाद से दूसरी चीज़ का उपयोग किया जाय, तो निश्चय ही कृषि के विकास में बहुत बड़ा योग दिया जा सकता है। हमारी सरकार का ध्यान भी इस ओर गया है और उसने इस तरह की योजना बनाई है उसके लिये १ लाख ३६ हजार की राशि रखी गई है, लेकिन इस राशि का अधिकांश भाग परिवहन और पेट्रोल के लिये रखा गया है। इसका मतलब यह है कि शायद हमारी सरकार यह आशा रखती है कि कहीं पर खाद तैयार होगी और खेतों में पहुँचाई जायेगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इसके विकास की सुन्दर योजना बनाई जाये, और इसको उपयोगी बनाया जाये और खास करके कृषि

(डॉ० चन्द्रकला)

के लिये उपयोगी बनाई जाये, उसके लिये विकास की योजना हो तो ज़्यादा अच्छा हो। जयपुर शहर में एक सेवेज़ फार्म है, वहां पर गंदा पानी जाता है और उससे अच्छी उपज होती है। इसको अगर काम में लिया जायगा तो इससे हमें दोहरा लाभ होगा। शहर की सफाई होगी और कृषि का विकास होगा। गंदे पानी के निकास की व्यवस्था हो और दूसरी खाद के लायक चीज़ हो। इस तरह की व्यवस्था करके उपयोग में लिया जाय तो अच्छा हो।

दूसरा कटौती प्रस्ताव मेरा ग्राम तालाबों के बारे में है। जब सिंचन के बारे में विधान सभा में बहस हो रही थी, उस समय छोटी योजना के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका था, मैं एक बार फिर ग्राम तालाबों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इसके लिये कृषि विभाग की ओर से ७ लाख की राशि निर्धारित की गई है जिससे छोटे तालाबों का विकास किया जायगा। इससे निसंदेह गांवों को फायदा होगा क्योंकि इन तालाबों से सिंचाई होती है तो होती ही है लेकिन इसके अतिरिक्त आस पास जो कूंए होते हैं उनमें तरी आ सकती है और उन कूंओं से खेती हो सकती है। लेकिन जहां तालाब की बात आई है शहरों के पास के क्षेत्र के बारे में भी मुझे कहना है कि कम से कम सिंचाई होती है वहां पर हौज़ या इस तरह की किसी चीज़ का इन्तजाम किया जाय फिर उनमें से सुविधानुसार खेतों को पानी दिया जा सके, तो ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है।

एक प्रस्ताव अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के संबंध में रखा है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि ज़मीन में कहां कहां पानी है उसको मालूम करके उसको जनता के उपयोग में लाया जाय। एक पानी वाले महाराज कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान में और राजस्थान में आये थे, वे बताते थे कि किस जगह कितना पानी है। केन्द्रीय सरकार की सलाह से राजस्थान सरकार ने भी अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड बनाया था और जहां पर वे महाराज बताते थे वहां पर काम प्रारम्भ किया जाता है। लेकिन खेद की बात है कि वह योजना सफल नहीं हो सकी। जहां जहां पर उन्होंने बताया वहां पर पानी काफी निकला। लेकिन यह योजना खत्म हो गई फिर भी यह डिपार्टमेंट मौजूद है और कूंओं का बोरिंग करता है, 'नो प्रोफिट नो लोस' बेसिस पर पानी निकालने और उसको उपयोग में लाने का काम करता है, तो यह एक अच्छी चीज़ है। वित्त मंत्री जी के भाषण में चन्दन गांव को पानी के विषय में कहा गया था कि वहां इस तरह का पानी है उसको वहां की जनता काम में लावे तो अच्छा हो। इसके क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में विचार करें यह मेरा सुझाव है।

कृषि कॉलेज के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में आप रावल श्री नरेन्द्रसिंह जी से अधिक क्या कहेंगी ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : ये अधिक कह सकती हैं क्योंकि वनस्थली और जोबनेर का घनिष्ट सम्बन्ध रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इसी दृष्टि से कह रही हैं।

डॉ० चन्द्रकला : कृषि कॉलेज़ के बारे में जोबनेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह दिया है लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि यहां पर दो महा विद्यालय के सम्बन्ध की बात है, एक उदयपुर में और दूसरी जोबनेर में। लेकिन जहा तक जोबनेर कृषि कॉलेज का सवाल है वहां के लिये २ लाख ७२ हजार रुपये रखे हैं और उदयपुर के लिये ७ लाख ६७ हजार रुपये रखे हैं। मुझे उदयपुर कॉलेज के लिये कोई शिकायत नहीं है। हरएक जगह का अपना अपना महत्व और अनुकूलता, प्रतिकूलता होती है राजस्थान में दो विद्यालयों की उपयोगिता है क्यों कि प्रयोग की दृष्टि से दो क्षेत्रों में रहना ठीक है ; लेकिन उदयपुर को अधिक देना और जोबनेर के प्रति उदासीनता रखना उचित मालूम नहीं होता। सरकार अपने दृष्टिकोण में थोड़ी उदारता ला सके तो ज्यादा अच्छा हो।

आगे मेरा कटौती प्रस्ताव ग्रामस्तर कार्यकर्ता युवक कार्य कलाप आयोजन के सम्बंध मेंहै। यह बहुत अच्छी योजना है। ग्रामस्तर पर युवक कार्यकर्ता रहेंगे और कृषि के कार्य में मार्ग दर्शन देंगे। लेकिन वास्तव में करते क्या है कि शहर के शिक्षित लोगों को भेजते हैं। वे शिक्षित होते हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं होते। उनको जब गांवों में भेजते है तो वे गांवों के अनुकूल वातावरण नहीं बना सकते। मैं उनको कार्यकर्ता नहीं कहूंगी, वे वहां पर ऑफिसर बन कर जाते हैं, कार्यकर्ता बनकर नहीं जाते, इसलिये वे सफल नहीं हो पाते, उनकी प्रतिभा का उपयोग ग्राम वालों को नहीं मिलता है, ग्राम वाले उनसे कुछ सीख नहीं पाते हैं इसलिये ग्राम युवक कार्यकर्ता की व्यवस्था करें वहां बहुत करके ग्रामीण लोगों को लिया जाय जो ग्राम के वातावरण को अच्छी तरह से समझ सकते हों, तो ज्यादा अच्छा हो।

इसके साथ ही मेरा कटौती प्रस्ताव कृषि प्रदर्शन, प्रदर्शनी, प्रचार आदि के बारे में है। इस सम्बन्ध मे मेले आदि का आयोजन करते हैं। लेकिन जो परम्परा पुरानी चली आ रही है उन्हीं स्थानों पर मेले होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उसमें थोड़ा सा सुधार करके उसको नवीन रूप दिया जाय। मैं किसी खास मेले की बात नहीं करती हूं लेकिन जयपुर में अठवाड़ा भरता है जानवरों का। इसमें बहुत दूर दूर से जानवर बिकने के लिये आते हैं, उनका क्रय विक्रय होता है लेकिन जैसी व्यवस्था पहले से चली आ रही है वैसे ही व्यवस्था चलती है। वहां पर आने वालों के लिये पूरी पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। पुराने ढंग से यह केवल जानवरों के क्रय विक्रय का ही स्थान न रह कर प्रशिक्षण की दृष्टि से हो और थोड़ा उसका संबंध प्रशिक्षण के साथ कर दिया जाय और सरकार ध्यान देकर आयोजन करे तो अधिक लाभ उठा सकते हैं। अभी क्रय विक्रय तो होता है लेकिन प्रशिक्षण नहीं होता। तो प्रशिक्षण की दृष्टि से इसका आयोजन किया जाना चाहिये।

अब मुख्य बात मुझे कहनी है कृषि शिक्षा की व्यवहारिकता के बारे में। यह ठीक है कि यहां पर बड़े बड़े कॉलेज या महाविद्यालय बनाये हैं और उनमें से काफी कार्यकर्ता निकलते हैं। लेकिन जो निकलते हैं वे जिस शिक्षा और संस्कृति को लेकर निकलते है वे उनको कृषक नहीं बनाते हैं। वे ऑफिसर बनना अधिक पसन्द करते

(डॉ० चन्द्रकला)

हैं, वे एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना पसन्द करते हैं। अगर यह पद उनको नहीं मिले तो वे क्लर्क बनना पसन्द करते हैं लेकिन स्वयं खेती करना पसन्द नहीं करते हैं, तो कृषि के शिक्षण में बहुत बड़ी कमी रहती है। जितने निकलते हैं उनको किताबी ज्ञान कुछ भी हो जाय लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। गांवों से आने वाले किसानों के बच्चे होते हैं वे भी खेती करना पसन्द नहीं करके दूसरी जगह जाकर ऑफिसर बनना पसन्द करते हैं, एक क्लर्क बनना पसन्द करते हैं। इस बात को सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये और शिक्षण में इस बात का ध्यान रखना चाहिये। नहीं तो मतलब क्या होता है कि पढ़ लिख कर भी किसान बनना नहीं चाहते हैं।

इसके साथ ही मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था वह शायद पेश नहीं हुआ। नॉन टेक्निकल इस इस तरह के लोग थे, कृषि विभाग को देखा जाय ऊपर से नीचे तक इस प्रकार का ढांचा है कि कृषि के मामले में न उनको कोई रूचि होती है और न उनको इसका कोई व्यवहारिक ज्ञान होता है और न उनका दृष्टिकोण इस तरह का होता है।

अभी उपाध्यक्ष महोदय, यहां फल फूल, साग और सब्जी की प्रदर्शनी हुई थी, हम लोग भी देखने के लिए गये थे। आशा यह करनी चाहिए कि उसमें, हमारे कृषि मंत्री को और कृषि विभाग के डाइरेक्टर हैं, उनको आना चाहिये लेकिन पुरुष्कार पाने वाले भी ऐसे लोग थे, जिनका कृषि से सम्बन्ध नहीं था। जहां तक मुझे मालूम है, कृषि विभाग के किसी कर्मचारी को प्रथम या द्वितीय पुरस्कार नहीं मिला। इससे यह प्रत्यक्ष है कि कृषि विभाग के कर्मचारियों को कृषि में व्यवहारिक रुचि नहीं है। कृषि विभाग है, उसके जो ऑफिसर लोग हैं, ये ऑफिसर की हैसियत से इस विभाग में काम करते हैं। यही कारण है कि दुर्गापुरा का जो सहकारी प्रयोग का फार्म बना रखा है और जिसका मैं पहले भी हवाला दे चुकी हूं, उसमें इतना उत्पादन होता है कि न केवल वह स्वावलम्बी है, बल्कि आमदनी करके और दूसरे दूसरे विभागों का उसने विस्तार किया है। लेकिन हमारा विभाग ऐसा विभाग है जो कि खाऊ विभाग है, उसमें पैसा लगता रहता है, लेकिन पता नहीं उस प्रयोगात्मक फार्म से क्या आदर्श रखना चाहते हैं। हमारे पास सारे साधन हैं, खाद है, बीज है, स्टाफ है, सब कुछ होते हुए भी हमारा फार्म घाटे में चलता है और घाटे में चल कर प्रान्त की जनता के सामने कृषि का उदाहरण देने वाला है और आशा यह करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने खेतों में फार्म का विकास करेंगे। इस विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वे व्यवहारिक दृष्टि से रुचि नहीं लेंगे तब तक इसका ढांचा एक ओर चलेगा, शासन एक ओर चलेगा और किसान दूसरी ओर चलेंगे। यही कारण है कि कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वे किसानों की दिक्कत को नहीं समझते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात की ओर संकेत करके अपने इस वक्तव्य को समाप्त करूंगी। वह बात यह है कि कृषि विभाग के अधिकारी किसानों की दिक्कत को समझ लें तो अच्छा हो। मैं जयपुर के पास

(डॉ० चन्द्रकला)

रहने वाले किसानों की बात कहना चाहती हूं। जो किसान जयपुर शहर के नजदीक रहते हैं, इनको सरकार ने कृपा करके अपने कुएं में पम्प लगाने के लिए तकावी दी है और पम्प लगवाये हैं, लेकिन यह सुन कर आश्चर्य होगा कि उन किसानों को पानी रात के १० बजे से लेकर सुबह के आठ बजे तक दिया जाता है। दिन के अन्दर वे सो नहीं सकते और उनसे आशा करते हैं कि हमारी तरह मेहनत करके वे रात को १० बजे से लेकर सुबह आठ बजे तक पानी देने का काम करेंगे। किसानों में ऐसी कौन सी जीवन शक्ति आ गई है कि दिन में वे और काम करेंगे और रात में पानी देने का काम करेंगे। कौन सा ऐसा उनके खेती में रेडियम है, उनकी आंखों में रेडियम है, या खेत में बिजली लगी है कि उनको रात में दिखाई देगा। उन किसानों को कितनी दिक्कत होती है, उनको रात में दिखाई नहीं पड़ता है, धारे टूट जाते हैं, उनको विषैले जानवर, सांप वगैरह काट खाते हैं लेकिन हमारे विभाग के लोग उनकी दिक्कतों को महसूस नहीं करते है। उनको महसूस होता है कि हमारे पॉवर हाऊस पर काफी लोड हो रहा है, इसलिए उन्हें बिजली नहीं दे सकते। उन्हें बिजली नहीं दे सकते तो मत दीजिये। लेकिन उनकी दिक्कतों को सामने रखते हुए तो प्रबन्ध करें। इसका कारण यह है कि कृषि विभाग के लोगों को व्यवहारिक कठिनाई का अनुभव है नहीं, वे अपने अपने विभाग में बैठे रहते हैं, बजट बनाते है, योजनायें बनाते हैं और आशा करते है कि किसान इन्हें कार्यान्वित करेंगे। मैं समझती हूं कि जब तक इन बातों का समन्वय नहीं होगा तब तक आशाप्रद परिणाम की ओर हम नहीं जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पेश करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४०-कृषि पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव है। पहला कटौती प्रस्ताव है :

"To discuss the defective system of distribution of seed to the cultivators."

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार इस सदन में इस बात की चर्चा हुई है कि सरकार जो अच्छे बीज का वितरण करती है और उसके ऊपर बाड़ी लेती है, वह जरूरत से ज्यादा लेती है। इसके ऊपर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि सरकार बीज वितरण का काम 'नो गेन नो लोस' बेसिस पर करती है लेकिन बहुत ही दुःख की बात है कि जब इस साल का बजट मैंने देखा, तो बजट के सफा २४८ में सीड डिस्ट्रिब्यूशन स्कीम एण्ड सब्सिडी के लिए १५ लाख ६२ हजार का सरकार ने खर्च बताया है। इस खर्च को जब मैंने डिटेल में देखा तो इसके अन्दर सिर्फ २ लाख बतौर सब्सिडी है और बाकी रुपया १३ लाख ६२ हजार एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता कि बीज वितरण के लिए सिर्फ दो लाख, और १ करोड़ १३ हजार कृषि विभाग पर और १३

(श्री तेजराम गहलोत)

लाख ६२ हज़ार रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करती है, तो दूसरे जो विकास के कार्य हैं, उन पर कितना खर्च करती है ? आज इन दोनों चीजों को देखते हुए तो यह महसूस होता है कि कृषि विभाग कृषि की उन्नति करने के बजाय केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा रह गया है। हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इस ऑफिसर का एक महकमा होता है, और जो बीज का डिस्ट्रिब्यूशन करता है, वह ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर करता है। तो एक तरफ हमारी सरकार यह कहती है कि बीज वितरण पर जो खर्चा होता है, वह किसानों से वसूल करते हैं, तो इस बजट के अन्दर जो १५ लाख ६२ हज़ार का प्रावधान रखा गया है और इसमें से १३ लाख ६२ हज़ार रुपया ऑफिसर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा गया है, मैं समझता हूँ, यह जरूरत से ज्यादा है। अच्छा तो यह होता कि सरकार इस पैसे से अच्छा बीज किसानों को सस्ते दाम में डिस्ट्रिब्यूट करने में लगाती, तो किसान बीज लेने के लिए प्रोत्साहित होते और उससे अपने देश में कृषि उन्नति होती। इसके अलावा जो बीज डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है, वह अच्छा कहा जाने वाला बीज खरीदा जाता है, उसके अन्दर कई तरह का घोटाला होता है। सरकार ने उसूल बना लिया है कि अच्छा बीज होगा, उसको मार्केट रेट से एक रुपया मन, डेढ़ रुपया मन ज्यादा दाम देकर खरीद लेगी। इसके बजाय अगर यह हो जाता कि काश्तकारों के अन्दर प्रचारित किया जाय कि जिस काश्तकार का बीज अच्छा होगा, उस काश्तकार को एन्करेज करने के लिए बाज़ार रेट से आठ आना मन, रुपया मन ज्यादा दाम देकर उसे सरकार खरीद लेगी और उसी गांव में रखेगी और उसे उसी गांव में डिस्ट्रिब्यूट करेगी। इसका असर यह होगा कि जो बीज के ट्रान्सपोर्टेशन पर खर्च होता है, जिसे कि अलटीमेटली काश्तकार को देना पड़ता है, वह सेव हो जाता है और सरकार को अन्नेसेसरी दिक्कत होती है कि एक जगह से बीज उठा कर उसे हैड क्वार्टर तक पहुँचाये, वहां बीज वहां रखा रहता है तो उसमें शार्टेज होती है और दूसरी खराबी होती है, डिपार्टमेंट के दूसरे काम सफर होते हैं, इन सारी सफरिंग से सरकार बच जायगी। तो मेरा निवेदन यह है कि बीज डाइरेक्ट काश्तकार से खरीदा जाय और काश्तकार को एन्करेज किया जाय कि जिसकी फसल अच्छी होगी, बीज अच्छा होगा, उसे सरकार खरीद लेगी, तो काश्तकार अच्छा बीज बोने के लिए कोशिश करेंगे।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक हमारा कृषि विभाग इस बात को किसानों तक नहीं पहुँचा सका कि किस किस्म का बीज कपास का बोना चाहिए। आज जो काटन मार्केट बम्बई का है, वहां पर ग्रेडेशन के हिसाब से काटन बिकता है। अपने यहां कृषि विभाग काटन के बीज ले लेता है, उनमें न ग्रेडेशन का ध्यान होता है और न और कोई बात होती है। अगर यह कृषि विभाग नम्बरिंग से काटन के बीज दे और काश्तकार उन बीज को बोये तो बाजार में वह काटन उस नम्बर से बिक सकता है। हमारे यहां से जो काटन का बीज दिया जाता है उस पर नम्बरिंग नहीं होता हैं अगर यह हो जाय तो इससे किसान को एक मन कपास पर, एक मन रूई पर १० रु० १५ रु० का फायदा इस वजह से हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार काश्तकार

(श्री तेजराम गहलोत)

को सेम्पल के हिसाब से बीज दे और काश्तकार को समझा दें कि यह फलां नम्बर की कपास है, जब काश्तकार उस कपास को वेचे तो यह कह कर वेचे कि हमारी कपास इस नम्बर की है। उससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है :

"To discuss the failure of the Government to have survey of agricultural development in Rajasthan.

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ८० पर्सेन्ट नागरिक कृषि पर निर्भर करते हैं, उनको कृषि विभाग के लिए सरकार साल साल बजट के अन्दर ज्यादा से ज्यादा प्रावधान रखने की कोशिश करती है, इसकी खुशी है लेकिन जब हम देखते हैं कि वास्तव में वह पैसा किसानों के हित में या कृषि की उन्नति के लिए कितना काम में आता है, तो उसमें कुछ दुख की बात होती है। अगर सरकार के पास में इस बात की सर्वे की हुई होती कि राजस्थान के अन्दर किस गांव के अन्दर किस किस तरह की ज़मीन है और उस ज़मीन में किस तरह की फसल हो सकती है, किस गांव में किस तरह की खाद देनी है, किस गांव में किस तरह का बीज देना चाहिए, किस गांव में किस तरह की फसल बोने से काश्तकार को ज्यादा फायदा हो सकता है तो जो फायदा आज इस तरह काश्तकारों को पहुँचता है उससे कई गुना ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। अगर सरकार सर्वे कराके, एक नक्शा बना कर, एक तस्वीर बना कर एग्रीकल्चर की, शिक्षा की तरक्की करना चाहती है तो बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती थी।

एक तरफ तो हम अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में 'नो गेन नो लोस' के उसूल पर चलते हैं, दूसरी तरफ हम बजट में देखते हैं कि ७ लाख की सब्सिडी फोर डेवेलपमेंट ऑफ विलेज़ टैंक्स रखी गई है। जहां तक तालाबों के डवेलपमेंट का सवाल है, यह काम सिंचाई विभाग करता है। कृषि विभाग के सामने सही तस्वीर हो कि राजस्थान में किन किन इलाकों में पानी की आज नहीं तो ५ वर्ष बाद कमी हो सकती है। नहरों के द्वारा तालाबों से पानी निकाल कर ज्यादा से ज्यादा कहां सिंचाई उपलब्ध करा सकते हैं। यह बात सामने होती तो अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के लिये उन किसानों को सब्सिडी दे कर, जहां इस तरह पानी पहुँचाने का ज़रिया नहीं है वहां इस तरह सब्सिडी दे कर उन किसानों को कृषि विभाग एन्करेज करता कि अपने वहां वे लोग ऐसे कुंए खुदवायें, जिनमें ज्यादा मात्रा में पानी हो, इससे आज भी उनका हित होता और आगे भी हित होता, कृषि का उत्पादन बढ़ता। पर ७ लाख की सब्सिडी विलेज टैंक्स के डवेलपमेंट के लिये रखी है। मैं यह नहीं कहता कि इसका दुरुपयोग होगा, इसका उपयोग होगा पर वर्षा का पानी रोकना इस ओर तो सिंचाई विभाग ध्यान देता है, कृषि विभाग को इस ओर नहीं, सिंचाई के दूसरे साधन उपलब्ध कराने की ओर ध्यान देना चाहिये। कृषि विभाग के डायरेक्ट फील्ड मैन हैं, उन्हीं के आधार पर यह महकमा चलता है, काटन के लिये स्कीम्स हैं वह खाली शहरों तक ही सीमित रहती है, न तो काश्तकारों से डाइरेक्ट सम्बन्ध है और न गांवों में आकर रिसर्च ही करते है। एक फील्ड मैन जो कि मैट्रिक्युलेट होता है वही काश्तकारों के डाइरेक्ट टच में होता है। कई

(श्री तेजराम गहलोत)

फील्डमैन ऐसे हैं जो कि रिज़के के बीज में और दूसरे बीजों में डिस्ट्रिंगशन नहीं कर सकते। सीधे स्कूल कॉलेज से आये और गांवों में बीज बांट दिया, उनको मालूम नहीं कि कौनसा बीज कहां पर काम देगा। सोजत तहसील में गेहुँओं में गोलिया और हल्दिया के रोग हुए, पर वहां के फील्डमैन इस बात का पता नहीं लगा सके कि किस प्रकार का रोग लगा है और किस तरह उन रोगों से बचा जा सकता है।

तो सरकार इस तरह जो एस्टेब्लिशमेंट पर इतना खर्चा करती है उसको कम करके, अच्छे रिसर्च करने वाले लोगों पर खर्चा कर के उन लोगों को गांव गांव में किसानों तक पहुंचा सके तो अच्छा लाभ होगा, और इस तरह कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। कृषि विभाग इस तरह की सर्वे कराये कि अमुक जगह अमुक तरह का बीज ज्यादा सफल हो सकता है, अगर हमारा कृषि विभाग हर काश्तकार को इस चीज़ को बताने में सफल होता है तो हमारा जितना खर्चा होता है उसका अच्छा सदुपयोग हो सकता है इस तरह का सर्वे करावे, यह हमारे राजस्थान के लिये बहुत सिद्ध हो सकता है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के अन्दर भी सब्सिडी देने का प्रावधान रखें। एक किसान कुंआ खुदवाने का पूरा का पूरा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता इस प्रकार की सब्सिडी देने से वे लोग कुंए खुदवाने में समर्थ हो सकेंगे और हमेशा के लिये कुंओं के पानी से वे लोग सिंचाई कर सकेंगे और इस तरह हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा, छोटे एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है उसको कम कर के ऊंचे दर्जे के रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो कृषि के मामलों में एक्सपर्ट हैं, उन पर यह एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बढ़ाये, तो अच्छी तरक्की हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल।

(अनुपस्थित)

डॉ बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे ६ कटौती प्रस्ताव हैं I hope you will take them all as moved.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I take them all as moved.

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान डेज़र्ट के इमोबिलाइज़ेशन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस बजट में सोइल कन्जर्वेशन के लिये लगभग ५ लाख का प्रावधान है, जब कि पिछले साल लगभग सवा तीन लाख, ३। लाख का प्रावधान था। लेकिन मैं मानता हूं कि सोइल कन्ज़र्वेशन की या एफोरेस्टेशन की जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वह थर डेज़र्ट है उसकी प्रोग्रेस है उसको रोकने में गवर्नमेंट के एफर्ट्स [illegible]

Page No.76

(श्री पी० के० चौधरी)

कम रहे हैं। यह कहा जाता है कि यह डेज़र्ट ५० स्क्वेयर माइल्स की स्पीड से प्रतिवर्ष लैंड को डेज़र्ट में कन्वर्ट करता है इस चीज़ को, डेज़र्ट के बारे में एन्क्वायरी कमिशन मुकर्रर किया गया, उसने दिया है। तो यह हमारे लिये काफी बड़ा प्रोब्लम है, मीनेसिंग प्रोब्लम है, लाइटली लें ऐसा प्रोब्लम नहीं है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट एफोरेस्टेशन का काम करती है, पर वह एफोरेस्टेशन इसको रोकने में कामयाब नहीं रहा है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि एफोरेस्टेशन के अलावा कोई विशेष कदम गवर्नमेंट को लेना चाहिये। इस डेज़र्ट का टेम्प्रेचर १२० फोरेनहाइट का है, वहां ५ इंच से १० इंच तक रेन फॉल होता है। इस लिये देखा गया है कि एक्सपर्टस कहते हैं कि यह पर–हंड्रेड इयर एक सेंटीग्रेड डिग्री से बढ़ता जाता है, उनका ख्याल है कि एफोरेस्टेशन से इस डेज़र्ट की प्रोग्रेस को नहीं रोका जा सकता। इसको रोकने में आज तक गवर्नमेंट असफल रही है इसका एक्सपर्टस कारण बताते हैं कि हमारे यहां के एग्रीकल्चरल ...म में सारे हिन्दुस्तान का पच्चीस, तीस ...म राजस्थान में पैदा करते हैं, क्योंकि ... में पानी नहीं है, इस लिये उसे ...ग्रीकल्चर नहीं हो सकता है ...ेड आजीविका का शीप ... है, ज्यादा लोग शीप ... और गोट इस ... आहिस्ता २ ... मिसाल ... यह

मिसाल देखी गई है, ग्रीस में यह मिसाल देखी गई है और दूसरे देशों में जहां लोगों ने शीप ब्रीडिंग एन्ड गोट कीपिंग को अपना मुख्य पेशा बनाया वहां डेज़र्ट बढ़ा है। इसके माने यह नहीं कि मैं शीप ब्रीडिंग के खिलाफ हूं, हमारी शीप का ब्रीड है उसको अच्छा ब्रीड बनाना चाहिये, गोट्स को बेटर टाइप का करें ताकि हमें अच्छा वूल मिले, इसमें किसी को नुकसान नहीं। पर हमारे सामने एक सवाल है। और जिस पर सरकार को सोचना चाहिये कि क्या हम, शीप पोपुलेशन फेमिली प्लानिंग है जैसा हम आज बातें करते हैं, संभालते हैं। हमारे शीप की क्या हालत है? राजस्थान सरकार को सोचना चाहिये कि इस पर भी कोई कन्ट्रोल करना चाहिये या नहीं या सरकार जो आज कृषि विभाग की तरफ दिलचस्पी ले रही है। फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपने भाषण में शीप एन्ड गोट्स के ब्रीड सुधारने के सम्बन्ध में भेड़ प्रजनन के सम्बन्ध में कहा है कि हमें ब्रीड सुधारने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये और सरकार इसके लिये उनको प्रोत्साहन दे रही है जिससे उनकी तादाद है उसको बढ़ने में मदद मिले। मैं समझता हूं कि आपको इमीजियेट या जो लोग शीप और गोट कीपिंग से अपना गुज़ारा चलाते हैं उनको इमीजियेट रिलीफ पहुँचाना आप चाहते हैं और वह आप उनको पहूँचा सकते हैं मगर इसके साथ साथ आपको यह देखना होगा कि 50 sq. miles of land should be given every year. जो कल्टीवेशन से बाहर भूमि रही है उसकी कहां तक पूर्ति करते रहेंगे। मैं यही चाहता हूं और मेरा कट मोशन यही है। दूसरा मेरा कट मोशन का कोई मिशन नहीं है। गवर्नमेंट इसकी तरफ सोचे। यह एक सीरियस फीचर है और इस तरफ सरकार

(श्री पी. के. चौधरी)

इफेक्टिव कदम उठाये then they will have to think about their sheep policy. यह जो भेड़ पालते हैं उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं और हर तरह से हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और इसका नतीजा यह हो रहा है कि शीप पोपुलेशन बढ़ती जा रही है। मैं बराबर इस बात को मानता हूं और कन्वींन्स हूं कि इस पर आपको कन्ट्रोल करना होगा और इसके लिये The Government must take some effective steps. मैं तो यह कहूंगा कि आपको वह स्टेप जल्दी से जल्दी लेना चाहिये अगर नहीं लेंगे तो मैं मानता हूं कि the Government will fail in its duty towards the State.

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble member will consider about the time limit also.

श्री पी. के. चौधरी : दूसरी बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि सरकार के सामने यह एक बहुत बड़ी प्रोब्लम होगी और हो सकती है कि जो लोग शीप ब्रीडिंग पर चलते हैं उनका क्या होगा। उनके लिये सरकार को एम्पलॉय करने का कोई सोर्स देखना होगा। चाहे तो उनको किसी इन्डस्ट्रीज़ में या चाहे राजस्थान के सेमी डेज़र्ट हैं उसके मिनरल सोर्ज़ेस हैं उनमें। दूसरा है मार्केटिंग इन्टेलिजेन्स की स्कीम के सम्बन्ध में। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ६६ हज़ार का प्रावधान रखा गया था। पिछले साल ४० हज़ार का रखा गया था। अभी रिवाइज़्ड में २० हज़ार कम कर दिया गया। सन् ५७-५८ में निल था। मार्केटिंग इन्टेलिजेन्स की इम्पोर्टेन्स के बारे में मैंने पिछली साल भी कहा था और इस साल भी कहना चाहता हूं और जोर देना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि जब तक सरकार के पास प्रोपर मार्केट इन्टेलिजेन्स नहीं रहेगा तब तक सारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी है उससे सारी की सारी price will fall down. । आज बजट में, गवर्नर के एड्रस में कहा जाता है, फूड डिबेट में कहते हैं, माननीय मन्त्री होप्स बताते हैं, लोगों को उम्मीदें बंधाते हैं कि अनाज़ ज़्यादा तादाद में बाज़ार में आवेगा और हमने कई दफे देखा है कि उनके एक्सपेक्टेशन्स हमेशा falls below the market. They must set up regular organisations. जैसा एक्सप्लेनेशन वे देते हैं और जिस एक्सपेक्टेशन से देते हैं हमने देखा है कि उनके स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होते हैं। आज हम स्टेट को स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स करना चाहते हैं Through the price policy they will be induced to do in that particular crop.

उपाध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग इन्टेलिजेन्स से मेरा क्या ख्याल है, वह भी मैं आपको देना चाहता हूं। इससे हम यह समझते हैं कि बाज़ार में, प्राइसेज़ की सिचुएशन क्या हैं। फूड ग्रेन की प्राइसेज़ क्या उसकी कन्टीन्युएशन इन्फोर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिये। यह नहीं कि साल भर में एक दफे प्राइसेज़ इकट्ठी कर लिया। गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चरल कोमोडिटीज़ की सिचुएशन क्या है ? इसकी डेली रिपोर्ट रहनी चाहिये जैसे कोटन की रिपोर्ट होती है। उसी तरह से फूड ग्रेन की भी रिपोर्ट सरकार के पास रहनी चाहिये और यह रिपोर्ट रहनी चाहिये कि अलग अलग मंडियों में क्या क्या भाव हैं। मैं तो यह कहूँगा कि सिर्फ प्राइसेज़ ही नहीं

(श्री पी० के० चौधरी)

बल्कि यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कौनसी मंडी में कितना स्टॉक है और वह स्टॉक कहां से आता है। उसको कौन स्टॉक करता है। कौन उसको फाइनेन्स करता है। आया बैंक उसको रुपया देता है या कोई सेठ देता है। यह सारी की सारी इन्फोर्मेशन हमारे पास होनी चाहिये। मैं यह कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। अगर इन सारी बातों की जानकारी नहीं रहेगी तो प्लान्ड इकोनोमी अनसक्सेसफुल रहेगी अन्यथा सक्सेसफुल रहेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब इसका दूसरा पहलू भी है। आज हमने किसी पर यह कम्पलशन नहीं रखा है कि वह अपनी ज़मीन में कोई चीज़ प्रोड्यूस करें। जिसकी मर्ज़ी होगी वही अपनी ज़मीन में प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमने प्लानिंग इकोनोमी में लिया है कि इतना क्वान्टिटी में फूड ग्रेन बढ़ाना चाहिये। लेकिन आज एग्रीकल्चरिस्ट क्या प्रोड्यूस करें, यह आपको मालूम नहीं है। वह चाहे तो शुगर केन प्रोड्यूस करें और वह चाहे तो ग्वार पैदा करे। अगर वह यह समझे कि उसे ग्वार पैदा करने से ज़्यादा फायदा होता है तो वह ग्वार पैदा करेगा और अगर वह यह समझेगा कि शुगर केन से ज्यादा फायदा मिलेगा तो वह शुगरकेन पैदा करेगा तो आज सरकार के हाथ में एक ही चीज़ है और वह यह कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को डाइरेक्ट करने के लिये कि किस तरह से करना चाहिये। गवर्नमेंट की प्राइस पॉलिसी इसी तरह से सुन्तुलित है। डाइरेक्टिव है कि गवर्नमेंट जैसा चाहे they will induce to do. लेकिन ऐसा जो करना है तो इसके लिये सबसे ज़रूरी चीज़ यह है सरकार के पास मार्केट इन्टेलिजेन्स होना चाहिये। फूड सप्लाई और मूवमेंट की सारी की सारी इन्फोर्मेशन सरकार के पास उपलब्ध होनी चाहिये और सरकार तभी ऐसा कर सकती है और जिसके ज़रिये हम डिज़ायर्ड कोमोडिटी हैं, हम इन्ड्यूस कर सकेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री पी० के० चौधरी : I will take hardly two minutes.

श्री उपाध्यक्ष : I will not be lenient so far as the time is concerned ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes I will take hardly two minutes, Sir.

इतना ही मैं मार्केटिंग इन्टेलिजेन्स के लिये कहना चाहता हूं। दूसरा मेरा एक कटौती का मोशन है, उस पर मैं थोड़ा कहूंगा और ज्यादा नहीं कहूंगा। एक बात मैं, क्रोप कटिंग के लिये कहना चाहता हूं। इसके लिये ६४ हज़ार का प्रोवेज़न रखा है। लास्ट इयर ६२ हज़ार का था उसके पहले ५५ हज़ार का था।

उपाध्यक्ष महोदय, यह क्रोप कटिंग का जो ओपरेशन है उसका विशेष स्थान है प्लान्ड इकोनोमी में। सरकार की ओर से क्रोप कटिंग के एस्टीमेटस आते हैं, जैसा कि बजट में देते हैं कि फूड प्रोडक्शन की पोटेन्शियलिटी इतनी हो जावेगी, फोरकास्ट होता है उपाध्यक्ष महोदय, दो तरीके से होता है एक तो सोइंग सीज़न आती है तो फोरकास्ट किया

(श्री पी. के. चौधरी)

जाता है कि एस्टीमेटेड कॉस्ट इतनी है उसका असर मार्केट पर जाकर पड़ता है, अच्छी फसल आती है, वी आर एक्सपेक्टिंग ऐ बम्पर क्रोप तो प्राइसेज़ गोज़ डाउन । स्टॉक को व्यापारी जो होल्ड करते रहते हैं मार्केट में रिलीज़ करते हैं। इसलिए आज की इकोनोमि में क्रोप का फोरकास्टिंग का एक विशेष स्थान है। करेक्ट फोरकास्टिंग के लिए क्रोप कटिंग है वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है । क्योंकि नॉर्मल यील्ड को मान कर चलते हैं और सीज़नल बेसिस पर लेना चाहते हैं । इसके नॉर्मल फिगर हमारे पास नहीं है । मान लीजिये कि एक फसल, बीकानेर में, कोटा में और जोधपुर में काट लिया तो उससे एक्युरेट एस्टीमेट नहीं होता है। जितने ज्यादा लार्जर नम्बर में यह रहता है तो इन्टेन्सिवली कर सकें उतना ज्यादा एक्जेक्ट फिगर मिलता है, नॉर्मल यील्ड पर एकड़ इन ए पर्टिकुलर एरिया, फीगर जब मिलता है तो क्रोप कटिंग होता है, वह ठीक होता है । गवर्नमेन्ट की ओर से जितने एस्टीमेट्स दिये जाते हैं, क्राप फोरकास्टिंग का तो हमको ठीक नहीं मालूम है, स्टेटिसिटकल डिपार्टमेन्ट करता होगा, क्रोप कटिंग के लिए क्रोप एस्टीमेट्स ज़रूरी चीज़ है, जिसके प्राइसेज़ को मार्केट में बढ़ाने और घटाने का विशेष स्थान है । इसलिए क्रोप कटिंग के ओपरेशन्स हैं उस पर क्रोप एम्फेसिस होता है । गवर्नमेन्ट को यह डिपार्टमेन्टल चीज़ है, वह मान कर नहीं चलना चाहिये। इसका इफेक्ट मार्केट पर पड़ता है और उससे दूसरा असर सप्लाइज़ और डिमान्ड पर भी पड़ता है और यह कॉमन मेन को डाइरेक्ट इफेक्ट करता है । इसलिए साइन्टिफिक इन्फोर्मेशन या डिपार्टमेन्टल इन्फोर्मेशन न मान कर इसको वाइटल आइटम मान कर ज्यादा प्रावधान रखना चाहिये और इफेक्टिवली चलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणपतिलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री बालमुकुन्द ।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४०-कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (डूंगरपुर में कृषि उत्पादन के साधनों को बढ़वाने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग ८ वर्ष भारतवर्ष को आजाद हुए हो गये, जो अपने आपको लीडर मानने वाले लोग हैं, वे कृषि उत्पादन के बारे में कई लम्बे चौड़े भाषण देते हैं और बार बार उन्नति का जिक्र आता है कि भारतवर्ष की ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है, मुख्य धंधा कृषि का है। फिर भी कृषि उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके, इसके क्या कारण है ? इस पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहता हूं कि जो भारतवर्ष में खेतीहर लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है, जो शिक्षा से भी अनभिज्ञ हैं, और आर्थिक स्थिति उनकी गिरी होने के कारण, कृषि के काम में आने वाले जो अच्छे औज़ार हैं, बीज़ हैं, खाद है और उनके द्वारा ज़मीन को सुधारने की आवश्यकता पड़ती है उन यंत्रों को ठीक प्रकार से जुटा नहीं सकते

(श्री बालमुकन्द)

और इसी वजह से कृषि उत्पादन में बाधा उपस्थित होती है। दूसरा, शिक्षित न होने के कारण जो अच्छे उन्नत तरीकों से कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है उसको नहीं जानते और इस कारण से भी कृषि उत्पादन में बाधा उपस्थित होती है। इसके बाद लम्बे चौड़े भाषण जरूर दिये जाते हैं कि यह योजना पूरी हो जायगी। लेकिन कृषि उत्पादन के जो मूल साधन हैं, छोटे २ तालाब, छोटे २ कुएं, सिंचाई लिए नहरें आदि उनकी ओर सरकार ध्यान कम देती है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि सन् ५३ से डूंगरपुर में तालाब अधूरे पड़े हुए हैं, उनका काम पूरा नहीं हुआ है, उनसे नहरें भी नहीं निकली हैं, कृषक बार बार लिखते हैं कि तालाब बंधाओं, नहरें निकालो जिससे सिंचाई हो सके, लेकिन अब तक भी वे तालाब अधूरे हैं बन्धे नहीं हैं और भूमि को पानी नहीं दिया जा सकता है। कृषि उत्पादन की ज़िम्मेदारी कृषि विभाग पर है और मंत्री महोदय पर है। जो साधन उपलब्ध हैं उनको जल्दी २ पूरा करें और किसानों को उनके लिए हर तरह की सुविधा दें। क्योंकि किसान लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, कि हर ज़मीन पर कुएं खोद सकें और भूमि को पीवल बना सकें। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि ज़मीन को कृषि के योग्य बनवाने के लिए जितने साधन उसके लिए आवश्यक हैं वे किसानों को उपलब्ध करें और ज़मीन को उन काश्तकारों में बांट दी जाय जिससे कि नहरों के द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो कर जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जावे ताकि भूमि को पीवल बना सके।

दूसरा, कृषि के लिए रसायनिक खाद वितरण किया जाता है, उसके लिए सुझाव है। काश्तकार रसायनिक खाद को काम में लेने से अनभिज्ञ हैं इसलिए उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। उस खाद के देने के बाद ठीक प्रकार से पानी न मिलने के कारण या तो फसल सूख जाती है या ज़मीन में कड़ापन आ जाता है इसलिए काश्तकार उस खाद के प्रति निरुत्साही हो गये हैं और समझने लगे हैं कि यह तो खेती को और बरबाद कर देता है इसलिए वे उसका उपयोग नहीं करते। इसलिए यह खाद जब ही उपलब्ध किया जावे जब कि सिंचाई के साधन उनके लिए जुटा सके हों। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि डूंगरपुर ज़िले में काफी सुपरफासफोरस और अमोनियम सल्फेट दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि अमोनियम खाद देने से और बराबर पानी न मिलने से फसल जल गई। इससे काश्तकारों में निराशा छा गई है और कहने लगे हैं कि यह अच्छा नहीं है। रसायनिक खाद काफी पानी मांगता है और वह तब ही खेतों में दिया जाय जब कि उनके लिए पूरा पानी उपलब्ध हो। राज्य सरकार इस ओर बिल्कुल ही उदासीन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक तरफ तो आप कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हो क्या रहा है कि अनाज दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, इसका मौलिक कारण ही यही है कि सरकार कृषि की ओर पूरा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ ही अपना ध्यान लगाती है, अपने एशोआराम में ध्यान लगाती है, कई तरह के बाग बगीचे, बंगले और कारों के लिए ध्यान लगाती है। लेकिन जो देश की बुनियादी चीज़ है और जिसके आधार पर

(श्री बालमुकन्द)

हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस ओर पूरा ध्यान नहीं देती। आज रूस और चाइना में क्या हुआ है, उन्होंने उस ओर ध्यान दिया कि हमारे देश के लोग भाषण देना जानते हैं वर्षों से जो खेती करते आ रहे हैं उनको कहते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाओ। वे बढ़ावेंगे कैसे, जब कि वे गरीब हैं, साधन उनके पास उपलब्ध नहीं हैं, शरीर से भी जो कमज़ोर हैं, वे कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ावेंगे ? तो सब से पहला फर्ज यह है कि ऐसे जो लोग हैं, जो खेती के उत्पादन के जिम्मेदार हैं, उनके स्वास्थ्य के लिये उनके आर्थिक मामलों में ध्यान देना होगा, खेती के लिये जितने भी उपयोगी साधन हैं उनके जुटाने के लिये सब से पहला फर्ज होगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा साधन व सुविधा उपलब्ध करनी चाहिये वह विभाग द्वारा की जानी चाहिये ताकि हमारा कृषि उत्पादन बढ़ सके।

३.१ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : आपका बीज वितरण का एक कटौती का प्रस्ताव रह गया है।

श्री बालमुकुन्द : बीज वितरण की समस्या सबसे बड़ी है। हमारा कृषि विभाग ऐसे बीज देता है जिसमें से चालिस प्रतिशत में उगने तक की ताकत नहीं होती है। इसकी वज़ह से काश्तकारों को एक प्रकार से निरूत्साह पैदा होता है। बीज वितरण करते वक्त यह ध्यान में होना चाहिये कि कौनसा बीज कौन से एरिया के लिये सूटेबल हो सकता है। बाजे वक्त यह भी देखा गया है कि जो बीज किसानों को दिया गया है वह बिल्कुल उगता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि विभाग नहीं देख रहा है ?

श्री बालमुकुन्द : कृषि विभाग क्यों देखने की कोशिश करेगा।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री कृषि विभाग) : पूरी तरह से देख रहा है।

श्री बालमुकुन्द (जारी) : उप-मंत्री महोदय जो कृषि विभाग के ज़िम्मेदार हैं वे भी देख रहे हैं और सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी देख रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। हमारे कृषि मंत्री महोदय इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दें कि काश्तकारों को समय पर बीज उपलब्ध हो जाय कृषि के जो औज़ार है वे सस्ते और समय पर मिलने चाहिये। समय, बैल और बीज आदि न मिलने की वज़ह से साधन न मिलने की वज़ह से खेत को वे बो नहीं सकते इससे नुकसान सारे देश को उठाना पड़ता है।

इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं और निवेदन करता हूं कि इनकी तरफ विशेष ध्यान देकर सिंचाई के साधन जितने जल्दी हो सके किसानों के लिये उपलब्ध किये जांय।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : We are closing at 4, and then operation of gulletin, etc.

(श्री उपाध्यक्ष)

and then the reply of the Hon. Minister. So I think, you will be co-operating with me.

श्री गिरधारीलाल (जारी) : I will finish early.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे कट मोशन का प्रश्न है, मैं सैद्धान्तिक तौर से इस बात को मानता हूं कि जितने भी एक्सपेरिमेन्टल फार्मस हैं ये ज्यादा तादाद में होने चाहिये। जिससे आज दिन हमारे किसानों की जो खेती करने की पद्धति है, पुराने तरीके हैं, उनको ये वैज्ञानिक रीति से जो फार्म हैं वे उन किसानों को कुछ शिक्षा दे सके। वर्तमान समय में जो फार्म्स हैं उनमें ऐसा है कि किसानों को कोई फायदा मिलता हो, यह बात नहीं है। इन फार्म्स में लाखों रुपया सरकार लगाती है किन्तु उससे किसानों को कुछ फायदा होता हो यह बात नहीं। सूरतगढ़ का फार्म है उसमें किसानों की ज़मीन ली गई है बदले में उनको दूसरी ज़मीन दे दी गई है उससे ऐसी बात नहीं कि सारे ज़िले के किसानों को फायदा मिलता हो यह बात नहीं लाखों करोड़ों रुपया लगने के बाद भी किसान उससे फायदा नहीं उठा सकते। दूसरे जो फार्म्स हैं वे ज्यादातर या तो हैड क्वार्टर में या ऐसी जगह खोल रक्खे हैं जहां पर किसान पहुंच नहीं पाता। आप जयपुर के फार्म को ही ले लीजिये। यहां पर बहुत कम किसान आते हैं। जितने भी अधिकारी लोग हैं जिनको आपने फार्म्स पर नियुक्त कर रखा है सिवाय किताबी ज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान दे नहीं सकते। वास्तव में होना तो यह चाहिये कि किसानों के साथ में मिल करके उनके जैसा बन कर के शिक्षा देने का तरीका अपनाना चाहिये, जो अफसर लोग नहीं अपनाते। जिससे आगे जाकर आये दिन बहुत नुकसान हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन उतना फायदा नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं इसलिये मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय आपका नाम घोषित किया गया उस समय आप उपस्थित नहीं थे आज स्थिति दूसरी है, इसलिये मैं समय देने में विवश हूं। दूसरे माननीय सदस्य बोल लें उसके बाद समय बचता है तो मैं विचार करूंगा।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "मांग संख्या १८ में मुख्य शीर्षक ४०-कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (खारवाली ज़मीन को उपजाऊ बनाने में विभाग सफल नहीं हुआ इस पर वाद विवाद करने हेतु)"

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है, "मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (फसलों में लगने वाले रोगों की रोकथाम के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे देखा जाय तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहां एक तिहाई जनता खेती पर निर्भर करती है। राजस्थान की करीब एक तिहाई जनता कृषि पर और पशुओं पर निर्भर करती है। इस-

(श्री रामकरणसिंह)

लिये हमारी सरकार द्वारा इस तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है यह देखने की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सम्बन्धित कृषि विभाग के मंत्री और उप मंत्री दोनों ही काश्तकार वर्ग से है मगर इसके साथ साथ दुर्भाग्य इतना सा है कि जो कुछ आंकड़े जो कुछ सूचना इनके नीचे के अधिकारी देते हैं टेबल पर बैठे हुए दे देते हैं, पंखे की हवा में जो कुछ आंकड़े तैयार किये जाते हैं, वे यहां दे देते हैं...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या टंड में भी।

श्री रामकरणसिंह : ठंड में हीटर हो सकता है। सही आंकड़े वही माने जाने चाहिये जो जंगल की हवा में पेड़ और टीलों के नीचे बैठकर तैयार किये गये हो और वे ही यहां दिये जाय। मगर मैं यह वादे के साथ कह सकता हूं कि कृषि विभाग के किसी भी तहसील के आंकड़े उठाकर देखें और उन आंकड़ों से टेली करें किस प्रकार उस तहसील में कीड़े मकोड़े या अन्य रोगों की रोकथाम या अन्य प्रकार के डिमोन्स्ट्रेशन किये जाते हैं, सही आंकड़े सामने आजायेंगे। अगर उन आंकड़ों से और हमारा विभाग जो आंकड़े देता है उसमें टेली हो जाय तो मैं इस सदन में कभी भी कृषि विभाग के सम्बन्ध में नुक़ताचीनी नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपका वक्तव्य मान रहा हूं, नुक्ताचीनी नहीं।

श्री रामकरणसिंह : (जारी) इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि हमारे काश्तकार वर्ग में असन्तोष है जो एस्टीमेट कमेटी ज़िला स्तर पर बनी हुई है ज़िला स्तर की कमेटी का मेम्बर होने के नाते मैंने जयपुर ज़िले का दौरा किया है और ज़ितने भी काश्तकार मिले उनसे पूरी जानकारी ली है। हमें ज्ञात हुआ है कि यहां पर जो खारी वाली ज़मीन थी, आज भी वैसी की वैसी हालत में पड़ी हुई है किसी प्रकार भी विभाग द्वारा सहूलियत नहीं दी गई है। खारी वाली ज़मीन को उपजाऊ बनाकर उससे रिटर्न ले सके हों ऐसी बात नहीं है।

बीज वगैरह कैसा मिलता है और बीज मिलने के बाद जब वे बीज बोते हैं तो उस बोने के समय से लेकर काटने के समय तक लगने वाले जो रोग हैं उनका निदान का उपाय इस विभाग की तरफ से नहीं होता यह बहुत सोचने की बात है। इसके लिये मैं कुछ एक रोगों के नाम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी को, बताऊं कि खास तौर से हमारी खेती में लगने वाले कितने रोग हैं जिनके बारे में विभाग का कोई भी अधिकारी पूरे नाम भी नहीं जानता होगा। जिनके बारे में मेरी यह अच्छी तरह से मान्यता है कि कई बार जिक्र किया और जानकारी करनी चाही पर सन्तोष-जनक उत्तर नहीं मिला। बीछण, गोवोलाई, नाम का कीड़ा होता है जो मकई में लगता हैं, रौला काबा लट लाल कीड़ा होता है जो बाजरा और मकई में लगता है। रोली, उखालो, मोला छोछो कीड़ा होता है जो जीरे में लगता है। हलदो भूमशा, धोला सुन्डी चौलाई में लगता हैं चूरो, मोवा, सुर्रा चोरड़ी....

श्री उपाध्यक्ष : जितने गांवों के नाम हैं उतने ही कीड़े हो गये ।

श्री रामकरणसिंह : यह तो बहुत कम अर्ज कर रहा हूँ । इन बीमारियों से रात और दिन जब भी किसी काश्तकार की गांव में हालत देखी जावे तो मालूम हो सकता है कि वह कितना परेशान है । सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है । उसको तो इनकी जानकारी ही नहीं है । जिस प्रकार आज के विज्ञान ने नये नये अविष्कार नई नई बीमारियों के मेडिकल विभाग ने किये है उस तरह से हमारी खेती के महकमे ने भी कुछ इन रोगों को रोकने की दवाइयां निकाली हैं, पर वे अभी बहुत पीछे हैं, सब की नहीं निकाल पाये हैं और फिर जिनकी निकली भी हैं तो वे किसानों के पास तक नहीं पहुंचाते, उनका प्रबन्ध बड़ा खराब है, वे दूर देहातों तक पहुँचते ही नहीं।

कुछ कीड़े ऐसे हैं जैसे दीमक तितली, चूहा, कातरा, फड़कला, बैरल, गुड़ बाणियां लाल कीड़ा, बिछवा, सुन्डी जो एक दम फसल को नष्ट कर देते हैं । उनके बारे में किसी तरह की जानकारी करके काश्तकार को राहत पहुँचाई हो, ऐसी बात नहा है ।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अर्ज करता हूं कि हमारा किसान और भी खुशहाल तब हो सकेगा जब कि वह सात तूड आसानी से उपजा सकेगा और इसमें सरकार उसकी मदद करेगी, तब किसान खुशहाल बन सकेगा ।

सात तूड के बारे में मैं अर्ज करता हूँ । पहला तूड है अनाज जिसमें सभी प्रकार के अनाज आ जाते हैं, दूसरा तूड है सरसों, तिल तैल वगैरह जिनमें तेल वाली सभी चीजें आती हैं, तीसरा है सन, जिसमें रस्सी वगैरह, बान वगैरह आ जाते हैं । चौथा है बन जिसमें कपड़ा बनाने वाली वस्तुए, रशे वाली चीजें सभी आ जाती हैं । पांचवा है, रस, जिसमें हर प्रकार के रस गन्ना वगैरह की खेती में होने वाली चीजें हैं । छठा है खस खस निकाल कर फ्रूट्स वगैरह जिसमें आ जाते हैं और इस प्रकार सातवा है खैल, जिसमें से खुशबू वगैरह होती हैं । हर किसान जब ये सात तूड तैयार करने लगेगा और उनको बाजार में बेचने की सहूलियत मिलने लग जावेगी और बीज वगैरह की सरकार उनको मदद देने लग जावेगी तो किसान की स्थिति आज से उन्नत होने लग जावेगी ।

इनको इस खेती का पर्याप्त फल मिल सके इसके लिए कीड़ों से इस खेती की रक्षा करना भी बहुत जरूरी है और सरकार को इसमें भी उनकी मदद करनी चाहिए ।

किसान अगर अच्छी हालत में रहना चाहता है तो उसे हर प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले चार प्रकार के जानवरों से भी हिफाजत करनी चाहिए । इस प्रकार के हैं चरन्देह चरने वाले जैसे हिरन आदि । दूसरे हैं परिन्दा जिनके पर होते हैं जो उड़ते हुए या तो फल वगैरह तोड़ ले जाते हैं या खुद खा जाते हैं सारी फसल को चाट जाते हैं । जैसे टिड्डी, तोता आदि । तीसरे होते हैं दुरन्दे जैसे सेहूं वगैरह जो खेतों को नष्ट कर देते हैं । चौथे हैं दरिन्दे, तैरने वाले जो तैरते हैं और मौका पाने पर ज़मीन पर आ जाते हैं और खेत नष्ट कर देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अध्ययन बड़ा गहन रहा है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उनको एडवाइज़र रखा जावे, एग्रीकल्चर विभाग में ?

श्री रामकरणसिंह : काश्तकार होने के नाते वैसे ही एडवाइज़र हूं । खेती करता हूं अपने हाथ से । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो ऐसी स्थिति में माननीय मन्त्री महोदय इन सारे कीड़े मकौड़ों की रोक थाम करने के लिये सक्रिय भाग लें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिल सकता है । यह मेरा निवेदन करना है ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४०-में बीज वितरण की व्यवस्था पर है । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है वह तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने देश की ८० प्रतिशत जनता, जो देहातों में रहती, और खेती वगैरह करती है, उसको उन्नत न कर दें । यह बात हम मानते हैं कि खेती को बढ़ावा देना चाहिये । इसमें मुख्य व्यवस्था आज बीज के वितरण की है । सरकार कहती भी है कि हम अच्छे से अच्छा बीज काश्तकार को देना चाहते हैं । पर वास्तव में देखा जावे तो खेती, कारखाना नहीं है । कारखाने में दो महीने बाद भी आप कोई चीज़ भेजें तो काम चल सकता है पर खेती ऐसा उद्योग है कि जिसमें जैसे खरीफ की फसल के लिए आषाढ से पहले पहले बीज न मिले तो बेकार हैं, इसके बाद काश्तकार बीज नहीं बो सकेगा । इसी प्रकार रबी की फसल का हाल है । समय पर बीज नहीं मिलने से किसान की स्थिति खराब हो जाती है, फसल नहीं बो सकता, और इससे आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो जाती है इसका यह एक महत्वपूर्ण कारण है । किसान समझता है कि हमें राज्य सरकार द्वारा बीज मिलेगा लेकिन समय पर वह नहीं मिलता और इससे बड़ी कठिनाई होती है । इसके लिए हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर भी, वित्त मंत्री महोदय के भाषण के अवसर पर भी कहा है ।

३.१६ म० प०

(श्री मनोहर कोठारी, सभापति, पदासीन)

राज्यपाल महोदय ने कहा खरीफ का अभियान चालू करेंगे तो आसाढ से होगा, पर अभियान तो जो करना है पिछली दिसम्बर और जनवरी से शुरू हुआ । आज गेहूँ, चना, सरसों का कटना शुरू हो रहा है । जो किसान समझदार हैं, जो चाहता है मेरा खरीफ की फसल अच्छी से अच्छी हो वह जोतना शुरू कर देगा । और हमारी सरकार खरीफ का अभियान शुरू करना चाहती है, यदि वित्त मंत्री महोदय के भाषण को देखेंगे तो उन्होंने रबी अभियान के सिलसिले में कुछ बीजों का सिलेक्शन किया और गेहूं, जो, चना और साथ में बाजरा भी जोड़ दिया ! एक हंसी सी आती है कि हमारी कृषि विभाग जो कि कृषि की समुचित व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने बनाया है और जो कृषि को बढ़ावा देना चाहता है, वह यह नहीं जानता कि रबी की फसल में क्या बीज बोया जाता है । और खरीफ में क्या बीज बोया

(श्री सूबेदारसिंह)

जाता है। इस चीज़ का भी ज्ञान उसे नहीं है...

श्री मोहरसिंह (चूरू) : अंग्रेजी में नहीं लिखा है।

श्री सूबेदारसिंह : मैंने तो पढ़ा है उसके बारे में कहता हूं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तक का जो समय गुज़रा वह तो गुज़रा लेकिन जब तक हम काश्तकारों की हालत को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा देश डवेलप नहीं हो सकता। आज वह समय आ किया है कि रबी अभियान पर हमारी सरकार काम शुरू करना चाहती है और उसके लिये बीज वितरण का काम करेगी। तो मेरा सुझाव है कि आज ही सरकार को चाहिए कि गेहूं और चने का दाना बाज़ार में नहीं आये, उससे पहले ही सरकार को चाहिये कि हर एक काश्तकार को यहां देखे कि जो भी दाना वहां, पैदा हुआ है वह किस का दाना मोटा और स्वस्थ है उसे बाज़ार रेट पर खरीद कर अपने यहां पर इकट्ठा करे। अपने यहां पर इकट्ठा करने के लिये मैं यह नहीं कहता कि उस अनाज को खरीद कर अपने हैडक्वार्टर्स पर ले आयें या जयपुर केपिटल में ले आयें। जब बीज की जरूरत होती है तो गांव में कलेक्टर को चिट्ठी लिखी जाती है, तहसीलदार डिमान्ड करता है, बीज वितरण कमेटी अपना अनाज मांगती है और इस तरह डाक वगैरह के ही आने में और क्लेरीकल प्रोसेस में भी इतना समय लग जाता है कि कागज वगैरह भीजाने ठीक समय पर नहीं पहुंच सकते, तो फिर बीज का तो क्या? जितनी भी बीज की जरूरत हो वह गांवों में मिल सकता है बशर्ते कि पहले से इकट्ठा करके रख लिया जाये। आपकी जैसे एक्स्पेरीमेन्टल फार्म्स दुर्गापुरा वगैरह जैसी हैं वहां पर खरीद कर रख लिया जाये और जरूरत के समय दूसरे गांवों को पहुँचा दिया जाये। मेरा मतलब इससे सिर्फ यही है कि आज यदि राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि गांव से किस प्रकार से खरीदे और कितना खरीदे और अगर सरकार इतना रुपया नहीं लगा सकती कि हर गांव से बीज खरीद कर इकट्ठा कर के किसानों को समय पर दे सके तो कम से कम एक एक जिले में एक एक तहसील चुन ली जाये। एक गांव के अन्दर से बीज अच्छा और स्वस्थ खरीद कर अगर किसी किसान को दे देते हैं तो उस बीज के साथ साथ आपको, यह भी देखना होगा कि अगर आपका बीज थोड़ा सा भी देर से मिला तो किसान बोहरे से बीज खरीद कर अपने खेत में बो देता है और आपका बीज बाजार में दे देता है तो इस तरह की भी बात नहीं होनी चाहिये। क्या होता है कि कुछ लोग खेती तो करते नहीं बस यूं ही कुछ थोड़ा बहुत करके बीज के लिये दरख्वास्त पेश कर देते हैं और उनकी कुछ सरकारी कर्मचारियों में पहुँच होने के कारण वह सरकार से बीज खरीद लेते हैं और फिर उसको बाजार में बेच देते हैं। तो, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की बातें भी सरकार को नहीं करने देना चाहिये। बाड़ी के सिस्टम ने तो यह कर दिया कि लोग बीज राज्य सरकार से तो लेंगे और उसको बाज़ार में बेच देंगे और इससे अपना गुज़र बसर करते हैं। इसके लिये सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा अपनी राज्य सरकार का ध्यान इधर आक-

Page No.87

(श्री सूबेदारसिंह)

षित करना चाहता हूँ कि हम उसी किसान को बीज देना चाहेंगे जिसने कि गेहूँ के लिये दस बारह जोत अपने खेत में लगा ली हो और जहां डवेलपमेन्ट एरिया है, जहां ब्लॉक्स हैं वहां पर इस प्रकार की इन्स्ट्रक्शन होनी चाहिये कि वह देखें कि किस किसान ने ऐसी खेती बनाली है कि वहां चना वगैरह बोया जा सकता है तभी अच्छे किस्म का बीज वहां से उपलब्ध हो सकता है। तो इस तरह से जब हम अच्छे किस्म का बीज देंगे तो अच्छे किस्म की खेती पैदा होगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि खेत की हालत अच्छी नहीं होती है और आप अच्छा बीज दे देते हैं, पानी भी नहीं देते और खाद वगैरह भी नहीं देते, इससे क्या होता है कि आपका अच्छे किस्म का दिया हुआ बीज बेकार जाता है। अगर यही होता रहा तो चाहे सरकार कुछ भी करे जब तक वह कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि आप अच्छे किस्म का बीज तो दे देते हैं लेकिन उनके खेतों में देने के लिए पानी नहीं देते इससे आपके बीज की क्वालिटी मारी जायेगी। आज हम देखते हैं कि राजकीय फार्म डेफिसिट में चलते हैं तो जब कि हमारे सरकारी फार्मों का ही यह हाल है तो जनता की रुचि कैसे खेती की ओर ले जायेंगे, जनता को जब तक यह नहीं मालूम होगा कि खेती में किस प्रकार का फायदा है तब तक वह कैसे अपनी रुचि खेती की ओर ले जाएगा। तो यह सोचना पड़ेगा कि हम बीज उसी आदमी को देंगे जिसने कि खेत को अच्छा बनाया है। अब मैं थोड़ा खाद के बारे में निवेदन करूंगा। लोग कहते हैं कि सरकार से अच्छा खाद नहीं मिलता। इसके लिए बड़ी सीधी सी बात है। मैं भी किसान परिवार का हूं। मेरे घर में हमेशा सनबीजे का खाद लगता है। उसको बो देते हैं और करीब वह पांच छः फुट ऊंचा हो जाता है और उसका खाद खेत में डालने के बाद में उसमें तीन साल तक खाद लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी सरकार ग्वार और तिली का खाद लगाना चाहती है तो आज राजस्थान में मुझे यह देखने को मिलता है कि सनबीजे का बीज हमें उपलब्ध नहीं होता है। मुझे भी पिछली साल इस सनबीजे की जरूरत पड़ी तो वह मुझे आगरा से मंगाना पड़ा क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सनबीजे का खाद ही प्रयोग में लाया जाये या फिर अगर सरकार ने किसी दूसरे तरीके का एक्सपेरीमेन्ट किया है तो ठीक है। तो जब तक हम किसानों को हरी घास के लिए बीज नहीं देंगे तब तक अधिक अन्न नहीं उपज सकता। तो, मैं यह कहना चाहता हूं कि रबी की फसल के लिए यह हरी घास के बीज असाढ़ में बो दिए जायेंगे और अब उसमें ज्यादा समय नहीं रहा है केवल दो महीने ही हैं तो आज से ही सरकार को कटिबद्ध हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हमें हरी घास का बीज देना है। मेरा स्पष्ट रूप से यह कहना है कि गांवों में एक महीने पहले ही बीज का स्टॉक कर लेना चाहिए। आज गांव गांव में पंचायतें हैं और इन पंचायतों के द्वारा कहीं भी किसी भी सुरक्षित स्थान पर रखा जाये ताकि बारिश होने से पहले ही किसानों को बीज दे दिया जाये और बारिश पड़ते ही किसान अपने बीज खेतों में लगा दें ताकि अच्छी खेती हो।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब किसानों ने अच्छा बीज

(श्री सूबेदारसिंह)

लगा दिया और खेत जुत भी गया तब हमारी सरकार को इधर भी देखना पड़ेगा कि बीज लग गया, किसान की जो मेहनत थी वह उसने कर ली और अब क्या करे। अब खेतों में पानी देने के लिए आपकी तरफ से कोई नहर नहीं, कोई तालाब नहीं, पानी नहीं इसके लिए उसको कुंए चाहिए और कुंए भी नए सिस्टम के चाहिए जिनमें कि पम्प लगे हुए हों। क्योंकि मेरी इस प्रकार की मान्यता है कि जो काश्तकार अपनी चड़स लगा कर खेती करता है उसको खेती मंहगी पड़ती है क्योंकि चड़स के लिए अगर उसको ३ आदमी भी रखने पड़े तो एक एक आदमी के ६० रुपए के हिसाब से महीने के १८० रुपए होते हैं और इस प्रकार से साल भर का हिसाब लगाएंगे तो उसको एक पैसा भी नहीं बचता ।....

श्री सभापति (श्री मनोहर कोठारी) : माननीय सदस्य आपका कटौती प्रस्ताव सिर्फ बीज के वितरण तक ही सीमित है....

श्री सूबेदारसिंह : बीज का वितरण तो कर देंगे लेकिन उसका फायदा नहीं होगा पानी नहीं देंगे तो बीज सूख जायेगा ....

श्री सभापति : आप अपने कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रहें।

श्री सूबेदारसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि बीज जहां अच्छे से अच्छा मिल सके लेना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है कि हम राजस्थान से ही बीज खरीदें पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर जहां से भी अच्छा मिल सके, हमारी सरकार को इसके खरीदने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहां के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ को दूसरे प्रोविन्सेज़ में जाना चाहिये और देखना चाहिए कि वहां का किसान किस प्रकार से खेती करता है, वहां की सरकार क्या व्यवस्था करती है, वहां जाकर यह सब प्रेक्टिकल रूप से देखना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि बीज गांव गांव में किसानों के घर घर पर समय से पूर्व ही मिल जाना चाहिए तभी खेती की व्यवस्था हो सकती है अन्यथा नहीं।

श्री सभापति : श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : सभापति महोदय, आज कृषि विभाग के ऊपर काफी कटौती के प्रस्ताव आये। जब मैंने कटौती के प्रस्तावों की इस लिस्ट को देखा और एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसको पढ़ता गया तो जितने भी कटौती के प्रस्ताव आये उनमें एक ही बात थी और वह थी बीज वितरण में अव्यवस्था और मेरा भी यही कटौती का प्रस्ताव है जो इस तरह है :

" मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (बीज वितरण की दूषित प्रणाली पर विचार करने हेतु")

और इसके साथ साथ दूसरा भी कटौती का प्रस्ताव है, "मांग संख्य १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि में एक रुपये की कटौती की जावे (ज़िला कृषि अधिकारियों द्वारा जीप का दुरुयोग पर विचार करने हेतु)"

जब मैंने कटौती के प्रस्ताव रखे थे उस समय मेरा भी इसी तरह का ध्यान था। परन्तु बीज वितरण के सम्बंध में तोसदन में काफी बहस हो चुकी है क्योंकि बीज वितरण में

(श्री लच्छूराम)

वाकई में धांधली है और सभी माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय को अवगत कराया है कि बीज वितरण की समस्या किस तरह सुलझाई जा सकती है।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव एक ज़िला कृषि अधिकारी द्वारा जीप के दुरुपयोग के बारे में है। कुछ ही दिनों पहले राजस्थान ने रबी अभियान शुरु किया था। रबी अभियान के दौरान में ज़िला कृषि अधिकारी को भी उस अभियान के लिए और ज्यादा कार्य होने के लिए जीप का प्रावधान किया गया था. परन्तु जिस मकसद के लिए जीप को दिया गया था, शायद उस काम में न लेकर जीप किसी दूसरे कामों में ली गई है। मुझे तो ज़िला झुन्झुनु के कृषि अधिकारी के बारे में विशेष ज्ञान है। मेरा वही क्षेत्र है हो सकता है कि जिस प्रकार की अनियमितताएं ज़िला कृषि अधिकारी झुन्झुनु ने की है, उसी प्रकार की अनियमितताएं राजस्थान के अन्य ज़िलों के कृषि अधिकारियों ने भी की हो। झुन्झुनु ज़िले के कृषि अधिकारी को जीप इस रबी अभियान के अन्दर मिली। उसका मकसद तो यह था, मेरी समझ में, कि हर किसान के पास जाय और रबी अभियान के सिलसिले में समझायें कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं बोओ, ज्यादा से ज्यादा जौ पैदा करो। झुन्झुनु ज़िला एक ऐसा क्षेत्र है जहां जौ और गेहूं बहुत कम मात्रा में पैदा होता है। खेतड़ी और चिड़ावे के कुछ इलाके हैं जहां मामूली तौर पर कुछ कुंओं पर और कुछ उदयपुर का हिस्सा है जिसमें कुंओं के ऊपर इस प्रकार की खेती की जाती है। कुंए से जो सिंचाई होती है उससे किसान, जो काश्तकार, यहां पर हमारे माननीय सदस्य है वह जानते हैं कि, कुंए से सिंचाई करने में कोई खास फायदा नहीं हो सकता है। यही कारण है जिस तरह से यह मंहगाई हुई लोगों ने बारानी में खेती शुरू की और ज्योंही मंहगाई आई और सैटिलमेंट हुआ तो कुछ किसानों को फायदा हुआ और सबने कुओं की जोतों को खत्म कर दिया। झुन्झुनु ज़िले में रबी अभियान चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं पाते हैं, परन्तु आखिर इस प्रकार की पॉलिसी राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठकर तय की जाती है, उसमें यह नहीं देखा जाता है कि किस ज़िले के अन्दर किस प्रकार की खेती होती है। इस प्रकार का अभियान चुरू ज़िले में भी शुरू हुआ होगा। चुरू में पीने का पानी नहीं है वहां पर रबी अभियान का प्रश्न ही नहीं उठाता। तो भी रबी अभियान की जो रकम मन्जूर हुई होगी, वह चुरू में भी जरूर हुई होगी।

मैं यह कह रहा था कि ज़िला कृषि अधिकारी झुन्झुनु ने जीप का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी रखा था, वह प्रश्न आया भी नहीं है। झुन्झुनु जाने से पता लगा है कि कृषि अधिकारी झूठे झूठे आंकड़ें तैयार करके भेजेगा और माननीय मन्त्रीजी, वह भी उसका उत्तर देगें। लेकिन मैं वाकई में, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को यह बतला देना चाहता हूं कि उक्त कृषि अधिकारी ने किसी भी गांव में जाकर दौरा नहीं किया। उन्होंने शहर के अन्दर इधर उधर कभी शिक्षा विभाग में, कभी कॉलेज के अन्दर, कभी नवलगढ़ सिनेमा देखने, कभी पिलानी कैनाल में नहाने के लिए जीप का दुरुपयोग किया है। इसलिए उस प्रश्न का

(श्री लच्छूराम)

जो उत्तर वहां से आये उसकी जरा आप अच्छी तरह से जानकारी करें। इस प्रकार के एलीगेशन केवल झुन्झुनु के कृषि अधिकारी के लिए ही नहीं हो सकते हैं लेकिन राजस्थान के सभी कृषि अधिकारी इस प्रकार से जीपों का दुरुपयोग करते होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि ज़िला कृषि अधिकारियों को जीपों की कोई आवश्यकता नहीं है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यह तो हमारे राजस्थान का सौभाग्य है कि कृषक के घर में जन्म लिये हुए एक माननीय सदस्य को आज राजस्थान के कृषि मंत्री का पद दिया गया है, यह हमारा सौभाग्य है मंत्री और उप मंत्रीजी दोनों ही किसान है। लेकिन आज आपका जो शासन तन्त्र है उसमें मंत्रियों से ज्यादा सेक्रेटरी व और जो अधिकारी वर्ग हैं वे काम करते हैं यह चीज बिल्कुल बेहतर हो कि जितने भी कृषि के संबंध में जो अधिकारी हों वे किसान के घर में जन्म लिये हुए हों, ताकि वे ज्यादा इस सम्बन्ध में काम कर सकते हैं। परन्तु इसके विपरीत होता क्या है कि इस प्रकार के विभागों के अन्दर अर्बन एरिया में घुसने वाले इस प्रकार के आदमी हैं जिनके खानदान में कभी किसी ने खेती का पेशा नहीं किया है, जिन्होंने कभी परिश्रम नहीं किया है। इस प्रकार के आदमी जिले के कृषि अधिकारी, कृषि विभाग के बड़े बड़े पदों पर थोप दिये जाते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि हल में कितनी चीजें काम में आती हैं। वैसे साइन्टिफिक तरीकों से खेती करने के अन्दर औजार कई प्रकार के होते हैं, पर साधारण तरीके से जो किसान औज़ार काम में लाता है, मैं यकीनन कहता हूँ कि जो डाइरेक्टर है कृषि विभाग के अगर उनसे पूछा जाय कि साधारण किसान को किस प्रकार के जोड़ की आवश्यकता होती है, जहां तक मेरा ख्याल है वह भी बतलाने में असमर्थ होंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के अधिकारियों को रखते समय यह भी ध्यान में रखेंगे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपने कटौती प्रस्ताव से संबंधित रहें। कैसे अधिकारी हैं, इस संबंध में आपका कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री लच्छूराम : मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़िला कृषि अधिकारी इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सूचना देना चाहता हूँ कि इसकी एन्क्वायरी की जाय कि जीप जितने भी दिन रही है उसका किस तरह से प्रयोग किया गया है, इसकी अच्छी तरह से एन्क्वायरी करें कि कहां कहां दौरे किये हैं और किस किस से संपर्क स्थापित किया है? किस किसान के साथ में रबी अभियान के सम्बन्ध में बातचीत की है, इसका पूर्ण ब्यौरा उस अधिकारी से लिया जाय।

हालांकि मेरे दो तीन और कटौती प्रस्ताव है लेकिन लिस्ट के अन्दर वे कहीं भी नहीं है, उन पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि चार बजे तक का समय है और एक ही माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं..

श्री सभापति : माननीय सदस्य के जो कटौती प्रस्ताव हैं उन्ही पर बोलें।

श्री लच्छूराम : मैं अभी ५ मिनिट में खत्म कर दूंगा।

दूसरी बात यह है कि जब से कृषि विभाग कार्य रूप से काम करने लगा है तो गर्डर, टीन वगैरह दी जाती हैं वह कृषि अधिकारी के द्वारा दी जाती है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव से ही संबंधित रहें। मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा इसके आगे।

श्री लच्छूराम : ठीक है। दूसरा मेरा प्रस्ताव बीज वितरण की अव्यवस्था के बारे में हैं। उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलकर इतना सा कहूँगा कि पिछले खरीफ के समय में जब लोगों में बीज वितरण किया गया तो चिड़ावा ब्लॉक में बी. डी. ओ. ने इस प्रकार का बीज दिया है कि कई किसान ही नहीं, बल्कि बहुत से गांव ऐसे हैं कि जिनको गलत बीज सप्लाई हो जाने की वजह से इस साल जमाना होते हुए भी अपनी खेती से हाथ धोना पड़ा है। एक उदाहरण के तौर पर माननीय मंत्री महोदय आपकी सूचना के लिए बता देना चाहता हूं कि चिड़ावे में गुड़ानिया नाम का एक गांव है। वहां के उस काश्तकार का नाम भी बतला देना चाहता हूँ। वह काश्तकार मेरे से मिला भी है। उसका नाम दूलाराम है वह १५० बीघा पर खेती करता है। वैसे उसके खेत में ४ मन फी बीघा की बाजरी हुई है। वह दूलाराम एक सक्रिय कार्यकर्ता है। एक प्रोग्रेसिव किसान माना जाता है। वह शिक्षित भी है। पढ़ा लिखा है। बी. डी. ओ. साहब के द्वारा वितरित उसी बाजरी को उसने बोया तो फसल २७ सेर फी बीघा के हिसाब से पैदा हुई है जब कि पास के खेतों में ५,५ मन ६,६ मन फी बीघा की औसत आई है। इस प्रकार का गलत बीज देना यह ठीक नहीं है। शेखावाटी में तो दूसरी जगह का बीज लाने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो जलराने का बीज ही बड़ा सुन्दर है। उसको सप्लाई कर दें। उस बीज को न लाकर दूसरी जगह से मंगाते है क्योंकि बीच के कमिशन का झगड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बीज जो किसान को दिया जाय वह अच्छी क्वालिटी का दिया जाय, समय पर दिया जाय। इस संबंध में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस व्यवस्था के बारे में बोल चुके है।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ४० कृषि पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव है, बीज वितरण में अव्यवस्था पर, नालागढ़ प्रशासकीय कमेटी की रिपोर्ट पर और चूरू में अब तक कृषि फार्म नहीं शुरू किये जाने पर मेरे ये तीनों कटौती प्रस्ताव हैं। सभापति महोदय, जिनके विषय में यह प्रस्ताव है उन्हीं के मुताल्लिक कुछ बातें मैं सदन के सामने रखने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय, कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृषि; वास्तव में जिसके ऊपर भारत देश की उन्नति निर्भर है, जिसके ऊपर किसानों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, देश के अंदर खाद्य समस्या को हल करना है, भारत देश के विकास को आगे बढ़ाना है तो ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से मुख्य रूप से कृषि की उन्नति के ऊपर अवलम्बित हैं।

सभापति महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है जिसमें हमारा राजस्थान भी वास्तव

(श्री मोहरसिंह)

में कृषि ही प्रधान इलाका है। जिसके अन्दर १ करोड़ ३० लाख के करीब किसान रहते हैं। आज सारे देश के अन्दर खाद्य समस्या के सवाल के ऊपर, खेती की तरक्की के ऊपर जोर दिया जाता है कि कृषि की उन्नति होनी चाहिये। केन्द्र भी इसी बात पर पूरा जोर रहा है। अलग अलग सभी प्रान्तों में भी यही प्रश्न मुख्य रूप धारण किये हुए हैं लेकिन जितना ध्यान वास्तव में खेती में ज्यादा अन्न आदि पैदा करने के ऊपर रहना चाहिये, सभापति महोदय, अब तक असल में इस कार्य की पूर्ति के हेतु इस ढंग से कदम नहीं उठाया गया है।

विभागीय तौर पर यदि मैं दृष्टिपात करता हूं, नजर डालकर देखता हूं तो सामने हमारे बजट आया है १ करोड़ १३ लाख का बजट को बनाने के ढंग के ऊपर भी कुछ मुझे विचार करना पड़ रहा है। कृषि देश का एक अहम सवाल है, एक खास समस्या है। इस बजट के अन्दर भी किसी प्रकार की चीज जो जनता से विशेष ताल्लुक रखती है आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश नहीं की गई है मैंने उस पर विचार किया। आखिर यह चीज़ समझ में आई कि समस्या जरूर मुख्य है लेकिन इस समस्या को आगे बढ़ाने के लिये, इसकी पूर्ति करने के लिये हमारा जो विभाग है, हमारी जो सरकार है वह असल में अब तक इसको पहला काम या पहले नहीं दे सकी है। वास्तव में कितनी ही चीजें बजट के अन्दर से कट गई है। असल में सभापति महोदय, आज के समय का तकाज़ा है कि कृषि जैसा महकमा राज्य के अन्दर एक अलग मन्त्री के नीचे होना चाहिये। यह छोटी समस्या नहीं है इससे ही तो हमारे सारे देश की तरक्की होनी है इसलिये एक मंत्री महोदय अपना पूरा टाइम इस बात के लिये लगावें। राजस्थान के इर्रिगेटेड, सिंचित या असिंचित एरिया में किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिये पूरा समय लगावें यह समय का तकाज़ा है और जरूरी है। इसलिए मेरा कहना है कि कृषि विभाग एक न्यारे मंत्री के अंडर में होना चाहिए। इसी तरह से आगे भी मैं इस विभाग के संबंध में निवेदन करूंगा कि वास्तव में हमारे जितने अधिकारी हैं।

श्री सभापति : आप अपने तीनों कटौती प्रस्तावों पर बोलिये, जनरल नहीं।

श्री मोहरसिंह : (जारी) इन तीनों कट मोशन्स में सारी चीजें आ जाती हैं इसलिये बोल रहा हूँ। इसी तरह हमारे जितने विभाग के अधिकारी हैं, इस बारे में कई महानुभाव कह चुके हैं, टैक्निकल हैड होने चाहिये, कृषि विद्या के जानकार होने चाहिये। शुरू से आखिर तक, इसका पुनर्गठन इस तरह से किया जाना चाहिये कि हर आदमी इस विभाग से ताल्लुक रखने वाला खेती संबंधी बातों का जानकार होना चाहिये, उसका कुछ न कुछ ताल्लुक खेती से जरूर रहा हो। तभी वास्तव में असली मायने में, सही मायने में तरक्की हो सकती है। मैं क्रिटिसिज्म ज्यादा नहीं करने वाला हूं लेकिन एक एक अधिकारी का न्यारा न्यारा नाम बताने से वास्तव में समस्या हल होगी ऐसी बात नहीं

Page No.93

(श्री मोहरसिंह)

है इसलिये मैं संकेत के तौर पर ज़रूरी समझ कर कहने की आवश्यकता समझता हूं कि वास्तव में शुरू से आखिर तक कृषि के जानकार ही अधिकारी होने चाहिये ।

सभापति महोदय, वास्तव में एक बीज का सवाल ही खेती की तरक्की के लिये आवश्यक नहीं है । खेती की तरक्की के लिये बहुत सी चीज़ें आवश्यक हैं आज जिस ज़मीन में १ मण बीघा अनाज पैदा होता है, यदि राजस्थान के बाहर अनाज पहुंचाने काबिल बनाना है, राजस्थान में अच्छा अनाज देना है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, किसानों के सामने जितनी दिक्कतें हैं, उनको दूर करना होगा । तहे दिल से, ठंडे दिल से सोचना होगा कि किस प्रकार ज्यादा अनाज पैदा किया जा सकता है । चाहे कृषि विभाग की तरफ से, रेवेन्यू विभाग की तरफ से या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से एग्रीकल्चर पॉइन्ट ऑफ व्यू से उन सारी दिक्कतों को दूर करना चाहिये, दूर करना होगा और दूर करना हमारा फर्ज़ है । मैं सभी मुद्दों पर कहूंगा तो सभापति महोदय, समय ज्यादा लगेगा और कटौती प्रस्तावों से बाहर भी निकलूंगा इसलिये खुलासा रूप में आपके सामने नहीं रखता लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि आषाढ़ में खरीफ की फसल आने वाली है । जिस तरह से हमने रबी अभियान चालू किया उसी तरह से हमें खरीफ अभियान के लिये भी बनानी होगी । अभी से इस बारे में योजना बनाना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का फर्ज़ होना चाहिए । मिनिस्टर से लेकर गांव के नंबरदार तक, पंचायत के पंच तक को इस बात की देख रेख रखनी चाहिये कि खरीफ की फसल के लिये किसान ज़मीन तैयार कर रहे हैं या नहीं ? यही टाइम है जो किसी भी प्रकार से पूरा ज़मीन पर लगाया जा सकता है, किस प्रकार खेतों को बचाने की कोशिश की जा सकती है उड़ने से । अनिश्चित इलाके का अनुभव है कि खेत उड़ते हैं, परवाई या पछुवा हवा चलती है उस समय खेत उड़ते हैं । जो किसान खेतों को पहले तैयार किये बिना ऐन मौके पर खेतों में बीज डालते हैं उनकी पैदावार एक बीघे में एक मण भी नहीं होती । लेकिन यदि आज से इस बात की कोशिश की जाय खेत को काबिल काश्त करने के लिये, नम्बरदार से मिनिस्टर तक किसान को प्रोत्साहित करें, समझाते रहें, जितने लोगों का इससे तालुक है वे इस बात की कोशिश में लगें और जिस मौके पर जिस किस्म की ज़मीन में ठंडा या गर्म खाद देना है वह दिया गया है या नहीं, खेती की मेड पर रेत वगैरा डाल कर किसी प्रकार से खेत को उड़ने से बचाया गया है या नहीं ये सारी चीज़ें हैं जो वास्तव में खेती को मदद करती हैं । इसके बाद सभापति महोदय, टाइम आता है बरसात का । बरसात से १५ दिन पहले गांव के नंबरदार, पंचायत के पंच, सरपंच और एग्रीकल्चर विभाग को एक एक अधिकारी को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिये कि फलां गांव में इतने घरों में से इतने घर किसानों के हैं और इतने घरों को बीज की आवश्यकता होगी, बरसात शुरू होने से १५ दिन पहले इस बात की लिस्ट होनी चाहिये कि इतने बीज, इतने खाद और इतने पशुओं की ज़रूरत पड़ेगी । ये बातें अच्छी तरह से लोगों को और विभाग को मालूम होनी चाहिये और बरसात से १५

(श्री मोहरसिंह)

दिन पहले इन सारी चीजों का इन्तजाम होना चाहिये तभी तो टाइम पर खेती बोई जा सकती है । यदि सवेरे बरसात होती है और शाम तक कोई किसान हल नहीं जोतता है तो उसका पड़ौसी किसान कहता है कि यह बड़ा बावला है, पागल है, जो यह भी नहीं जानता कि आज घंटे दो घंटे का भी टाइम निकलता है तो उससे नुक्सान होने वाला है । यदि किसान गरीब हैं, संकट में है उसके पास पैसा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसके भीतर उस वक्त क्या बात रही होगी । वह दिल में सोचता होगा कि आज मैं गरीबी के कारण बैठा हूं और लोग हल चला रहे हैं, वह चार दिन बैठा रहा, चार दिन वह बीज के लिए बैठा रहा, तब बीज पहुंचे । आप महसूस करियेगा कि अगर वह पांच बीघा के हिसाब से ज़मीन बोता तो २० बीघा ज़मीन बो लेता । चार दिन बेकार बैठे रहने से उसे कितना नुकसान हुआ और अगर एक बीघा ज़मीन में बीज डाल कर किसान एक मन, दो मन अनाज पैदा करे, तो इस प्रकार उसे ४० मन का नुकसान हो गया । देरी से बीज डालने की वजह से उसे नुकसान हुआ है । इस प्रकार की बीज वितरण में अव्यवस्था है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर माननीय मंत्री महोदय के कानों में अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूं कि बीज वितरण में जो अव्यवस्था है, उसके कारण खेती के मौके पर किसान के सामने जो दिक्कतें आती हैं, उनको हल किया जाना चाहिए ।

खेती की तरक्की के लिये जो चीज़ महान् ज़रूरी है वह है ठीक तरह का बीज दिया जाना, बेकार बीज का न दिया जाना । चूरू ज़िले में बाजरे की कौनसी फसल कामयाब होगी, कौनसा बीज पैदा नहीं कर सकेगा. कौनसा बीज़ ज्यादा पैदावार कर सकेगा, इस बात का पूर्ण रूप से विभाग को पता नहीं है । जखराने से बीज लाकर चूरू ज़िले में दिया जायगा जो कि चूरू ज़िले के बाजरे के बीज से कुछ देरी से पकता है, उस बीज को वहां लाकर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह वहां कामयाब नहीं हो सकता इसी के साथ मेरा दूसरा सुझाव है कि चुरू ज़िले में अभी तक कृषि फार्मिंग शुरू नहीं किया है । अगर वहां डिमोन्सट्रेशन फार्म या रिसर्च फार्म हो और वहां अच्छी तरह खोज की जाय कि वहां कौनसा बीज कामयाब हो सकता है, बाजरे का कौनसा बीज, मूंग का कौनसा बीज और ज्वार का कौनसा बीज कामयाब हो सकता है, कौनसा मोठ का बीज कामयाब हो सकता है, इन सारी बातों की रिसर्च वहां हो, जिस जगह पर जैसी भूमि हो, वहां उसके अनुसार ही बीज तैयार करना है, नहीं तो बीज आप दूसरे ज़िले से लाकर, जो कि काली मिट्टी में ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसे लाकर पीली ज़मीन में बो दें, तो होता क्या है कि कई दिनों के बाद वह पकेगा । इधर जो लोग उसके नज़दीक में खेती करते हैं, जिन्होंने अपने यहां का बीज बोया था, उसने बालें (सिट्टी) तोड़ ली, उसको खलियान में ले गया और उस आदमी ने जिसने बाहर का बीज बोया था, उसके खेत में जाकर सारे पक्षी बाजरा खा जाते हैं । शुरू से आखिर तक उसे कितना नुक्सान पहुँचता है, कितनी रखवाली उसे खेतों की करनी

(श्री मोहरसिंह)

पड़ती है, आखिर में वह नुकसान में रहता है। वह बीज वहां कामयाब नहीं हो सकता है। जहां दूसरे खेतों में एक दाने से २० साखें निकलती हैं, वहां बाहर के बीज से १ साख (डोका) निकलती है। वह बीज कामयाब हो सकता है उसी इलाके के अन्दर इसलिए जो कटौती प्रस्ताव में कहा है कि वहां पर फार्म कायम हो, उसके कायम होने से सारी चीज़ों में सफलता हो सकती है, हम सफलता की तरफ पहुँच सकते हैं। तो सभापति महोदय, बीज वितरण व्यवस्था में एक बात है, बीज देरी से पहुँचता है दूसरा मैंने बताया कि कृषि फार्म हो। तीसरी जो व्यवस्था है सरकार की, उसको कहते हैं बाड़ी व्यवस्था, वह बाड़ी कितनी, साढे सात मन पर मैं कहता हूं कि अगर बोहरों से बीज ले, उनसे लेकर बीज बोये तो इतनी बाड़ी नहीं पड़ती है। वह बाड़ी भी, मैं समझता हूँ फसल निकल जाने के बाद ली जाती है। इतना ज्यादा बाड़ी है कि बोहरा भी, जिसको शोषक कहते हैं, वह भी इतनी ज़बरदस्त बाड़ी नहीं ले सकता है। मैं समझता हूँ इन सारी बातों पर बीज व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है एक रिसर्च और डिमोन्स्ट्रेशन फार्म के लिए, उसके लिए मैंने कहा कि चूरू इलाके में ऐसा फार्म शुरू नहीं किया गया है। योजना इस प्रकार की है कि चूरू ज़िले के अन्दर एक फार्म खोलेंगे। मैं समझता हूं यही माननीय मंत्री उत्तर देंगे। लेकिन अभी तक इस फार्म को चालू नहीं किया गया। १९५६-५७ की मैंने एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट देखी, उसके अन्दर सलाह दी गई है,

३. ५२ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

उसके अन्दर निर्देशन दिया गया है कि एक तहसील के अन्दर एक फार्म ज़रूरी है और वहां की ज़मीन व किसानों की जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखते हुए यह देखे कि ऐसा बीज उस तहसील के अन्दर पैदा किया जा सकता है। इस प्रकार के फार्म के लिए निर्देशन किया गया। चूरू ज़िले में सात तहसीलें हैं, लेकिन चूरू ज़िले के अन्दर एक भी फार्म नहीं खोला गया। मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रकार ढ़ील करने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उस चीज़ में नुकसान हो रहा है जो कि हमारा बुनियादी सवाल है, जिसको बढ़ाने के लिए हम आगे चल रहे हैं। इस ओर काम किया जाय। यह एक अखरने वाली चीज़ है, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में यह मांग करता हूं...

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, कृषि): वह तो हो गया।

(घंटी)

श्री मोहरसिंह : इसके साथ ही साथ एक प्रस्ताव और है। मैंने आपके सामने तीन चीजें बतलाई, उसके साथ साथ नाज की ज्यादा पैदावार हो, उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है। मेरे साथियों ने बतलाया कि खेती की तरक्की के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनके साथ ही यह बात भी सामने रखनी है, और आज हम चाहते हैं कि किसानों के लिए एक गारन्टी हो, वह गारन्टी कौनसी, वह गारन्टी हो, अन्न के भाव मुकर्रर होना। अगर एक साल के लिए

(श्री मोहरसिंह)

कम से कम अनाज के भाव मुकर्रर करते हैं तो किसानों के दिमाग में स्थायीपन होता है। आज होता यह है कि जब किसान अनाज लेते हैं तो ३० रुपये मन में लेते हैं और जब अपना अनाज बेचते हैं तो १५ रुपये मन में बेचते हैं। इससे उनके दिमागों में उमंग नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ की गारन्टी होनी चाहिए और इस बात की कोशिश होनी चाहिए। इन सारी बातों को कहने के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ

(घंटी)

कि जो नालागढ़ रिपोर्ट के अन्दर सजेशन्स हैं उनका इम्प्लीमेंन्टेशन जल्दी से जल्दी किया जाय। अगर यह दुहाई दी जाय कि लाख रुपये बजट में रख दिये हैं और कोई प्लानिंग की बात सामने नहीं आये तो जैसी कि कहावत है होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यह कहावत वहीं लागू हो जाय। इन बातों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं यह उम्मीद करते हुए, यह विश्वास करते हुए कि मंत्री महोदय कुछ न कुछ सोचेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री भोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण।

(अनुपस्थित)

Thank you very much. The Hon'ble Minister will reply.

(श्री लक्ष्मण हीरात के बोलने के लिए खड़े होने पर)

I am so sorry Mr. Laxman Hirat.

श्री नाथूराम मिर्धा : कभी के इन्तज़ार कर रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा साहब। श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर दूँगा।

मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक....

श्री उपाध्यक्ष : तीन मिनट तो इसमें हो जायेंगे। भाषण शुरू करिये।

श्री लक्ष्मण हीरात : मुख्य शीर्षक ४०–कृषि पर उदयपुर डिविज़न के कृषकों को बढ़िया बीज नहीं दिया गया, उस पर विचार करने के लिए है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य कृषि प्रधान प्रान्त है और इसमें ६० परसेन्ट किसान रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने, बीज किस समय कैसा कैसा दिया गया, इसके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उस विषय में मैं नहीं जाकर एक उदाहरण आपके द्वारा इस हाउस में देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी कोटड़ा के दो किसान देशाटन

(श्री लक्ष्मण हीरात)

के लिए गये थे। वे किसान देशाटन के लिए जाकर इण्डिया में घूमे और अलग अलग राज्यों में जाकर खेती के बारे में देखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये हैं लेकिन मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे किसानों के लिए हमारी सरकार कृषि की शिक्षा के लिए कॉलेज और स्कूल वगैरह तो खोला करती ही है लेकिन वास्तविक अवस्था है किसानों की, उनको हमारे यहां के किसान देशाटन के लिए जाकर दूसरे राज्यों में जाकर देखेंगे, और देख कर वे वहां आ जाय और अपने यहां उसी तरह का कार्य करें। इससे अपनी सरकार को ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है और इससे हमको भी फायदा होने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं एक उदाहरण और दे दूं कि किसानों को असली फायदा पहुंचाने के लिये समय पर उन्हें बीज देना होता है। जैसा कि अबकी बार सरकार नहीं दे पाई है। मैं समझता हूं कि करीब १३० लाख रुपया इस काम के लिये बजट में है तो आयन्दा समय में सरकार बराबर वक्त पर बीज पहुँचायेगी और कृषि के लिये, बैलों के लिये, कुओं के लिये तकावी की रकम दी जाती है, उस पर भी हमारी सरकार ध्यान दे ही रही है, नहीं दे रही है यह तो मैं नहीं कहना चाहता पर सरकार इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे ताकि किसानों को फायदा हो।

माननीय उपाध्यक्ष, वैसे मन्त्री महोदय खुद किसान हैं और ज्यादा बातें जानते हैं इसलिये मैं ज्यादा बातें न कह कर इन्हीं शब्दों के साथ अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister-in-charge.

४.१ म० प०

(कृषि मंत्री)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में जो मांग मैंने आज इस सदन में प्रस्तुत की थी उस बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों ने काफी तादाद में कटौती प्रस्ताव रखे, करीब ४२ की संख्या में कटौती प्रस्ताव होते हैं और उनमें से बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा इस विभाग का ध्यान कई समस्याओं की ओर आकर्षित किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि एग्रीकल्चर विभाग का इस प्रदेश में पुनर्गठन जिस प्रकार से हुआ वह आपसे छुपा नहीं है। यह विभाग पहले जो पुरानी राजस्थान की अलग अलग रियासतें थी, उनमें से कुछ बड़ी बड़ी रियासतों में बहुत छोटे रूप में यह काम करता था और बहुतसी रियासतों में तो यह विभाग था भी नहीं। राजस्थान बनने के बाद एग्रीकल्चर विभाग यहां कायम हुआ तो उस समय इसका स्वरूप बहुत छोटा था, काम काज का जो इसके सामने दायरा था वह छोटा था। राजस्थान बना और पंच वर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ और देश का ध्यान इस ओर गया कि देश की ८० फी सदी जनता जो खेती बाड़ी उत्पादन करती है

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और जिसके ज़रिये सारे देश की तरक्की हो सकती है, इस खेती की समस्या की तरफ ज़ोरों से देश का ध्यान गया और जब हमारे पास यह परिस्थिति थी कि देश में इतनी तादाद में इतने लोग खेती करते हैं, उनके खेती करते हुए भी खाद्य की समस्या को नहीं सुलझा पाये हैं तो खेती के उत्पादन के तरीके में अवश्य कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिये इस विभाग को देश में बहुत ज्यादा महत्व दि जाने लगा है और इसके ज़रिये जो कार्यवाही हम क्षेत्रों में करवाना चाहते हैं, वह अलग अलग तरह की कार्यवाही है।

मैं माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को अलग अलग नाम से सम्बोधित नहीं करते हुए, उन्होंने इस विभाग की सारी एक्टि-विटीज़ हैं, उन मुद्दों की तरफ इस विभाग का ध्यान खींचा है, उन्हीं का हवाला देते हुए कहूँगा।

खेती को पहल की चीज है ज़मीन, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं कि किस तरह इस समस्या को हल करना चाहिये। खेती के लिये सबसे पहले ज़मीन की आवश्यकता है। जो ज़मीन उपलब्ध हो उसकी ठीक तरह से जोताई करना, कुदरत से ज़मीन में जो खराबी होती है, जिसे सोइल इरोज़न कहते हैं, इससे उस ज़मीन को बचाना, डेजर्ट के इलाके को किस तरह रोकना, इन समस्याओं पर भी कटौती प्रस्ताव थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान इस ओर लगा हुआ है, पर यह कोई आसान या छोटी समस्या नहीं है कि बहुत आसानी से और सरल तरीके से सुलझा सकें। राजस्थान में खेती के लायक ज़मीन है उसको ठीक सुरक्षित रखना और ज्यादा ज़मीन उपलब्ध हो सकती है, उसको उपलब्ध करना, जो वेस्टफुल लैंड हैं, उसको खेती के लायक बनाना, इस ओर विभाग का ध्यान गया है। सोइल इरोजन के सम्बन्ध में दो योजनाएं चलती हैं। एक तो यह कि जो ज़मीन बिगड़ी हुई है उसको किस प्रकार से ठीक की जाय, इसके लिये दो प्रोग्राम एग्रीकल्चर विभाग में चलते हैं, एक ज़मीन में मेड़बन्दी करके और दूसरा यह कि ठीक प्रकार से ज़मीन का लेवल बन सकता हो, टेरेसिंग के जरिये ज़मीन को खेती के योग्य बनाना, इस बारे में सरकार सहयोग देती है। इस विभाग में इस तरह के आदमी हैं कि जहां यह समस्या ज्यादा प्रिवेलेंट है, वहां टरेसिंग का काम करवाना, कंटूरबन्दी का काम करवाना, जिन जिन क्षेत्रों में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं वहां विभाग इन लोगों को, एक्सपर्टस को भेजता है। वे लोग वहां उन क्षेत्रों में जा कर गांव के लोगों को बुलाते हैं, उनसे सब प्रकार की जानकारी करके उन्हें जो कुछ सब्सिडी के रूप मे, मेड़बन्दी आदि के लिए, जिस तरह की रकम उपलब्ध हो, दे कर उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो इस तरह हम उनको हर तरह से प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि वे लोग खुद उत्साह के साथ टेरेसिंग के रूप में काम करें। मैंने जयपुर के पास में जो थोड़ा सा काम हुआ है उसे सदन के माननीय सदस्यों को बताया था। किसानों ने इस काम में दिलचस्पी ली है और जो बेकार ज़मीन पड़ी हुई थी उसमें से दो दो, ढाई, ढाई, बीघा एक एक बीघा ज़मीन निकाली

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है और उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाया है ।

दूसरा सोइल कन्ज़र्वेशन के बारे में वन विभाग द्वारा काम हो रहा है । वह किसी इन्डिविज्युअल की ज़मीन नहीं है जहां ट्रीज़ काटे गये हैं या लोगों ने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी वजह से पानी के बहने से ज़मीन कट गई है । पानी के बहाव से ज़मीन की रुकावट होनी चाहिये वहां एफो-रेस्टेशन के ज़रिये हम इन प्रॉब्लेम्स को टेकल करते हैं और इस प्रकार अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रॉब्लेम्स हैं और उनको ठीक करने की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है । रींगस में, बांदीकुई में, कोटा में और बूंदी में इस तरह के कुछ काम किये हैं । तो इस प्रकार के काम अलग अलग इलाकों में जहां जिस तरह की प्रॉब्लेम है उसको हल करने के लिये जितना धन हमारे पास उपलब्ध है उस लिहाज़ से कर रहे हैं । क्योंकि यह काम बड़ा एक्स्पेन्सिव है, पर एकड़ डेढ सौ, दो सौ रुपये लगते हैं, तो जितना धन उपलब्ध है उसी प्रकार हम इस काम को कर रहे हैं । वन विभाग भी इस दिशा में कार्य कर रहा है और सरकार इस बारे में पूरी तरह जागरूक है ।

तीसरी हमारी समस्या डेज़र्ट के बढ़ने की है । इस बारे में कट मोशन दिया गया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर जागरूक है । राजस्थान के वे इलाके जो कि बहुत कम वर्षा के इलाके हैं, जहां ज़मीन को फिक्स कर के, जो ज़मीन उड़ती है, डेज़र्ट आगे बढ़ता है, इस समस्या के लिये राजस्थान सरकार के ऊपर ज़िम्मा नहीं है, भारत सरकार ने स्वयं इसका ज़िम्मा लिया है । जोधपुर रिसर्च स्टेशन पर यह काम होता है । कुछ पेचिंग ग्रासेज़ हैं, उनके एक्स्पेरिमेंट किये जा रहे हैं कि किस ग्रास से वहां की सोइल का फिक्सेशन हो सकता है, इन एक्स्पेरिमेंट्स के लिये भारत सरकार ने हमसे ज़मीन मांगी है, हमने ज़मीन दी है और इस सम्बन्ध में एक्स्पेमेंटस किये जा रहे हैं और भारत सरकार काफी खर्चा उन इलाकों में कर रही है । इसके साथ ही फोरेस्ट डिपार्टमेंट भी अलग अलग इलाकों में जहां इस तरह की प्रॉब्लेम है, जहां टाउन तक डेज़र्ट आ गया है, बहुत सी ज़मीन डेज़र्ट ने दबा ली है, वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है ।

यह जानकारी मैं उन माननीय सदस्य को देना चाहता था जिन्होंने कि इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये कटौती प्रस्ताव रखा था ।

इसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं उस विषय पर कहूंगा जो बड़ी चर्चा का विषय बना, वह था बीज का वितरण । बीज के वितरण को लेकर कई माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव सदन में रखे । मैं पहले भी इस संबन्ध में आपके ज़रिये निवेदन कर चुका हूं कि किसी प्रदेश और किसी देश को सारी फसल के लिये बीज सप्लाई करना एक बहुत मुश्किल बात है, यह कोई आसान बात नहीं है । हम चाहते हैं कि सभी इलाकों में सुधरे हुए बीजों का प्रयोग हो । मगर इतनी तादाद में वह उपलब्ध हो जावें यह कोई आसान काम नहीं है । यह एक हमारे प्रान्त की बहुत बड़ी समस्या है । इसके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लिये सारे प्रान्तों में प्रयत्न किये जा रहे हैं और हमारे प्रान्त में भी यह प्रयत्न चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोगों को अच्छे बीज दे सकें और उनको समय पर दे सकें व ठीक कीमत और भावों पर दे सकें तो अच्छा हो। हम यह भी चाहते हैं कि वितरण की व्यवस्था भी ठीक हो। मैं आपके ज़रिये निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बीजों को हमने रबी में गेहूं और जौ के बीजों को जिसको हम सुधरे हुए और अच्छे मानते हैं और जो रिसर्च और परीक्षण से बहुत अच्छे साबित हुए हैं और उनका प्रोडक्शन ठीक आता है और जो हमारे प्रान्त के लिये ठीक होता है उसमें मुख्यत: सी. ५६१ का बीज था, उसको हमने काफी तादाद में इलाकों में दिये हैं। माननीय उपाध्यक्ष, उससे हमारे किसानों में काफी चेतना पैदा हुई है और उसके अच्छे रिज़ल्ट रहे हैं। नये बीजों से काफी जाग्रति पैदा हुई है और इसका पूरा सबूत यही है कि बराबर किसान लोग अच्छा बीज मांग रहे हैं और अच्छे बीजों की मांग किसानों में बहुत बढ़ गई है। इसलिये इस बात की खामी मालूम नहीं हो रही है कि वे इस समय उनका उपयोग करने के लिये तैयार नहीं है। मगर जितना बीज हमें उनको देना चाहिये, नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में गेहूं की वेराइटी जो आर. एस. १ है, निकाली। उसकी भारतवर्ष में भी काफी तरक्की हुई और वह हमारे प्रान्त में बहुत अच्छा बीज है। उसको राजस्थान के सभी किसानों को एक साथ पहुंचाया जावे, यह आसान काम नहीं है। हमारे पास इसके लिये युनिफार्म तरह की योजना है। हमने बड़े बड़े सीड के फार्म बनाये। पिछले साल में १०० एकड़ का ३५ : ३५ किये हैं। हम चाहते थे कि ४० : ४५ करें। लेकिन ज़मीन की कमी से हमने अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाये। इसलिये ३५ ही कर पाये। इसमें कुछ बीजों के मल्टीप्लाई करने का काम शुरू किया है। गेहूं के बीज और जौ के बीज, मूंगफली और खास तौर से खरीफ के लिये आज तक हमारे राजस्थान में कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछले साल में हमने रिसर्च इन्सटीट्यूट अजमेर में किया है कि किस प्रकार का मकई का बीज अच्छा रहेगा। हमारे यहां का यह हाइब्रेड अच्छा रहेगा। इसी तरह बाजरा और ज्वार के लिये भी कर रहे हैं। यह पिछले साल से शुरू हुआ है। इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है इसको सदन के सभी समझदार सदस्य समझ सकते है। यह कोई चार महीने का काम तो है नहीं, उसके रिज़ल्ट के लिये एक्सपेरिमेन्ट्स करने पड़ते हैं। मल्टीप्लाइ करना पड़ता है। यह भी कोई थोड़े समय का काम नहीं है, इसमें समय लगता ही है। इसी प्रकार खरीफ के लिये जैसी चाडी की बाजरा का ज़िक्र किया जो जोधपुर में सबसे अच्छी समझी जाती है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि कुछ इलाकों में उनके लिये नेचुरल कन्डीशन्स अच्छे हैं जिससे वे अच्छी होती हैं। इसी तरह से उदयपुर में मकई का बीज है, मालिस किस्म का बीज़ जो उदयपुर में बहुत अच्छा माना जाता है और इसको जिन लोगों ने बोया है वहां पर बेटर रिज़ल्ट्स दिये हैं। उनको जितनी मात्रा में ले सकते है उसको लेकर उसको सेम कन्डीशन जहां मानते हैं वहां पर देते हैं और उनको उन इलाकों में ऑफिसरों द्वारा उन बीजों को पहुँचाते हैं।

इसी तरह से कॉटन के बीज़ के बारे में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कहा गया कि वह अच्छे स्टेन्डर्ड का नहीं है जैसा कि कलकत्ता में होता है और कलकत्ते के कॉटन को ज्यादा कीमत मिलती है। मगर मैं यह माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनको इसके संबन्ध में जानकारी नहीं है। कॉटन के संबन्ध में समस्या हमारे सामने आई, उसका प्रयोग हमने गंगानगर में किया है और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ है। उसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है और किसानों को बहुत अच्छा पैसा मिला है और बराबर हमको हमारे टारगेट से ज़्यादा फायदा मिला है और यह सेकिन्ड प्लान में भी चल रहा है। इसमें मूंगफली के बीज या दूसरे बीज हैं जहां सिमिलर कडनीशन्स है उनको वहां पर बो कर देखे हैं। अगर उनकी प्रोड्यूस हमारे यहां पर ज़्यादा आती है तो ठीक है। इसी प्रकार रिसर्च करने में, मल्टीप्लाई होने में और किसानों के पास बीज पहुंचने और सारे एरिया में उनको सर्कुलेट होने में समय लगता ही है। ५ वर्षों में १।५ एरिया को कवर करके, यह एक बड़ी कम्पलीट स्कीम है और सरकार की यह योजना आगे बढ़ रही है और इसके बारे में आगे आने वाले चन्द सालों में किसानों को काफी सहायता मिलेगी और सही माने में किसानों के पास बीच पहुंच सकेगा।

अब में एग्रीकल्चरल फार्म के बारे में भी कटौती के प्रस्ताव आये हैं उन पर भी प्रकाश डालूंगा। खास तौर से यह क्रिटिसिज्म था कि किसानों को घाटा होता है। जब एक एकड़ में इतनी प्रोड्यूस होती है और वे पैदा करते हैं तो फिर घाटे का प्रश्न ही क्या है। किसी तरह से वे मेनेज़ करते हैं फिर उसमें घाटे का प्रश्न ही क्या है। फार्म कई प्रकार के हैं। एक माननीय सदस्य ने कटौति के प्रस्ताव में कहा कि यह (सूरतगढ़) का फार्म है उसमें ३० हज़ार एकड़ भूमि एक जगह इकट्ठी कर ली गई है। पब्लिक को इससे नुकसान होगा।

यह फार्म इस देश में अपनी प्रकार का एक ही है। ३० हज़ार एकड़ पर प्रयोग भारत सरकार करना चाहती है कि लार्ज साइज़ फार्म पर बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए किस प्रकार से खेती करने से क्या रिज़ल्ट लिया जा सकता है। यह एक नये प्रकार का प्रयोग है। एक करोड़ रुपये की मशीनें वहां पहुँच गई हैं। वहां नई मशीनें भी काम कर रही हैं और कई मशीनें अभी तक यो हो पड़ी हुई हैं, खुली भी नहीं है। इतनी बड़ी मशीनें बहुत बड़ी तादाद में हैं। आप जानते हैं कि सारी ज़मीन एक दम कब्ज़े में नहीं आ सकती। इस दिशा में एक नया रिज़ल्ट इसका लेकर सारे देश के सामने रखना है। इसलिए यह राय (ओपीनियन) लगा लेना कि इससे किसानों को बहुत घाटा होगा, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इसके अलावा यह फार्म ३० हज़ार एकड़ में है। यह इतना बड़ा है कि इसमें जो प्रोडयूस होगी वह देश के आधे सीड प्रोड्यूस को हल कर सकती है। इतनी बड़ी चीज़ को जमने में समय लगता है। इतनी बड़ी चीज़ एक दिन में या एक साल में, यह जम नहीं सकती और ३० हज़ार एकड़ ज़मीन है इसमें कुछ समय लगता ही है। ज्यों ज्यों इसमें आगे बढ़ते हैं इसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है।

इसी प्रकार हमारे एग्रीकल्चर के बहुत से फार्म्स हैं। यह ठीक बात है कि जब अलग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अलग रियासतें थीं तो अलग-अलग एग्रीकल्चर के फार्म्स उनके थे, कोई गार्डन के नाम से थे, फ्रूट्स के नाम से थे, चार चार पांच पांच बीघे के वे फार्म्स थे। कुल मिला कर करीब ४००-५०० के, इस प्रकार के फार्म्स थे। इस ओर हमने पिछले साल बैठ कर ध्यान दिया। चार चार,पांच पांच बीघे के इन फार्म्स को कम कर देना चाहिये और आखिर यह निश्चय कर लिया कि हमको २००-१५० ही फार्म्स रखने हैं और बाकी को बन्द कर देना चाहिए। लिस्ट बना कर ज़मीन को हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर देंगे, ट्रान्स्फर कर देंगे कि जो चाहे उनका वे उपयोग करें, चाहे वो अलॉट करें उनको। वे बहुत से काम में आजावेंगे। इसी तरह से कुछ रिसर्च के फार्म्स हैं जो इसी पॉइन्ट ऑफ व्यू से काम करते हैं, सदन के माननीय सदस्य भी इस सम्बन्ध में मेरा साथ देंगे कि हम इस ओर काफी सोच रहे हैं और वास्तव में ये घाटे के रहे थे जो आगे नहीं रहेंगे। मैं कुछ आंकड़े आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा जिससे सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात हो जावेगा कि किस प्रकार से हमने कमी की है और आमदनी के क्या जरिये इनसे बढ़ाये हैं। सन् '५१-५२ में इनसे १,१७, १६३) आमदनी हुई और खर्चा हुआ इन पर २, ८४,२०३)रु.। डिफरेन्स जो रहा, घाटा जो रहा वह करीब ६७, १००) रु. का रहा। इसी तरह से मैं आपको ५७–५८ के फिगर्स भी देना चाहता हूं, इन फार्मों पर कुल खर्चा हुआ २,७०, ३१७) ६१ नये पैसे जब कि आमदनी हुई २,४३,२४५) ४१ नये पैसे। कुल २७ हज़ार का घाटा हमको रहा।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सारे फार्मों का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, मैं यह टोटल बता रहा हूं। मैंने आपको आमदनी और खर्चा ५१–५२ का और ५७–५८ का बताया। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग इस ओर बराबर प्रयत्नशील है कि ये हमारे घाटे के न रहें। We are not setting a good example before the people. यह बात मैं भी अक्सर कहता हूं और मान कर चलता हूं कि इस दृष्टिकोण को लेकर इसमें प्रगति की है। इन फार्मों की बड़ी दुर्दशा थी, कहीं चड़स नहीं हैं, कहीं बैल हैं और कहीं बैल मर गया है, उन कमियों को ठीक ढंग से पूरा किया गया है और कुछ इस साल के बजट तक कर रहे हैं। जब ये व्यवस्थित रूप से चलेंगे और कमियां पूरी हो जायगी तो घाटा नहीं रहेगा। सदन के माननीय सदस्य यह विश्वास करके चलें कि इससे बेटर रिज़ल्ट्स आवेंगे।

बीज के सिलसिले में बाढ़ी के क्वेश्चन को भी कटौती प्रस्तावों के ज़रिये डिस्कस किया गया। इस सदन में बाड़ी के प्रश्न को लेकर जहां तक मुझे याद है एक रिज़ोल्यूशन आया था और सदन में उसकी काफी देर तक चर्चा चली थी। उसमें माननीय सदस्यों की राय थी कि ७॥ सेर को घटाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादातर जिलों में १० सेर की बाड़ी थी उसकी घटाकर ७॥ सेर किया है। माननीय सदस्य इसको कम कराना चाहते हैं तो यह सूचना देना चाहता हूँ कि १६) भाव

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमने माना है. ३) रुपया का ट्रान्सपोर्टेशन आदि का खर्चा हमारा हो जाता है, इससे ७।। सेर की बाड़ी से कम होने में हमारा काम नहीं चल सकता जब कि इन्डिविजुअल डिस्ट्रिब्यूशन हो । अब सरकार ने यह पॉलिसी स्वीकार कर ली है कि बीज का वितरण सहकारी समितियों और पंचायतों के जरिये से हो तो यह भी प्रावधान है कि सहकारी समितियां ७।। सेर बीज की रेट रखती है तो ५ सेर तो सहकारी समितियों में ही रहेगा और २।। सेर सरकार के पास आवेगा । पांच सेर की बाड़ी मिलती है तो वह सहकारी समितियों के पास ही रहती है, किसान काम में ले और लौटा दें, इससे लाभ हो तो सहकारी समितियों के ज़रिये किसानों को ही होगा । वह सरकार का मुनाफा नहीं है । बीज सहकारी समितियां ले और कलेक्ट करके दे तो २।। सेर चार्ज करते हैं । इसका हैवी बोझ किसान पर नहीं पड़ता है । इसलिए इसमें रद्दोबदली की गुन्जाइश नहीं है और न ही कम किया जा सकता है ।

बीज़ के कटौती प्रस्तावों के ऊपर जवाब देते हुए अब मैं खाद की ओर आता हूं । माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं वे खाद के बारे में और डिस्ट्रिब्यूशन और कम्पोस्ट के बारे में भी है कि उपयोग ज़्यादा होना चाहिये । उसके लिए आपके ज़रिये से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार की इस ओर जागरुकता पूरी है, इस खाद के मामले को लेकर । दोनों प्रकार के खाद आर्टिफिशियल और फर्टीलाइज़र जिसमें नाइट्रोजनस और फॉस्फेट्स खाद हैं, उसका प्रयोग हमारे देश में किसानों ने चालू किया है और काफी तादाद में किया है और अब वह स्टेज़ आ गई है कि किसानों में ज़्यादा इसका प्रचार किया जाय इसकी आवश्यकता मालूम नहीं होती । जिन्होंने इसको काम में लिया है उनको बेटर रिज़ल्ट्स मिले हैं और अब भी उत्सुक रहते हैं कि यह खाद उनको अच्छी तादाद में मिले । इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा । इसकी भी लिमिटेशन है । देश में यह खाद इतना पैदा नहीं होता कि यह देश की डिमान्ड को पूरा कर सके । विदेशों से इम्पोर्ट होकर आता है, उसमें दिक्कत है और वह सारे देश में दिक्कत है, विदेशी मुद्रा की दिक्कत के कारण जितना चाहिये उतना मंगा भी नहीं सकते, जब इतना कन्ट्री पैदा नहीं कर सकता है तो डिमान्ड को पूरा करने के लिए गोबर या कम्पोस्ट का खाद तैयार करें । इसके लिए कृषि विभाग की योजना है और वह इस ओर पूरा जागरुक है । जहां विकास योजनाओं का काम चलता है वहां पर खाद के पिट्स पर ज़ोर दिया जाता है, उसको पकाना और काम में लेना है, यह रिसर्च वर्क में काफी चलता है लेकिन जहां इलाकों में थोड़े फील्ड मैन हैं, स्टाफ की कमी है, वहां इतनी डिटेल्स में नहीं किया जाता जितना विकास योजनाओं में किया जाता है । किसानों को इसके लिए समझाया जाता है और वे इसको अब काम में भी लेने लगे हैं । कम्पोस्ट की चीज़ को, मलमूत्र आदि गंदी चीज़ों को ठीक करने के लिए पंचायतों और म्युनिसिपेलिटियों को इन गन्दी चीज़ों से कम्पोस्ट बनाने के लिए सरकार की ओर से लोन दिया जाता है और कई म्युनिसिपेलिटियों को लाखों की तादाद में दिया भी है ताकि कम्पोस्ट बनाने का काम चालू किया जाय उन्होंने बनाया भी है और बेचा भी है और सब्सिडी देकर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किसानों को पहुंचाया है। जितने हमारे साधन हैं, जितनी मदद हम दे सकते हैं, देते हैं और उसके लिए हमारी एक डेफिनेट स्कीम है और इस मद में जो रकम है उसको खर्च किया है और इस खाद का उपयोग किसानों में होने लगा है। मैं आपको आर्टिफिशियल फर्टीलाइज़र के बारे में कुछ आंकडे प्रस्तुत करना चाहता हूं। जहां सन् ५१-५२ में २६७ टन नाइट्रोजीनस और ६३.६१ फॉस्फेट्स वितरण किया वहां इस साल के करीब हमने १६८१ टन नाइट्रोजीनस और ४०३ टन फोस्फेटस दिया। डिमान्ड ज्यादा थी इसलिए पिछले साल का जो बना हुआ था जो किसानो को हम दे सकते थे, जितना मांगा उतनी तादाद में उनको दे दिया गया। खाद के लिए हमारी पूरी योजना है और पूरा डिट्रिब्युशन हो इसके लिए जितने हम सचेष्ट हो सकते हैं, हुए हैं और भरसक हमने इसके लिए कोशिश की जानी चाहिये थी, वह की है।

उसके बाद नेक्स्ट कटौती प्रस्ताव अन्डर ग्राउन्ड वाटर तालाब और कुओं के सम्बन्ध में था। माननीय सदस्यों को मैं यह सूचना देना चाहूंगा कि इसके बारे में भी सरकार की एक निश्चित योजना है। कुओं को गहरा करने के लिए और खोदने के लिए तकाबी दी जाती है और लोगों ने तकाबी ली है और उससे कुओं को गहरा किया है, खुदवाये भी हैं। पहली योजना के और दूसरी योजना तीसरे साल में कई कुए बने हैं और आगे आने वाले दो सालों में भी और बनेंगे। उनके लिए अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की ओर से काम किया गया, ड्रिलिंग का जो काम किया जाता है वह नो लॉस नो प्रोफिट पर किया जता है। और किसानों के अन्दर काफी पॉपुलर है। पिछले दो तीन सालों के इसके बिज़ी रहने के आंकडे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह मशीन रात दिन बिज़ी रहती है। ट्यूबवेल बनाने में मशीन बिज़ी रहती है। कूए के अन्दर जो चट्टानें तोड़ने का काम है वह भी काम काफी है, सभी इलाकों के अन्दर यह काम आती है। किसान इसके लिये रूपया जमा कराते हैं और कम्प्रेसर्स से काम लेकर बहुत से किसानों ने अपने कुए में पानी को बढ़ाया है। अर्बन वाटर बोर्ड के बारे में भी कुछ कहा गया। कुछ ने यह कहा कि पानी के महाराज आये थे उसके सिलसिले में यह बना था। यह उनका कहना गलत है। गवर्न-मेन्ट ऑफ इन्डिया का डिपार्टमेन्ट था उसके पास डेफीनेट तौर से एक स्कीम थी। पानी महाराज से इसका कोई संबन्ध नहीं था। किसानों की मदद के लिये यह विभाग बना था। जब उन्होंने बन्द किया तो हमने उनसे ये मशीनें मांग ली और उनसे हमने कहा कि यह काम हम ठीक तरह से करेंगे। हमने उन मशीनों से काफी काम किया। हम दो तीन रींग मशीन और खरीदना चाहते हैं और इस काम को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। यह किसानों के लिये निश्चित तौर से बढ़िया तरीका है।

कुछ माननीय सदस्यों ने और भी कटौती क प्रस्ताव रखे हैं उनका...

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो दो ही मिनिट में उनका भी जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : No, no. । अवशिष्ट मांगों के संबन्ध में मुखबन्ध (गुलेटिन) प्रभावशील करता हूं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : जोबनेर एग्रीकलचर कॉलेज का तो पाइन्ट योंहीं रह गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : और भी कई पॉइन्ट्स रह गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४० कृषि को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

शेष मांगों पर मुखबन्ध

मांग संख्या १०-सामान्य प्रशासन

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १७—जन—स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य स्वीकार की जाये

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १—भू—राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७—भू—राजस्व स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३—स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ९, स्टाम्प्स स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४—वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ५-पंजीयन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५ मुख्य शीर्षक ११-पंजीयन स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६—वाहनों पर कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य

(श्री उपाध्यक्ष)

शीर्षक १२-क वाहनों पर कर स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७—बिक्रीकर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७—मुख्य शीर्षक १२—बिक्रीकर स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८-अन्यकर और महसूल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८—मुख्य शीर्षक १३—अन्य कर और महसूल स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६-सिंचन, नौचालन इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६—१७ सिंचन, नौचालन तटबंधन तथा जल निकास (वाणिज्य) कार्य-वाहक व्यय, आदि आदि स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री जनार्दराय नागर : I will request that the figures should be given

श्री उपाध्यक्ष : I will concede to your request.

मांग संख्या १२-कारागृह

प्रश्न यह है "कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २८-कारागृह के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को ३२,६८,००० रूपये तक की राशि प्रदान की जाय"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

But the Hon'ble Member is not attentive, it seems.

श्री जनार्दनराय नागर : I am attentive. Sir.

मांग संख्या १५-शिक्षा

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है "कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,४५,२७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या १८-चिकित्सा

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,७२,५४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या १९-पशुपालन

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ४१–पशु पालन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७९,५४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २१-उद्योग और प्रदाय

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६२,१६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २२-विविध

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २२,मुख्य शीर्षक ४७–विविध विभाग के संबन्ध में ३१ मार्च,१९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७२,४५,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २३–नागरिक निर्माण कार्य आदि

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य, आदि के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,६५,८४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २४-ख-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धी अन्य राजस्व व्यय

प्रश्न यह है,"कि मांग संख्या २४ मुख्य शीर्षक ५१-ख-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धी अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को २६,०२,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय" ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २५- दुर्भिक्ष

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष के संबन्ध में ३१ मार्च १६६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५८,३६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय" ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २६-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५४-ख-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६, ६०,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २७ अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५५-अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन आदि के संबन्ध में ३१ मार्च १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६४,१३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय" ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १८-लेखनसामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५६-लेखन-सामग्री तथा मुद्रण के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६६,८४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय" ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३०-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, इत्यादि

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ६३-ख-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री उपाध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१८,८५,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३१—मुख्य शीर्षक भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि-पूर्ति-देय

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६५-भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि—पूर्ति व देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,५०,००,-००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३३-जनस्वास्थ्य सुधार पर पूंजी-लागत

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०—जनस्वास्थ्य सुधार पर पूंजी—लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४४,९७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३४-कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी लेखा

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१—कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,१३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३५-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३२,८८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३६-राजस्व, वगैरा से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१ राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा के

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,६०,०३,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३७-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ८२-राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,८०,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३८-सड़कों तथा जल-परिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखे से बाहर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ८२-ख-सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखे से बाहर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,००,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३९-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ८३-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९८,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४१-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ४१ ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६०, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,२६,१९,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय"।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

४.४४ म० प०

(श्री वित्त मन्त्री से) सब हो गई साहब?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां।

राजस्थान विनियोग (संख्या३) विधेयक १६५६

(पुरः स्थापन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० ३.) विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोपियेशन (नं० ३) बिल, १६५६ को इन्ट्रोड्यूस किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४.४५ म० प० पर, कल दिनांक १६ मार्च, १६५६ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, १८ मार्च, ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ४४६६

शाहपुरा सर्किट हाउस में रजाइयों की चोरी।

लोकवाणी के कर्मचारियों का बकाया वेतन।

अजमेर के पुलिस इन्सपेक्टर श्री लक्ष्मीनारायन के विरुद्ध शिकायत।

रतनगढ़ व डूंगरगढ़ के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत।

जोधपुर नगरपालिका के कर्मचारियों को तरक्की

चम्बल बांध।

सवारी की बसों के माडल पर प्रतिबन्ध।

सन् १९५२ में हुए लोकसभा व विधान सभा के चुनावों में कार्य करने वाले अध्यापकों का बकाया टी. ए. व डी. ए.।

एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट फर्स्टक्लास, बाली व एस० डी० एम०, बाली की अदालतों में पेन्डिंग मुकदमे।

मोहल्ला कस्साबान में नल व बिजली की व्यवस्था।

स्कम्भ

गुढ़ा एन्दला के पास बहने वाली नदी का तटबन्धन।

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, राजगढ़ व एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, चूरू की अदालतों में पेन्डिंग मुकदमे।

गंगापुर में नई मंडी का निर्माण कस्बा सिकराय में अधूरा डाक बंगला भवन।

एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज।

अजमेर राज्य के विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता।

धौलपुर-भरतपुर सड़क।

सप्लाई विभाग के सरप्लस कर्मचारियों का फिक्सेशन।

भांडारेज से उकाली घाटी की सड़क।

बाली तहसील में मवेशियों की चोरी।

जगर बांध पर पुल।

जोधपुर गांधी अस्पताल का टी. बी. वार्ड।

चम्बल बांध से विद्युत्।

स्कम्भ

करौली-हिन्डौन सड़क पर वान्दुआ नाले पर पुल।

रानी खुर्द, तहसील देसूरी में अस्पताल खोलने की योजना।

रबी अभियान में बीज वितरण की व्यवस्था।

राजस्थान मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अंतर्गत इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति।

नीम का थाना पुलिस द्वारा मीणों की गिरफ्तारी।

सेक्रेटरी नगरपालिका झालावाड़ का तबादला।

राज्य में सक्रिय डाकू दल।

माउन्ट आबू में सिविल मुकदमों की सुनवाई।

भेड़ प्रजनन केन्द्र, कोडमदेसर।

जगर बांध से सिंचाई।

अणादरा-करूटी सड़क।

स्थगन प्रस्ताव ४५५८

श्री लालमोहम्मद गजधर, राष्ट्रदूत के जोधपुर स्थित संवाददाता तथा जोधपुर पत्रकार संघ के कोषाध्यक्ष, को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने से संबंधित श्री भैरोंसिंह (१४) व श्री पी० के० चौधरी के स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

स्कम्भ

सदन की मेज पर रखा गया पत्र ४५५६

श्री रामकिशोर व्यास, विद्युत मंत्री, ने इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्राक्कलित पूंजी एवं आगम आय तथा व्यय (Estimated Capital and Revenue Receipts and Expenditure) १६५६-६० के विवरण को सदन की मेज पर रखा।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये गये विधेयक ४५६०

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :—

१ राजस्थान उप-कर समाप्ति विधेयक, १६५६

२ राजस्थान पेसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन विधेयक, १६५६

आयव्ययक, १६५६-६०

द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान ४५६१

१. मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर।

मंत्री, आबकारी तथा कर विभाग, के उत्तर के पश्चात् ७ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०—कृषि.

उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर ३७ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। कृषि मंत्री के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

तदुपरान्त मुखबन्ध (Guillotine) का प्रयोग किया जाकर निम्नांकित मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई :

क. सं.	मांग सं०	मुख्य शीर्षक
१.	१०	२५—सामान्य प्रशासन
२.	१७	३६—जन स्वास्थ्य
३.	१	७—भू-राजस्व
४.	३	६—स्टाम्प्स
५.	४	१०—वन
६.	५	११—पंजीयन
७.	६	१२—वाहनों पर कर
८.	७	१२—का-बिक्री कर
९.	८	१३—अन्य कर और महसूल
१०.	९	१७—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, तथा जल निकास निर्माण (वाणिज्यक) कार्यवाहक व्यय, आदि आदि
११.	१२	२८—कारागृह
१२.	१५	३७—शिक्षा
१३.	१६	३८—चिकित्सा
१४.	१९	४१—पशु पालन
१५.	२१	४३—उद्योग और प्रदाय
१६.	२२	४७—विविध विभाग
१७.	२३	५०—नागरिक निर्माण कार्य, आदि
१८.	२४	५१—खा-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से संबंधी अन्य राजस्व व्यय
१९.	२५	५४—दुर्भिक्ष
२०.	२६	५४—खा-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते
२१.	२७	५५—अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन, आदि
२२.	२८	५६—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
२३.	३०	६३—खा-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य
२४.	३१	६५—भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय

Page No.115

स्कम्भ

२५. ३३ ७०–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

२६. ३४ ७१–कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत

२७. ३५ ७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

२८. ३६ ८१ राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा

२९. ३७ ८२–राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

३०. ३८ ८२–बा-सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखे के बाहर पूंजी की लागत

३१. ३९ ८३–निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान

३२. ४१ ता–राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम

स्कम्भ

उपरोक्त मांगों के मतदान के पश्चात् श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करके राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित किया।

गुरुवार दिनांक १९ मार्च, ५९ की कार्य-सूची

१ पंचभद्रा सिटी में पानी की व्यवस्था सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव।

२ राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स संशोधन विधेयक, १९५८

(वापस लिया गया)

३ पुरःस्थापित विधेयक।

१. राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५९

२. राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५९

४ राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५९

(विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ का उत्तर देखिये)

सूची

पलंग नं०	बीमार का नाम (पुरुष)	जाति
१	सुलतानसिंह	राजपूत
२	हुक्मसिंह	राजपूत
३	सुमेरसिंह	राजपुरोहित
४	लक्ष्मणसिंह	राजपुरोहित
५	रामचन्द्र	कुम्हार
६	अब्दुलसत्तार	मुसलमान
७	विजयसिंह	राजपूत
८	राधाकिशन	पु० ब्राह्मण
९	बिहारीलाल	ब्राह्मण
१०	करमवीर	खत्री
११	बहादुरसिंह	जाट
१२	देवीलाल	सुथार
१३	जीवनराम	माली
१४	उदयसिंह	राजपूत
१५	बाबू	राजपूत
१६	किशन	राईका
१७	हरिसिंह	राजपूत
१८	सोहनसिंह	राजपूत
१९	प्रेमसिंह	माली
२०	बद्रीनारायण	ब्राह्मण

१	२	३
अतिरिक्त पलंग नं० १	सांवतराम	विशनोई
२	मूला	सिंधी
	स्त्री	
२१	बहीदन	मुसलमान
२२	अन्तरकौर	राजपूत
२३	हसमत	मुसलमन
२४	पांचीबाई	कुम्हार
२५	छेजरी	घांकी
२६	श्यामा	नाई
२७	गोमती	मोची
२८	भंवरी (प्रथम)	बेलदार
२९	चन्द्रावती	ब्राह्मण
३०	जानकी	सुनार
अतिरिक्त पलंग नं० ३	गंगा	राजपूत
४	भंवरी (द्वितीय)	राजपूत

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE DISTRIBUTION OF SEED DURING RABI CAMPAIGN.

Name of the Tehsii.	Wheat seed distribution.		Barley seed distribution		Gram seed distribution.	
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59.
Bali	22252-12-2	14496-14-7	1006-10-	1414-26-0	-	20-0-0
Desuri	4787- 0-0	4570- 0-0	-	1002-10-0	65-0-0	-

शुद्धि–पत्र

(कार्य-विवरण सोमवार, दिनांक १८ मार्च, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
४४६६	८	श्री अयच	श्री अध्यक्ष
४५६५	१	श्री हरिभाऊ उध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
४६०६	अन्तिम से १७	टक तरह	ठीक तरह
४६०६	१	करो	करने
४६११	अन्तिम से १५	बटा	बांटा
४६१५	अन्तिम से १०	पच वर्ष	पांच वर्ष
४६१६	१३	जोबर में	जोबनेर में
४६२८	अन्तिम से ५	बंटी गई	बांटी गई
४६४३	१	श्री तेजराम गहलोत	श्री तेजाराम गहलोत
४६७७	१८	रेक्रेटरी	सेक्रेटरी
४६६०	अन्तिम	देशान	देशाटन
४६६४	१५	टेरसिंग	टरेसिंग